''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2005—कार्तिक 20, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक 12414/वि. स./विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

चन्द्रशेखर गंगराडे
उप-सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम

विषय-सूची

नियम

अध्याय 6-कार्य-विन्यास तथा कार्य-सूची.

अध्याय 7-प्रश्न.

अध्याय 8-आधे घण्टे की चर्चा.

अध्याय 9-स्थगन प्रस्ताव.

नियम

अध्याय 12-प्रत्यायुक्त विधान.

अध्याय 13-संकल्प.

अध्याय 14-प्रस्ताव.

अध्याय 15-ध्यान आकर्षण.

नियम

नियम

अध्याय 23-प्रक्रिया के सामान्य नियम.

(क) सभा की भाषा.

235. सभा की भाषा.

(ख) सूचनाएं.

236. सदस्यों द्वारा सूचनाएं.
236-क. सूचनाओं का प्रचार.
237. सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन.
238. सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगमन.
239. प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे.
240. सूचनाओं को संशोधित करने सम्बन्धी अध्यक्ष का अधिकार.

(ग) प्रस्ताव.

241. प्रस्ताव की पुनरावृत्ति.
242. प्रस्ताव की वापसी.
243. प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन.
244. विलम्बकारी प्रस्ताव.
245. यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जावे.

(घ) संशोधन.

246. संशोधन.
247. संशोधनों की सूचना.

(ङ) सदस्यों द्वारा पालनीय नियम.

248. बोलते समय सदस्य खड़ा होगा और जब औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जाये तब वह अपना स्थान ग्रहण करेगा.
249. अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया.
250. सभा के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक.
250-क. सभा में उपस्थित रहते समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम.
251. बोलते समय पालनीय नियम.
252. किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया.
253. प्रश्नों का अध्यक्ष के माध्यम से पूछा जाना.
254. असंगति या पुनरावृत्ति.
255. वैयक्तिक स्पष्टीकरण.

(च) भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार.

256. भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार.

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम

[संविधान के अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) के अधीन]

अध्याय 1-प्रारंभिक.

1. ये नियम "छत्तीसगढ़ विधान सभा नियमावली" कहलायेंगे. **संक्षिप्त नाम.**

2. इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :- **परिभाषाएं.**

क. "गैर सरकारी सदस्य" का तात्पर्य मंत्री या संसदीय सचिव को छोड़कर किसी अन्य सदस्य से है;

ख. नियम का तात्पर्य विधान सभा के नियम से है;

ग. "पटल" का तात्पर्य सभा के पटल से है;

घ. "पत्रक" का तात्पर्य सभा के समाचार पत्र से है जिसमें -

(क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख;

(ख) सभा के कार्य के बारे में या उससे संबंधित किसी विषय पर या अन्य विषय पर, जो अध्यक्ष की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी, और;

(ग) संसदीय समितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट हो;

ङ. "प्रस्ताव" का तात्पर्य किसी प्रस्थापना से है, जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए और उसमें प्रस्ताव का संशोधन भी सम्मिलित है;

च. "भारसाधक सदस्य" से तात्पर्य उस सदस्य से है, जो विधेयक या अन्य कार्य का प्रवर्तन करे और किसी सरकारी विधेयक या अन्य कार्य के बारे में किसी भी मंत्री से है;

छ. "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से है;

ज. "राजपत्र" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राजपत्र से है;

झ. "वित्त मंत्री" का तात्पर्य वित्त भारसाधक मंत्री से है, या किसी ऐसे अन्य मंत्री से है जिसे वह इन नियमों के अधीन उसे सौंपा हुआ कृत्य प्रत्यायुक्त करे;

ञ. "विधान सभा" का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा से है;

ट. "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

ठ. "सचिव" का तात्पर्य विधान सभा के सचिव से है, उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा अधिकारी है जो उस समय सचिव के कर्तव्यों का पालन कर रहा है;

ड. "सदस्य" का तात्पर्य विधान सभा के सदस्य से है;

ढ. "सभा" का तात्पर्य विधान सभा से है;

ण. "सभा कक्ष" (लाबी) का तात्पर्य उन बन्द वीथियों से है, जो सभा-वेश्म से बिल्कुल संलग्न हैं;

त. "सदन के नेता" का तात्पर्य मुख्य मंत्री से है और उसके अन्तर्गत है कोई भी मंत्री जिसे मुख्य मंत्री इन नियमों के अधीन सभा नेता को सौंपे हुए कृत्य प्रत्यायुक्त करे;

थ. "सभा समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या निर्वाचित करे या अध्यक्ष नाम निर्देशित करे और जो अध्यक्ष के निर्देश के अन्तर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे;

द. "सभा के परिसर" का तात्पर्य सभा-वेश्म, सभा कक्षों, दीर्घाओं और उनको मिलाकर ऐसे अन्य स्थानों से है जिनका अध्यक्ष समय-समय पर उल्लेख करे;

ध. "सरकारी उपक्रम" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी और उसके अन्तर्गत आता है कोई निगम या कोई अन्य कानूनी निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो प्रत्येक दशा में, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो.

न. "विधान सभा सचिवालय" का अर्थ रायपुर स्थित विधान सभा सचिवालय से है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त अध्यक्ष के प्राधिकार के अन्तर्गत स्थापित रायपुर से बाहर कोई कैम्प आफिस आता है.

3. संविधान और इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द तथा पदावली के अर्थ जब तक प्रसंग अपेक्षित नहीं हैं वही होंगे जो संविधान में दिये गए हैं.

4. यदि इन नियमों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा.

अध्याय-2 सदस्यों को आमंत्रण, बैठने का क्रम, शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली

3. जब संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन सभा आहूत की जाय तब सचिव, सभा के सत्र के लिए तिथि, स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजेगा : **आमंत्रण.**

परन्तु जब सत्र अल्प सूचना पर या आपात में बुलाया जाए तो आमंत्रण प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग चाहे न भेजा जाए, किन्तु सत्र की तिथि व स्थान की घोषणा राजपत्र में और प्रचार माध्यम द्वारा की जायेगी और सदस्यों को तार/फेक्स द्वारा सूचना दी जा सकेगी.

4. सदन का सत्र संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अधीन राज्यपाल के आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि को प्रारम्भ होगा और संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (क) के अधीन राज्यपाल के सदन का सत्रावसान करने के आदेश की तिथि को समाप्त होगा : **सत्र.**

परन्तु यह कि कार्य उस समय समाप्त किया जा सकेगा, जो सदन के नेता के परामर्श के बाद अध्यक्ष द्वारा उस सत्र के लिये नियत सदन की अन्तिम बैठक के लिये निर्धारित किया जाये.

5. सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष निर्धारित करे. **सदस्यों के बैठने का क्रम.**

6. जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में पहले ही शपथ न ले चुका हो या प्रतिज्ञान न कर चुका हो वह सचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना दे कर किसी भी दिन सभा की बैठक के प्रारम्भ में अथवा सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, ऐसा कर सकता है. **शपथ या प्रतिज्ञान.**

6-क. सभा के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठने से पहले, सचिव के सामने हस्ताक्षर करेगा. **सदस्यों की नामावली**

अध्याय-3 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति तालिका का नाम निर्देशन.

7. (1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा.

अध्यक्ष का निर्वाचन.

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जावे सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा.

(3) कार्य सूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा.

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है.

8. (1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो अध्यक्ष निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा.

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(2) नियम 7 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध संबंधी निर्देशों के स्थान में उपाध्यक्ष संबंधी निदेश प्रतिस्थापित करने पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे अध्यक्ष के निर्वाचन को लागू हैं.

9. (1) यथास्थिति प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक छह सभापतियों की एक तालिका नाम निर्देशित करेगा, जिनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन हो सकेगा.

सभापति तालिका.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम निर्देशित सभापति तालिका के सदस्य नई सभापति तालिका नाम निर्देशित की जाने तक पद धारण करेंगे.

10. उपाध्यक्ष को या संविधान अथवा इन नियमों के अधीन सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम किसी अन्य सदस्य को, जब वह इस प्रकार पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है और इन परिस्थितियों में इन नियमों में अध्यक्ष के प्रति सब निर्देश इस प्रकार पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे.

उपाध्यक्ष या सभा की बैठक में पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां.

अध्याय-4 सभा की बैठकें.

11. सभा की बैठकें तभी विधिवत गठित होंगी जब कि उसमें अध्यक्ष या अन्य सदस्य पीठासीन हों जो संविधान अथवा इन नियमों के अधीन सभी की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हों. **सभा की बैठकें कब विधिवत गठित होंगी.**

12. जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे सभा की बैठकें साधारणतः 10.30 बजे प्रारंभ होंगी और साधारणतः 17.00 बजे समाप्त हो जावेंगी : **बैठक का प्रारंभ तथा समाप्ति.**

परन्तु सभा साधारणतः 13.00 से 14.30 बजे के मध्य नहीं होगी जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे :

परन्तु यह और भी कि यदि सदन चाहे तो उसकी बैठक यथास्थिति किसी भी दिन या किन्हीं भी दिनों में अपरान्ह 13.00 बजे से 14.30 के समय में या 17.00 बजे के बाद भी हो सकेगी या उस समय के पूर्व स्थगित हो सकेगी और उस दिन या उन दिनों बैठक सदन द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय पर समाप्त होगी.

12-क. सदन की बैठक सत्र के दौरान केवल ऐसे दिनों को छोड़कर जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा या सदन द्वारा छुट्टी का दिन घोषित किया गया हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार को होगी : **सदन की बैठकें.**

परन्तु सदन की बैठक किसी भी शनिवार को या अन्य किसी छुट्टी के दिन भी हो सकेगी, यदि सदन इस आशय का विनिश्चय करे या कार्य मंत्रणा समिति इस आशय की सिफारिश करे जो सदन द्वारा अनुमोदित हो.

12-ख. नियम 12-ग तथा 266 के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष इन नियमों के अधीन या सदन द्वारा समय-समय पर नियत समापन के समय उसी सत्र में अगली बैठक तक के लिये या अनिश्चित काल के लिये सदन को स्थगित कर सकेगा : **सदन का स्थगन.**

परन्तु अध्यक्ष सदन के समक्ष कार्य स्थिति पर विचार करते हुए सदन का मत प्राप्त करने पर सदन को उसी दिन बाद के किसी समय के लिये स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि सदन को सदन के नेता द्वारा प्रस्तुत और सदन द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव के सिवाय, सत्र के लिये नियत सदन की अंतिम बैठक के पहले किसी दिन, अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि सदन के नेता के प्रस्ताव पर उस दिन या तिथि विशेष से पूर्व जब तक के लिये सदन की बैठक स्थगित की गई हो या सदन के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकेगा.

12-ग. नियम 12-ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के संकल्प की सूचना सदन की सत्र के लिये नियत अंतिम बैठक के दिन से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्राप्त हुई हो और यदि सदन द्वारा उस संकल्प का निपटारा न किया गया हो, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति सदन द्वारा रखे गये और उसके द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव की स्थिति को छोड़कर अन्यथा रूप से सदन को - **सदन के स्थगन पर निर्बन्धन.**

(एक) संकल्प की सूचना प्राप्त होने के दिन से 15 दिन के बाद की अवधि के लिये, तथा

(दो) जहां नियम 146 के उपनियम (3) के अधीन संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति प्रदान कर दी गई हो, वहां उस दिन से, जिस दिन ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो, 10 दिन से अधिक की अवधि के लिये स्थगित नहीं करेगा.

अध्याय-5 राज्यपाल का अभिभाषण और सभा को संदेश.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का नियतन.

13. अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन सभा के सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये सभा नेता के परामर्श से समय नियत करेगा.

चर्चा की व्याप्ति.

14. ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में सभा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी.

संशोधन.

15. (1) ऐसे प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य किसी संशोधन की सूचना ऐसे समय के पूर्व दे सकेगा जैसा अध्यक्ष नियत करें.

(2) ऐसे कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझे.

अन्य कार्य जो लिया जा सकेगा.

16. (1) इस बात के होते हुए भी कि कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत किया जा चुका है :-

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किये जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा; या

(ख) ऐसे दिन अभिभाषण पर सभा द्वारा चर्चा प्रारंभ किये जाने या ज़ारी रखे जाने से पूर्व केवल औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकेगा; और

(ग) नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद रोका जा सकेगा.

(2) यह प्रस्ताव किये जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले बाद के किसी दिन तक के लिये स्थगित की जाये, उस अभिभाषण पर चर्चा किसी शासकीय विधेयक या अन्य किसी शासकीय कार्य के पक्ष में विलम्बित की जा सकेगी, अध्यक्ष तुरन्त यह प्रश्न रखेगा और किसी संशोधन या वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी.

शासन का उत्तर देने का अधिकार.

17. शासन की ओर से मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अन्त में शासन की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा.

वाद-विवाद का विनियमन.

18. प्रस्ताव पर चर्चा विनियमित करने के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष प्रस्ताव की सामान्य चर्चा के लिये और सूचना दिये गये संशोधनों में से प्रत्येक पर विचार करने के लिये समय नियत कर सकेगा और जब एक से अधिक संशोधन हों तब प्रत्येक संशोधन के लिए समय नियत कर सकेगा और वाद-विवाद में भाषणों के लिये समय नियत कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अंतर्गत राज्यपाल का अभिभाषण.

19. संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये अध्यक्ष समय नियत कर सकेगा.

राज्यपाल से संदेश.

20. जब अध्यक्ष को सभा के लिये संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अधीन राज्यपाल से संदेश मिले तो वह सभा को संदेश पढ़कर सुनायेगा और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिये अनुकरणीय प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश देगा. ऐसे निर्देश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी जिस सीमा तक की आवश्यक हो.

सत्रावसान पर राज्यपाल का अभिभाषण.

20-क. जब राज्यपाल सभा का सत्रावसान करे तो वह यथास्थिति सभा के सामने अभिभाषण दे सकेगा.

अध्याय-6 कार्य विन्यास तथा कार्य-सूची.

कार्य-विन्यास.

21. सभा नेता से परामर्श करने के बाद अध्यक्ष शासकीय कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिये उतने दिन नियत करेगा जितने कि आवश्यक हों.

कार्य का क्रम.

22. शासकीय कार्य के सम्पादन के लिये नियत किये गये दिनों में उस कार्य को पूर्ववर्तिता मिलेगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम से करेगा जैसा कि अध्यक्ष सभा नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे :

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटारे के लिये रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार हैं :

परन्तु यह और भी कि जो शासकीय कार्य दिन के अन्त में चर्चाधीन हो वह उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अगले दिन के लिये रखा जायेगा और उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता मिलेगी जब तक कि अध्यक्ष पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन अथवा अन्य प्रकार से अन्य निदेश न दे.

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय का नियतन.

23. शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य सम्पादन के लिये नियत किये जायेंगे :

परन्तु अध्यक्ष ऐसे कार्य के भिन्न-भिन्न वर्गों के निपटारे के लिये भिन्न-भिन्न शुक्रवार नियत कर सकेगा और किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिये इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य के लिये पूर्ववर्तिता मिलेगी :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष सभा नेता के परामर्श से गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे कार्य के सम्पादन के लिये शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन भी नियत कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये सप्ताह में किसी अन्य दिन ढाई घन्टे नियत कर दिये जायें.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता.

24. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिये नियत किये गये दिन ऐसे विधेयकों को निम्नलिखित क्रम में सापेक्ष पूर्ववर्तिता मिलेगी, अर्थात् :-

(क) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(ख) वे विधेयक जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 या 201 के अधीन संदेश के साथ लौटाये गये हों;

(ग) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाये;

(घ) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया जा चुका हो;

(ङ.) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों;

(च) वे विधेयक जो पुरःस्थापित किये गये हों और जिनके संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव न किया गया हो अथवा स्वीकृत न हुआ हो;

(छ) अन्य विधेयक.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) को छोड़कर एक ही खण्ड के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा तथा ऐसे दिन और ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे निर्धारित की जावेगी :

परन्तु उपनियम (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों का विन्यास उनके पुरःस्थापन की तिथि के क्रमांक के अनुसार समय में किया जायेगा और (ख) से (छ) इनमें से प्रत्येक समूह के अन्तर्गत सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जावेगी :

परन्तु यह और भी कि उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कार्यसूची में उस क्रम में दर्ज किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हों.

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता.

25. उन संकल्पों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता जिनकी सूचनायें गैर-सरकारी सदस्यों ने दी हों अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेंगी.

दिन के अन्त में अवशिष्ट कार्य.

26. गैर-सरकारी सदस्यों का वह समस्त कार्य जो किसी दिन के लिये नियत किया गया है और उस दिन न निबट सका हो उसी सत्र में उस वर्ग के कार्य के लिये जिसके अन्तर्गत वह आता हो उपलब्ध होने वाले अगले दिन पर्यन्त या उस सत्र के ऐसे अन्य दिन पर्यन्त, जो इस प्रकार उपलब्ध हो, रख दिया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश दे :

परन्तु ऐसा कार्य, जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अगले दिन के लिये रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता मिलेगी.

कार्य-सूची.

27. (1) सचिव प्रत्येक दिन के लिये एक कार्य-सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध कराई जायेगी.

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो.

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, कोई कार्य जिसके लिये सूचना अपेक्षित हो, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उस कार्य के वर्ग के लिये अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जायेगा.

(4) नियम 26 के परन्तुक के अधीन अवशिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को छोड़कर किसी भी दिन की कार्य-सूची में तीन अथवा अध्यक्ष की अनुमति से तीन से अधिक किन्तु पांच से अनाधिक संकल्प सम्मिलित किये जायेंगे.

अध्याय-7 प्रश्न.

28. जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा.

प्रश्नों के लिये समय.

29. जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहे वह प्रश्न की सूचना सचिव को लिखित रूप में देगा तथा जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, प्रश्न पूछने के लिये पूरे इक्कीस दिन की सूचना देगा और उसमें निम्न बातों का उल्लेख होगा :-

प्रश्नों की सूचना.

(क) प्रश्न जिस मंत्री को संबोधित हो, उसके पद का नाम, और

(ख) वह तिथि जिसको कि प्रश्न के उत्तर के लिये प्रश्न सूची में रखवाने का विचार है.

30. जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, कोई प्रश्न उत्तर के लिये प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि सचिव द्वारा ऐसे प्रश्न की सूचना शासन को देने के समय से बारह दिन बीत न गये हों.

प्रश्नों के ग्राह्य होने की मंत्रियों को सूचना

31. (1) कोई भी सदस्य किसी भी दिन के लिये मौखिक तथा लिखित उत्तर के लिये चार से अधिक प्रश्नों की सूचना न देगा जिनमें से किसी दो प्रश्नों पर जिनका मौखिक उत्तर चाहा जाये संबंधित सदस्य द्वारा तारांक लगाकर विभेद किया जा सकेगा, जिन प्रश्नों का इस प्रकार विभेद न किया जाये उन्हें लिखित उत्तर के लिये प्रश्न सूची में मुद्रित किया जायेगा.

मौखिक उत्तर के लिये प्रश्नों का विभेद करना.

(2) सूचना देने वाला सदस्य यह दर्शायेगा कि मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न किस क्रम में रखे जायें और यदि कोई ऐसा क्रम न दर्शाया जाये तो प्रश्न मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में उस क्रम में रख दिये जायेंगे जिस समय क्रम में उनकी सूचनायें प्राप्त हुई हों.

32. प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उपलब्ध समय ऐसे विभाग या विभागों से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर उपबंधित करे और प्रत्येक ऐसे दिन जब तक कि अध्यक्ष संबद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निर्देश न दे केवल ऐसे विभाग या विभागों से संबद्ध प्रश्न ही जिनके लिये उस दिन समय नियत किया गया हो, मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में रखे जायेंगे.

प्रश्नों का मौखिक उत्तरों के लिये दिन नियत करना.

33. यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न सूची में रखे गये किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उपलब्ध समय में उत्तर के लिये न पुकारा जाये तो वह प्रश्न लिखित उत्तर के लिए रखा गया समझा जायेगा और उसके संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जायेगा.

जिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर न दिया गया हो उनका लिखित उत्तर.

34. यदि किसी दिन मौखिक उत्तर की प्रश्न सूची में रखा गया कोई प्रश्न उत्तर के लिये पुकारा जाय और सदस्य या तो अपना प्रश्न पूछने के लिये किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत किये बिना अनुपस्थित रहे या यदि उपस्थित हो और अपना प्रश्न न पुकारे तो वह प्रश्न लिखित उत्तर के लिये रखा गया समझा जायेगा और कार्यवाहियों में पृथक शीर्षक के अन्तर्गत मुद्रित किया जायेगा.

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न.

35. (1) मंत्री को संबोधित प्रश्न लोक कार्य के संबंध में होगा जिससे वह पदेन संबद्ध हो या शासन के संबंध में होगा जिसके लिये वह उत्तरदायी हो या लोक संबंध के विषय के बारे में होगा जो उसकी विशेष जानकारी में हो.

प्रश्नों का विषय.

(2) मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्य को संबोधित प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य से संबंधित अन्य विषय से संबंधित होगा, जिसके लिये वह सदस्य उत्तरदायी हो.

प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें.

36. इस हेतु कि प्रश्न ग्राह्य हो सके वह निम्नलिखित शर्तों का समाधान करेगा, अर्थात् :-

(1) वह स्पष्टतः तथा ठीक-ठीक अभिव्यक्त किया जायेगा और उसमें साधारणतया दो सौ शब्दों से अधिक शब्द नहीं होंगे;

(2) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक न हो;

(3) यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिये उत्तरदायी होना पड़ेगा;

(4) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(5) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापन के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा या सांविधिक नियम या उपविधि का वैधिक निर्वचन नहीं पूछा जायेगा;

(6) उसमें ऐसे किसी तथ्य विषय का उल्लेख न होगा, जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बमान हो तथा उसमें न्यायालय के विनिश्चय पर अभ्युक्ति न की जायेगी;

(7) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया राज्य शासन का विषय न हो;

(8) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया किसी स्थानीय प्राधिकारी का विषय हो जब तक कि उसमें शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो चुका हो या हस्तक्षेप के लिये युक्तियुक्त आधार न हो;

(9) उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में उल्लेख नहीं किया जायेगा;

(10) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(11) उसमें तुच्छ विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी तथा वह अनिश्चित या अर्थहीन हो;

(12) उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी तथा उसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निदेश ग्रन्थों में दी गई हो;

(13) वह राज्य शासन के अधीन सेवामुक्त किसी व्यक्ति से संबद्ध सेवा विषय से संबंधित न होगा जब तक अध्यक्ष उस विषय को पर्याप्त महत्व का न समझे;

(14) वह उन विषयों को आन्दोलित नहीं करेगा जिन पर प्रथमतः राज्य शासन को आवेदन पत्र करना चाहिये;

(15) उसका ऐसे विषयों से संबंध न होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हो;

(16) उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके;

(17) उसमें ऐसे प्रश्नों की सारतः पुनर्रुक्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर पहिले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो;

(18) जब प्रश्न की रचना समाचार पत्र में प्रकाशित संवाद का निर्देश करते हुये की जाय तब उस प्रश्न में उस विषय का स्पष्ट उल्लेख होगा जिस पर जानकारी मांगी गई हो और उसमें केवल समाचार संवाद की सत्यता के बारे में नहीं पूछा जायेगा,

(19) उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो;

(20) वह परिणामतः संक्षिप्त भाषण नहीं होगा या जानकारी देने तक सीमित नहीं होगा और उसकी रचना इस प्रकार नहीं की जायेगी कि वह स्वयं अपना उत्तर सुझाये या विशिष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करे, और

(21) उसमें सुझाव करने का अभिप्राय न होगा.

उच्च प्राधिकारियों के बीच वाद विवाद के विषयों पर प्रश्न.

37. जिन विषयों पर भारत सरकार और राज्य शासन के बीच वाद विवाद चल रहा हो या चल चुका हो, उनके बारे में तथ्य विषयों को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा.

अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.

38. अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जिससे उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग या इन नियमों का उल्लंघन होता हो :

परन्तु वह उसके रूप में संशोधन भी कर सकेगा और संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने का अवसर दे सकेगा.

अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाय या अतारांकित.

39. यदि अध्यक्ष की राय में कोई प्रश्न या प्रश्नों का वर्ग ऐसे स्वरूप का है जिसका लिखित उत्तर देना अधिक उचित होगा तो अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि ऐसा प्रश्न, प्रश्न-सूची में लिखित उत्तर के लिये रख दिया जाये :

परन्तु अध्यक्ष, यदि ठीक समझे तो, मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने के लिये कह सकेगा और उन पर विचार करने के बाद निर्देश दे सकेगा कि प्रश्न, प्रश्न-सूची में लिखित उत्तर के लिये सम्मिलित किया जाये.

प्रश्नों का रूपभेदन, विभाजन या समेकन.

40. (1) यदि अध्यक्ष की राय में किसी प्रश्न में जिसकी सूचना सदस्य से प्राप्त हुई हो, रूप भेद करना या उसको पृथक प्रश्नों में विभाजित करना आवश्यक हो या दो या अधिक प्रश्नों को एक ही प्रश्न में एकत्रित करना आवश्यक हो तो अध्यक्ष आवश्यक रूप भेदों के साथ उस प्रश्न को स्वीकार कर सकेगा या उस प्रश्न को विभाजित कर सकेगा या सुसंगत प्रश्नों को एक में समेकित कर सकेगा.

(2) प्रश्न की उचित स्वीकृति के प्रयोजन के लिये अध्यक्ष प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे जैसा कि आवश्यक समझा जाये और तदुपरान्त प्रश्न की सूचना उस तिथि को दी गई समझी जावेगी जिसको ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण अध्यक्ष के कार्यालय में प्राप्त हो.

(3) अध्यक्ष, शासन से भी ऐसी जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा जैसी कि प्रश्न की ग्राह्यता का विनिश्चय करने के लिये आवश्यक समझी जाय और ऐसी जानकारी तुरन्त दी जायेगी.

प्रश्नों की वापसी या स्थगन.

41. कोई सदस्य उस बैठक के पहले, जिसके लिये उसका प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर अपने प्रश्न को वापस ले सकेगा या उसे सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिये स्थगित करा सकेगा और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न नियम 32 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची में उन सब प्रश्नों के बाद रखा जायेगा जो इस तरह स्थगित न किये गये हों :

परन्तु स्थगित किया गया कोई प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि सचिव को स्थगन की सूचना प्राप्त हुए पूरे दो दिन समाप्त न हो गये हों.

42. जब किसी सदस्य से किसी प्रश्न की सूचना के संबंध में कुछ पूछा जाये और कोई उत्तर न मिले या उससे उत्तर इतनी देर से मिले कि अध्यक्ष उस पर विचार न कर सके और प्रश्न ग्राह्य होने पर सूचित तिथि को प्रश्न सूची में न रखा जा सके तो ऐसी सूचना व्यपगत समझी जायेगी. **सदस्यों को निर्दिष्ट लंबित प्रश्नों का व्यपगत होना.**

43. (1) प्रश्न पूछने का समय आने पर अध्यक्ष प्रत्येक ऐसे सदस्य को जिसके नाम में प्रश्न सूची में कोई प्रश्न हो क्रमवार पुकारेगा. **प्रश्न पूछने की रीति.**

(2) इस प्रकार पुकारा गया सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होगा और जब तक यह न कहे कि अपने नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका विचार नहीं है, वह उस प्रश्न को प्रश्न सूची में उसके क्रमांक से पूछेगा.

44. यदि उस समय, जबकि प्रश्न पुकारा जाय, वह सदस्य अनुपस्थित हो जिसके नाम पर वह प्रश्न हो, तो उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दे उस प्रश्न को पूछ सकेगा. **अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न.**

45. (1) जिस प्रश्न की सूचना दी गई हो वह प्रश्न या सदस्यों को वितरित किसी दिन की प्रश्नोत्तर सूची में सम्मिलित कोई प्रश्न और उत्तर तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक कि उन प्रश्नों का उत्तर न दे दिया जाय. **प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन.**

(2) यदि सभा की बैठक निरस्त होने के कारण या कोई भी कार्य संपादित किये बिना उसके स्थगित हो जाने के कारण प्रश्नों का घण्टा निकाल दिया जाये, तो उस दिन के लिये प्रश्नों की सूची में दर्ज समस्त प्रश्न तारांकित तथा अतारांकित आगामी बैठक के लिये अतारांकित प्रश्न समझे जायेंगे और आगामी दिन की कार्यवाहियों में उनके उत्तर सहित मुद्रित किये जायेंगे.

(3) जब बैठक से प्रश्नों का घण्टा निकाल दिया जाये किन्तु स्वयं उस बैठक को निरस्त न किया गया हो तब समस्त तारांकित प्रश्न और उनके अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों सहित, यदि कोई हो, उस दिन की कार्यवाहियों में मुद्रित किये जायेंगे.

46. (1) किसी भी दिन की प्रश्नोत्तर सूची सामान्यतः उस दिन से एक दिन पहले सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी जायेगी जिस दिन ऐसी सूची का उत्तर सभा में दिया जाना है. **प्रश्नोत्तर सूची.**

(2) प्रत्येक दिन की प्रश्नोत्तर सूची के तारांकित भाग में पच्चीस प्रश्नों से अधिक तारांकित प्रश्न सम्मिलित नहीं किये जायेंगे. पच्चीस से अधिक तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित करके तथा एक पृथक शीर्ष के अन्तर्गत उस दिन के अतारांकित प्रश्नों के पहले मुद्रित किया जायेगा.

(3) सर्वप्रथम प्रत्येक दिन की प्रश्नोत्तर सूची के तारांकित भाग में किसी भी एक सदस्य का एक तारांकित प्रश्न से अधिक सम्मिलित नहीं किया जायेगा. प्रश्नों की प्राथमिकता प्रश्नों के उस क्रम अनुसार रखी जायेगी जिस क्रम में सदस्यों के प्रश्न उस दिन की प्रश्नों की शलाका में निकले होंगे. ऐसी स्थिति में जब कि तारांकित भाग के प्रथम चक्र में प्रश्नों की कुल संख्या पच्चीस से कम होती हो तब अन्य सदस्यों का दूसरा प्रश्न उनके प्रश्नों के क्रमानुसार सम्मिलित किया जायेगा जिससे कि तारांकित प्रश्नों की संख्या पच्चीस तक पहुंच जाय.

(4) ऐसी स्थिति में जब किसी प्रश्नोत्तर सूची का कोई तारांकित प्रश्न किसी अन्य तिथि की प्रश्नोत्तर सूची के लिये स्थानांतरित या स्थगित होता है तो उस दिन की प्रश्नोत्तर सूची के तारांकित भाग के प्रश्नों की संख्या पच्चीस से उतनी अधिक हो सकती है जितने प्रश्न इस प्रकार स्थानांतरित अथवा स्थगित हुए हों.

(5) उस दिन की सूची में दर्ज तारांकित प्रश्नों के लिये, उपलब्ध समय के भीतर, अध्यक्ष उस क्रम से पुकारेगा जिस क्रम से सूची में रखे गये हों.

47. प्रश्न की सूचना, ग्राह्यता और प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिये अध्यक्ष विनियम बना सकेगा. **प्रश्नों के बारे में अध्यक्ष द्वारा विनियमन.**

48. (1) अध्यक्ष के तारांकित प्रश्न पुकारने के बाद कोई भी सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय के अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिये, जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा : **अनुपूरक प्रश्न.**

परन्तु किसी भी प्रश्न के ऐसे अनुपूरक प्रश्नों की संख्या 3 से अधिक न होगी, जब तक कि अध्यक्ष इसके लिये अनुमति न दे दें.

(2) अध्यक्ष कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा यदि उसकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भंग होते हों या यदि उसी प्रश्न के बारे में पर्याप्त युक्तियुक्त संख्या में अनुपूरक प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हों.

(3) उस दिन की सूची में सम्मिलित अतारांकित प्रश्नोत्तर पुकारे नहीं जायेंगे किन्तु वे अतारांकित शीर्षक के अन्तर्गत कार्यवाहियों में मुद्रित किये जायेंगे.

49. किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी. **चर्चा का प्रतिषेध.**

50. (1) लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न पूरे इक्कीस दिन से कम की सूचना पर भी पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो यह निदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित मंत्री से पूछताछ की जाये कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि है तो किस तिथि को. **अल्प सूचना प्रश्न.**

(2) यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिये सहमत हो, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा दर्शाये गये दिन को दिया जायेगा और वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिये प्रश्न-सूची में दिये गये प्रश्नों के निपटाये जाने के तुरन्त पश्चात् पुकारा जायेगा.

(3) यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न इतना पर्याप्त लोक महत्व का है कि सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिये तो वह निदेश दे सकेगा कि प्रश्न उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाये, जिस दिन कि नियम 29 के अधीन उसका उत्तर दिया जा सकता हो :

परन्तु किसी एक दिन की प्रश्न सूची में ऐसे एक से अधिक प्रश्न को प्रथम पूर्ववर्तिता प्रदान नहीं की जायेगी.

(4) जब दो या अधिक सदस्य सारतः एक ही विषय पर अल्प सूचना प्रश्न रखें और उनमें से एक प्रश्न अल्प सूचना पर उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया जाये तो अन्य सदस्यों के नाम भी उस सदस्य के नाम के साथ रख दिये जायेंगे जिसका प्रश्न उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया गया हो :

परन्तु अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जांय, यदि उसकी राय में एक ही स्वयंपूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो, जिसमें सदस्यों द्वारा उठाई गयी सब महत्वपूर्ण बातें आ जायें और तब मंत्री उस समेकित प्रश्न का उत्तर देगा :

परन्तु यह और भी कि समेकित प्रश्न की अवस्था में सभी संबंधित सदस्यों के नाम साथ-साथ दिये जा सकेंगे और उनके नाम उनकी सूचना के पूर्ववर्तिता के क्रम में प्रश्न के सामने दिखाये जा सकेंगे.

(5) यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर अल्प सूचना पर चाहे तो वह संक्षेप में अल्प सूचना पर प्रश्न पूछने का कारण बतायेगा. यदि प्रश्न की सूचना में कोई कारण न दिये हों, तो प्रश्न सदस्य को लौटा दिया जायेगा.

(6) यदि किसी सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी हो तो वह उस समय प्रश्न के लिये अपने स्थान पर होगा, जब अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाये और संबंधित मंत्री तुरन्त उत्तर देगा :

परन्तु जब कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम में दिखाया गया हो तो अध्यक्ष प्रथम सदस्य का नाम या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य नाम पुकारेगा.

(7) अन्य प्रकरणों में, अल्प सूचना प्रश्नों के लिये प्रक्रिया वही होगी जो ऐसे रूप भेदों के साथ, जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझें, मौखिक उत्तर के लिये साधारण प्रश्नों के लिये है.

जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर न दिया गया हो, उनके उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

51. जानकारी प्राप्त न होने के कारण जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर नियत तिथि को न दिया गया हो, उन समस्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले सत्र के प्रथम दिन पटल पर रखा जायेगा :

परन्तु ऐसे प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखना आवश्यक न होगा जो सभा के विघटन के ठीक पूर्व के सत्र में पूछे गये थे, चाहे ऐसा विघटन अवधि की समाप्ति पर या अन्यथा हुआ हो.

अध्याय-8 आधे घंटे की चर्चा.

प्रश्नों के उत्तर से उद्भूत किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

52. (1) अध्यक्ष सत्र के प्रत्येक सप्ताह के कोई दो दिन कार्य की समाप्ति के लिये नियत समय से ठीक पूर्व आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिये नियत करेगा. जो सभा के चालू सत्र अथवा उसके ठीक पूर्वगामी सत्र में किसी प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्य विषय के संबंध में विषदीकरण आवश्यक हो चाहे उस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया गया हो या पटल पर रखा गया हो :

परन्तु ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर सदन के पटल पर पूर्ववर्ती सत्र में रखे गये हों, के संबंध में अध्यक्ष विशेष अनुमति से आधे घन्टे की चर्चा हेतु सूचना को ग्राह्य कर सकेंगे :

परन्तु यह और भी कि नियत दिन के लिये रखा गया अन्य कार्य नियत समय के पूर्व आधे घन्टे से पहले समाप्त हो जाये तो आधे घन्टे की कालावधि उस समय से प्रारंभ होगी जबकि ऐसा अन्य कार्य समाप्त हो जाय.

(2) जो सदस्य कोई विषय उठाना चाहे वह उस दिन से, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो दो दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह रखना चाहता हो :

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें उस विषय पर चर्चा उठाने के कारण दिये होंगे :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष संबंधित मंत्री की सम्मति से सूचना की कालावधि संबंधी आवश्यकता को हटा सकेगा.

(3) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि विषय चर्चा के लिये रखे जाने के लिये पर्याप्त लोक महत्व का है या नहीं और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य कर सकेगा जिसका उद्देश्य उसकी राय में शासन की नीति में परिवर्तन करना हो.

(4) यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली गई हों, तो सचिव दो सूचनाएं निकालने के लिये शलाका द्वारा निर्णय करेगा और सूचनाएं उस क्रम में रखी जायेंगी जिस समय क्रम में प्राप्त हुई हों :

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिये रखा गया कोई विषय उस दिन न निबटाया जाये तो वह किसी अग्रेतर दिसन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवस्था में उस अगले प्राप्य दिन के लिये शलाका में सम्मिलित कर लिया जायेगा.

(5) सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा. जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और संबंधित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो, उसे किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विषदीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

अध्याय-9 स्थगन प्रस्ताव.

अध्यक्ष की सम्मति.

53. उन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा.

54. स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन जबकि प्रस्ताव करने का विचार हो, बैठक के आरम्भ होने के कम से कम दो घंटे पूर्व सचिव को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को तीन प्रतियों में दी जावेगी जो प्रतियां निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिये होंगी :-

(1) अध्यक्ष,

(2) संबंधित मंत्री, और

(3) सचिव.

प्रस्ताव करने के अधिकार पर निर्बन्धन.

55. अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा;

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(3) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(4) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(5) प्रस्ताव में उस विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उस सत्र में चर्चा की जा चुकी हो.

(6) प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा न की जायेगी जो विचार के लिये पहले ही नियत किया जा चुका हो यह निर्धारित करने के लिये कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियत वाह्य है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा के सामने आने की संभाव्यता का ध्यान रखेगा.

(7) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हों, और

(8) प्रस्ताव में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सचिव को लिखित सूचना देकर अलग आम प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है.

55-क. साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हों :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हों, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

स्थगन प्रस्ताव करने की अनुमति मांगने की रीति.

56. (1) यदि अध्यक्ष नियम 53 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा :

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 53 के अधीन अपनी सम्मति देने के इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इंकार करना या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जब अध्यक्ष को उसमें वर्णित विषय के संबंध में पूर्ण जानकारी न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इंकार करने के पहले उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ेगा और मंत्री और/या संबंधित सदस्यों के तथ्यों के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य सुनेगा और तब प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में अपना निर्णय देगा.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और यदि तद्नुसार खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या तत्समय गणपूर्ति के लिये सदस्यों की आवश्यक संख्या से कम न हो तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है. यदि पूर्वोक्त संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

प्रस्ताव को लेने का समय.

57. प्रस्ताव 15.00 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय, जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाय, लिया जायेगा.

चर्चा के लिये समय-सीमा.

58. (1) जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे दो घंटे बीत जाने पर, यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो, तो वह आप ही समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् कोई प्रश्न कोई प्रश्न न रखा जा सकेगा.

(2) वाद-विवाद में कोई भी भाषण अध्यक्ष की अनुमति के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक अवधि का न होगा.

अध्याय-10 विधान.

(क) विधेयकों का प्रकाशन तथा पुरःस्थापन.

पुरःस्थापन के पहले प्रकाशन.

59. अध्यक्ष से प्रार्थना की जाने पर, वह किसी विधेयक को उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी ज्ञापन, और उससे संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित राजपत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेगा, यद्यपि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव नहीं रखा गया हो, उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा.

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना.

60. (1) मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा :

परन्तु अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित कर सकेगा.

(2) यदि विधेयक ऐसा विधेयक हो, जो संविधान के अधीन पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन न हो जाये.

(3) इस नियम के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की कालावधि अशासकीय विधेयक के लिये पूरे तीस दिन की होगी, यदि अध्यक्ष इस [illegible] वना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे.

(4) अध्यक्ष किसी विधेयक की सूचना अस्वीकार कर सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2) या नियम 61 या 62 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया हो.

सभा में लंबित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरःस्थापन.

60-क. कोई विधेयक, जो सभा में लंबित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा :

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये केवल तभी लिया जावेगा, जब कि पहला विधेयक सदन द्वारा पारित किया जा चुका हो और राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो.

समान विधेयक की सूचना.

60-ख. जब कोई विधेयक सभा में लंबित हो तब किसी समान विधेयक की सूचना चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात प्राप्त हुई हो, लंबित सूचनाओं की सूची में यथास्थिति निकाल दी जायेगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें.

विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश पहुंचाना.

60-ग. किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किये जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के लिये राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेश लिखित रूप में सचिव को पहुंचाये जायेंगे.

विधेयक का वित्तीय ज्ञापन और विधेयक के धन खण्ड.

61. (1) विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो.

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे :

परन्तु जब किसी विधेयक में कोई खण्ड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छापा गया हो तब अध्यक्ष विधेयक के भारसाधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा.

विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयक का व्याख्यात्मक ज्ञापन.

62. जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये स्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हों, उसके साथ एक ज्ञापन भी होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जावेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की.

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव.

63. यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव के विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव को मत हेतु तुरन्त रखेगा.

पुरःस्थापन के बाद प्रकाशन.

64. विधेयक के पुरःस्थापन किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायेगा यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो.

(ख) विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव.

विधेयक के पुरः-स्थापन के बाद प्रस्ताव.

65. विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) कि उस पर विचार किया जाये; या

(ख) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या

(ग) उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय :

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां :-

(1) प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों, या

(2) ऐसे प्रस्ताव की दशा में जो अधिक से अधिक सात दिन के अन्तर्वर्ती-अवकाश के बाद सत्र के प्रथम दिन किया गया हो ऐसे अवकाश के ठीक पहले दिन को उपलब्ध न करा दी गई हों,

तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के लिये जाने पर आपत्ति कर सकेगा या और यदि अध्यक्ष इस नियम को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव के किये जाने की अनुमति न दें दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी.

सदस्य जो विधेयक के संबंध में प्रस्ताव कर सकेगा.

66. विधेयक के भारसाधक सदस्य को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या पारित किया जाये :

परन्तु यदि किसी विधेयक का भारसाधक सदस्य ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुरःस्थापन के बाद उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत कर सकेगा.

व्याख्या :- परन्तुक में दिये गये उपबन्धों के होते हुए भी वह सदस्य जिसने विधेयक को पुरःस्थापित किया है भारसाधक सदस्य बना रहेगा.

विधेयक के सिद्धान्त की चर्चा.

67. (1) जिस दिन नियम 65 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये उस दिन या उसके बात किसी दिन, जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये, विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो.

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे और खण्ड (क) या (ख) के अधीन अनुज्ञात संशोधन को छोड़कर, कोई संशोधन, नियम 65 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसके विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये; या

(ख) यदि भारसाधक सदस्य प्रस्ताव करे कि उसका विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये.

(3) जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुके और उस पर राय प्राप्त हो चुके, तो भारसाधक सदस्य यदि, वह अपने विधेयक पर उसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये, यदि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

(ग) विधेयक पर प्रवर समिति.

प्रवर समिति की रचना.

68. (1) विधेयक पर प्रवर समिति आठ से कम या पन्द्रह से अधिक सदस्यों की नहीं बनेगी.

(2) विधेयक का भारसाधक सदस्य और विधि मंत्री प्रत्येक प्रवर समिति के सदस्य होंगे और ऐसी समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव में उनके नाम सम्मिलित करना आवश्यक न होगा.

(3) समिति के अन्य सदस्य सभा द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब यह प्रस्ताव किया जाये कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये या जब कि नियम 67 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन संशोधन के रूप में प्रस्ताव किया जाय.

प्रवर समिति की गणपूर्ति.

69. (1) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों की या समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई की, जो भी अधिक हो, होगी.

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिये नियत समय पर या ऐसी बैठक के दौरान में किसी समय पर गणपूर्ति न हो, तो समिति का सभापति या ते उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित रखेगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर देगा.

(3) यदि उपनियम (2) के अनुसरण में प्रवर समिति की बैठकों के लिये नियत की गई लगातार दो तिथियों को समिति स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति उस तथ्य की सूचना सभा को देगा.

प्रवर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित हो सकेंगे.

70. जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के पर्यालोचन के दौरान में उपस्थित रह सकेंगे किन्तु वे न तो समिति को संबोधित कर सकेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे :

परन्तु समिति की अनुज्ञा से मंत्री उस समिति को संबोधित कर सकेगा जिसका कि वह सदस्य न हो.

संशोधन की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया.

70-क.(1) यदि प्रस्थापित संशोधन की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिये जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि सभापति संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी :

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ जो चाहे, रूप भेद के हों अथवा कोई अंश जोड़कर या निकालकर किये गये हों, जैसे अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, यथासाध्य वही होगी जिसका सभा में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान में अनुसरण किया जाता है.

समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन की सूचना.

70-ख. जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खंड में संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जायेगी, परन्तु जब संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो, जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे, जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों.

विशेषज्ञ साक्ष्य लेने की शक्ति.

71. प्रवर समिति विशेषज्ञ-साक्ष्य ले सकेगी और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो.

प्रवर समिति के विनिश्चयों का अभिलेख और उसकी कार्यवाहियों का गोपनीय होना.

72. (1) प्रवर समिति की सब कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी और उसकी सिफारिशें तब तक प्रकट नहीं की जायेंगी जब तक कि प्रतिवेदन सदस्यों के उपयोग के लिये उपलब्ध न किया जा चुका हो या राजपत्र में प्रकाशित न किया जा चुका हो.

(2) समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जायेगा और सभापति के निर्देशन के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा.

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन.

73. (1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सभा द्वारा निश्चित समय, यदि कोई हो, के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो, तब प्रतिवेदन उस सत्र के पश्चात् अगले सत्र में उपस्थापित किया जायेगा जिसमें प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव सभा में स्वीकार किया हो :

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अंतिम.

(3) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं.

(4) जब विधेयक में परिवर्तन किया गया हो तब प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे अपने प्रतिवेदन में विधेयक के भारसाधक सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उसका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिये या जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुनः परिचालन किया जाये.

(5) बैठक में प्रारूप रख दिये जाने के बाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा :

परन्तु यदि समय पर सभा में उपस्थापन हेतु प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये सभापति उपलब्ध न हो, तो वह सदस्य जो समिति की उस बैठक में पीठासीन रहा हो जब कि प्रारूप स्वीकृत किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगा.

(6) प्रवर समिति का कोई सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में चर्चित किसी विषय या विषयों पर विमति टिप्पणी अभिलिखित कर सकेगा यदि समिति की बैठक में, जिसमें उस विषय पर विचार किया गया था, ऐसा विषय उठाया जा चुका हो, और उस सदस्य ने उस पर असहमति अभिव्यक्त की हो.

(7) विमति टिप्पणी विधेयक से संगत विषय की चर्चा तक सीमित होगी, संयत भाषा में लिखी जायेगी; प्रवर समिति में की गई किसी चर्चा को निर्दिष्ट न करेगी, समिति पर आक्षेप न करेगी और वैयक्तिक अभ्युक्तियों से मुक्त होगी.

(8) अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि विमति टिप्पणी या अल्पमत प्रतिवेदन का कोई भाग, जो उपनियम (7) का उल्लंघन करता हो, तो लुप्त किया जाय, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

प्रतिवेदन का मुद्रण और प्रकाशन.

74. सचिव, प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित कराएगा और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध की जाएगी. प्रतिवेदन संशोधित विधेयक सहित सभा में उपस्थापित किये जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

अन्य बातों में लागू होने वाले उपबंध.

75. अन्य बातों में, इन नियमों के अध्याय 22 में सभा समिति के लिए उपबंधित नियम लागू होंगे.

(घ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया.

प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया.

76. (1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद भारसाधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा :-

(एक) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए :

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये दो दिन पूर्व उपलब्ध न कर दी गई हों, तो कोई भी सदस्य उस पर इस तरह विचार किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष इस नियम को निलंबित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवेदन पर विचार किए जाने की अनुमति न दे दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी, या

(दो) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को -

(1) परिसीमा के बिना, अथवा

(2) केवल खास खण्डों या संशोधनों के संबंध में ही, अथवा

(3) प्रवर समिति को विधेयक में कोई खास या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ समिति को पुनः सौंपा जाए, या

(तीन) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिये उसे परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए,

(2) यदि विधेयक का भारसाधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जावे, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाये या उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति.

77. इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये वाद-विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा.

(ङ) खण्डों आदि में संशोधनों तथा विधेयक पर विचार.

संशोधनों की सूचना.

78. (1) जो सदस्य किसी विधेयक में किसी संशोधन का प्रस्ताव करना चाहे वह, उस दिन के विधेयक पर विचार किया जाना हो, उस दिन से एक दिन पूर्व अपने विचार की सूचना देगा, और वह जिस संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है, उसकी एक प्रति सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी संशोधन को एक दिन पूर्व से कम की सूचना पर संशोधन की सूची में दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा.

(2) यदि समय हो तो सचिव, सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध करायेगा जिनकी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हों.

संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें.

79. संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा.

(2) संशोधन विधेयक की प्रगति के दौरान में सभा द्वारा किये गये किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा.

(3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड जिसे संशोधन करने की उसमें प्रस्थापना हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये.

(4) संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाय या उसके बिना बोधगम्य न हो, तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिसमें कि संशोधन माला पूर्ण रूप में बोधगम्य हो जाये.

(5) अध्यक्ष, यह निर्धारित करेगा कि संशोधन किस स्थान पर प्रस्तुत किया जायेगा.

(6) अध्यक्ष, ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो.

(7) जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्थापित किया जा चुका हो, उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा.

संशोधनों की सूचना के साथ संविधान के अधीन आवश्यक मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करना.

80. यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहे जो संविधान के अन्तर्गत आवश्यक पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य इन नियमों द्वारा अपेक्षित सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश की एक प्रतिलिपि भी अनुबद्ध करेगा और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता :

परन्तु पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक नहीं होगी, यदि संशोधन-

(क) विधेयक या संशोधन में प्रस्थापित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या

(ख) ऐसे कर को विद्यमान कर की सीमाओं तक बढ़ाने के लिये हो.

संशोधनों का विन्यास.

80-क. जिन संशोधन की सूचना दी जा चुकी हो, उनका विन्यास समय-समय पर नियमित संशोधन सूची में यथासाध्य उस क्रम में किया जायेगा जिसमें कि वे पुकारे जायें, किसी खण्ड के एक ही स्थान पर एक सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी. उपर्युक्त के अधीन रहते हुए संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जा सकेगा, जिसमें कि उनकी सूचनायें प्राप्त हुई हों.

संशोधनों का क्रम.

81. (1) साधारणतया खण्डों पर और खण्डों के संशोधनों पर, जिनसे वे क्रमशः संबंधित हों, यथास्थिति उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से खण्ड विधेयक में हों, और ऐसा कोई खण्ड विचारार्थ लिया जाये तब उसके संबंध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा, कि "यह खण्ड विधेयक का अंग बने."

(2) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेगा.

संशोधन प्रस्तुत करने की रीति.

81-क. जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी उसने पहले सूचना दे दी हो :

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के संबंध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी.

संशोधनों की वापसी.

82. प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन, प्रस्तावक सदस्य की प्रार्थना पर, सभा की अनुमति से ही वापस लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं, यदि किसी संशोधन पर संशोधन प्रस्थापित किया गया हो, तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा, जब तक कि उस पर प्रस्थापित संशोधन न निपटा दिया जाये.

विधेयक का खंडशः रखा जाना.

83. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी; जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो गया हो, तब यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा कि वह विधेयक को या विधेयक के किसी भाग को खण्डशः सभा के सामने रखें, जब उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय तब अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग पुकारेगा और जब उससे संबंधित संशोधन निपटाये जा चुके हों, तब प्रश्न रखेगा कि "यह खण्ड (या कि यह खण्ड संशोधित रूप में यथास्थिति) विधेयक का अंग बने."

खंड पर विचार का विलंबन.

84. यदि अध्यक्ष, ठीक समझे तो वह खण्ड पर विचार विलंबित कर सकेगा.

अनुसूचियों पर विचार.

85. यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियां हों, तो उन पर विचार, खण्डों पर विचार के बाद होगा. अनुसूचियां अध्यक्ष द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी, जैसे कि खण्ड और नई अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा तब यह प्रश्न रखा जाएगा कि "यह अनुसूची (या कि यह अनुसूची संशोधित रूप में यथास्थिति) विधेयक का अंग बने." :

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खण्डों को निपटाये जाने के पहले या किसी खण्ड के साथ या अन्यथा, जैसा कि वह ठीक समझे, विचार किये जाने की अनुमति दे सकेगा.

खण्डों और अनुसूचियों पर मतदान.

86. अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे तो खण्डों और/या अनुसूचियों को अथवा संशोधित रूप में खंडों और/या अनुसूचियों को, यथास्थिति एक साथ एक प्रश्न के रूप में सभा के मतदान के लिये रख सकता है :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची यथास्थिति पृथक् रूप से मतदान के लिये रखी जाए, तो अध्यक्ष उस खण्ड या अनुसूची को अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को यथास्थिति पृथक् रूप से रखेगा.

विधेयक का खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम.

87. विधेयक के खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, यदि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलंबित रखा जायेगा जब तक कि अन्य खण्ड तथा अनुसूचियां (नये खण्ड तथा नई अनुसूचियों सहित) न निपटा दी जाए, और अध्यक्ष तब प्रश्न रखेगा कि "खण्ड एक या अधिनियमन सूत्र या प्रस्तावना या नाम (या कि संशोधित रूप में खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना या नाम यथास्थिति) विधेयक का अंग बने."

(च) विधेयकों का पारण तथा प्रमाणीकरण.

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव.

88. (1) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय स्वीकार हो गया हो और विधेयक में संशोधन न किया जाय, तब भारसाधक सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) यदि विधेयक में कोई संशोधन किया गया हो तो कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जाय के उसी दिन किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी, जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति न दे दें.

(3) जब यह आपत्ति अभिभावी हो तब यह प्रस्ताव कि विधेयक पारित किया जावे किसी अगले दिन लाया जा सकेगा.

(4) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शाब्दिक या स्पष्टीकरणात्मक न हो या विधेयक पर विचार किये जाने के बाद किए गए संशोधन के कारण आनुषंगिक न हो.

वाद-विवाद की व्याप्ति.

89. इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिये दिये गए प्रतर्कों तक सीमित होगी. भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे क उससे अधिक निर्देश नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो जो कि सामान्य रूप के होंगे और भाषण को ऐसे विषयों तक न बढ़ाया जाएगा जो उस विधेयक सम्मिलित न हों.

विधेयक का प्रमाणीकरण.

90. (1) जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित किया जा चुके तब यदि आवश्यक हो, तो सचिव खण्डों को पुनरांकित करेगा, उसकी पार्श्व टिप्पणियों का पुनरीक्षण करेगा और उनको पूरा करेगा और उसमें केवल औपचारिक या आनुषंगिक संशोधन करेगा, जैसा अपेक्षित हो और राष्ट्रपति के विचारार्थ किये जाने वाले विधेयक की तीन प्रतियां तथा राज्यपाल को अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक की दो प्रतियां, अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेंगी और वह उन पर हस्ताक्षर करेगा.

परन्तु अध्यक्ष के रायपुर से अनुपस्थित होने पर सचिव अविलम्बनीयता की अवस्था में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकेगा.

(2) राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक की एक प्रति सत्यापन और अभिलेख के लिए सुरक्षित रख दी जायेगी और अध्यक्ष की अनुमति बिना सभा की अभिरक्षा से बाहर ले जाने नहीं दी जाएगी.

(छ) राज्यपाल द्वारा लौटाए गये विधेयकों पर पुनर्विचार.

91. (1) जब सभा द्वारा पारित कोई विधेयक सभा को राज्यपाल द्वारा एक संदेश के साथ लौटाया जाये जिसमें यह कहा गया हो कि सभा विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर जिनकी संदेश में सिफारिश की गई हो, पुनर्विचार करे तो अध्यक्ष, राज्यपाल के संदेश को सभा में, यदि वह सत्र में हो पढ़कर सुनाएगा अथवा यदि सभा सत्र में न हो तो यह निर्देश देगा कि उसे सदस्यों की जानकारी के लिए पत्रक में प्रकाशित कर दिया जाय. **राज्यपाल का संदेश.**

(2) उसके पश्चात् विधेयक को सभा द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाये गये रूप में पटल पर रखा जायेगा.

92. विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात किसी समय शासकीय विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य की दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव रखने के अभिप्राय की सूचना दे सकता है कि राज्यपाल द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन पर विचार किया जाये. **संशोधनों पर विचार के प्रस्ताव की सूचना.**

93. विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में जिस दिन रखा गया हो, और वह दिन जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें सूचना की प्राप्ति के बाद दो दिन से पहले नहीं होगा, उस दिन सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाये. **विचार करने का प्रस्ताव.**

94. ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद, राज्यपाल के संदेश में निर्दिष्ट विषयों तक या राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधनों के विषय से संगत किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा. **वाद-विवाद की व्याप्ति.**

95. यदि यह प्रस्ताव कि जिन संशोधनों की सिफारिश राज्यपाल ने की है, उन पर विचार किया जावे, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष उन संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसे ढंग से रखेगा जिसे कि वह उन पर विचार करने के लिये अधिकतम सुविधाजनक समझे. **संशोधन पर विचार.**

96. कोई संशोधन जो राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन के विषय से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है, परन्तु विधेयक पर अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो. **संशोधन पर विचार करने की प्रक्रिया.**

97. जब सभी संशोधन निपटाए जा चुके हों तो नियम 92 के अधीन प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता हे कि विधेयक को, यथास्थिति सभा द्वारा मूलतः पारित रूप में अथवा संशोधित रूप में, पुनः पारित किया जाए. **विधेयक का पुनः पारण.**

98. यदि यह प्रस्ताव पारित न हो कि राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय तो नियम 92 के अधीन प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य तत्काल यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाय. **संशोधन से सभा की असहमति.**

(ज) सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण.

99. जब कोई विधेयक सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय तथा वह सभा के कब्जे में हो, तो विधेयक पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे और उसे राज्यपाल के समक्ष निम्नलिखित रूप में उपस्थित किया जाएगा :- **सभा द्वारा पुनः पारित विधेयक का प्रमाणीकरण.**

"उक्त विधेयक संविधान् के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अनसुरण में सभा द्वारा पुनः पारित किया गया है.

अध्यक्ष"

परन्तु अध्यक्ष के रायपुर से अनुपस्थित होने पर सचिव अविलम्बनीयता की अवस्था में अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकेगा.

100. संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन जब राज्यपाल किसी अध्यादेश का प्रख्यापन करे तब उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसे अध्यादेश की मुद्रित प्रतियां सभा के सदस्यों के लिये उपलब्ध की जावेंगी. सभा के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह के भीतर सचिव को पूरे तीन दिन की सूचनायें देने के पश्चात् कोई सदस्य अध्यादेश के अननुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा.

राज्यपाल के अध्यादेशों की चर्चा.

101. (1) जब कभी कोई विधेयक किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूप भेद सहित या उनके बिना सभा में पुरःस्थापित किया जाए तो विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी सभा के सामने रखा जाएगा जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था.

अध्यादेशों के संबंध में विवरण.

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय जिसमें सभा के सामने लम्बित किसी विधेयक के उपबंध पूर्णतः या अंशतः या रूप भेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारंभ में पटल पर रख दिया जावेगा.

(झ) विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना.

102. सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए.

विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन.

103. विधेयक का भारसाधक सदस्य, विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि :-

विधेयक की वापसी.

(क) विधेयक से अन्तर्विष्ट विधायनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध में सारवान रूप से फेर-बदल हो जाएगी;

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है, जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबन्ध सम्मिलित हों, और यदि ऐसी अनुमति दी जाय, तो उस विधेयक के संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा :

परन्तु जब कोई विधेयक यथास्थिति, सभा के प्रवर समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वतः समिति को सौंपी गई मानी जाएगी और समिति द्वारा सभा को दिए गए प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य सूची में रखा जाएगा.

103-क. यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो, अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले का विरोध करने वाले तथा प्रस्तावक सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा और उसके बाद अग्रेतर वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेगा.

वापसी के प्रस्ताव को प्रस्तुत या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य.

विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना.

104. जब सभा द्वारा किसी विधेयक के बारे में इन नियमों के अधीन निम्नलिखित मूल प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया जाय, तो उस विधेयक के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और ऐसा विधेयक सभा में लंबित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा :-

(1) कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय;

(2) कि विधेयक पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाय;

(3) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय;

(4) कि विधेयक पर विचार किया जाय;

(5) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय; और

(6) कि विधेयक को (या विधेयक को संशोधित रूप में यथास्थिति) पारित किया जाय.

विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिये विशेष उपबन्ध.

104-क. सभा के सामने लंबित कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी सभा में लंबित विधेयक की पंजी से हटा दिया जायेगा, यदि :-

(क) भारसाधक सदस्य सभा का सदस्य न रहे, या

(ख) भारसाधक सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाय.

(ञ) संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्रक्रिया.

संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन.

105. (1) संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के लिये सूचना या संदेश प्राप्त होने पर उस विधेयक एवं तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतिलिपि सहित सभा के पटल पर रखा जायेगा.

(2) अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से, उस पर चर्चा के लिये तिथि नियत करेगा.

(3) संकल्प पर चर्चा से संबंधित नियम और आदेश ऐसे संकल्प की चर्चा पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

(4) सभा द्वारा पारित हो जाने पर संकल्प की प्रतिलिपि सचिव द्वारा शासन तथा संसद को भेजी जावेगी, संकल्प के पारित न होने की दशा में तद्विषयक सूचना भेज दी जावेगी.

अध्याय-11 याचिकाएं.

106. अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित पर याचिकाएं सभा में उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी :- **याचिकाएं.**

(1) ऐसा विधेयक जो नियम 59 के अधीन प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो;

(2) सभा के सामने लंबित कार्य से संबंधित कोई विषय; और

(3) सामान्य लोकहित का कोई भी विषय परन्तु वह ऐसा न हो :-

(क) जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग की जानकारी में हो;

(ख) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या

(ग) जिसके लिये विधि के अधीन उपचार उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उपविधि सम्मिलित है, जो किसी विधि के अधीन बनाये गये हों.

107. (1) पहली अनुसूची में याचिका का दिया गया सामान्य प्रपत्र ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उपयोग में लाया जाय, तो वह पर्याप्त होगा. **याचिका का सामान्य प्रपत्र.**

(2) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण और संयत भाषा में लिखी जायेगी.

108. याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और वह यदि साक्षर हो तो उसके हस्ताक्षर से और यदि निरक्षर हो, तो उसके अंगूठे के निशान से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा. **याचिका के हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रमाणीकरण.**

109. किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा. **याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जायेगा.**

110. यदि याचिका किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित की जाये, तो ऐसी प्रत्येक याचिका पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा. **प्रति हस्ताक्षर.**

111. प्रत्येक याचिका सभा को संबोधित की जायेगी और जिस विषय से उसका संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी. **याचिका किसे संबोधित की जायेगी और किस प्रकार समाप्त की जायेगी.**

112. याचिका सदस्य द्वारा उपस्थापित की जा सकेगी या सचिव को भेजी जा सकेगी जो उस दशा में यह तथ्य सभा को सूचित करेगा और ऐसी सूचना देने पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी. **याचिका का उपस्थापन.**

113. याचिका उपस्थापित करने वाला सदस्य अपने को निम्नलिखित कथन तक ही सीमित रखेगा :- **याचिका का रूप.**

"मैं .... के संबंध में .... याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं.
और इस कथन पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी".

114. प्रत्येक याचिका, यथास्थिति, सदस्य द्वारा उपस्थापित किये जाने के बाद या सचिव द्वारा प्रतिवेदित किये जाने के बाद और जब विधान सभा सत्र में न हो, तब प्राप्त हुई याचिका यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दे, याचिका समिति को सौंप दी जायेगी. **समिति को निर्देश.**

अध्याय-12 प्रत्यायुक्त विधान.

विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना.

115. (1) जब किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित विधान-कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखे जायें, तो तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि, जिनके लिये उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के पहले पूरी की जायेगी, जब तक कि तत्संगत अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो.

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे जब तक कि उक्त कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाये.

संशोधन पर चर्चा के लिये समय का नियतन.

116. अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाये, विचार करने और उसे पारित करने के लिये एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग, जैसा कि वह ठीक समझे, निश्चित करेगा :

परन्तु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे और उसमें इन नियमों का पालन किया जायेगा.

अध्याय-13 संकल्प.

117. मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य, जो सामान्य लोक हित के विषय से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हो संकल्प की सूचना संकल्पों के लिए नियत दिन के पूरे पन्द्रह दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ उस संकल्प की एक प्रति भेजेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो : **संकल्प की सूचना.**

परन्तु अध्यक्ष किसी संकल्प को पन्द्रह दिन से कम की सूचना पर कार्यसूची में दर्ज करने की अनुमति दे सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जब तक किसी सदस्य ने अध्यक्ष की विशेष अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो, तब तक उसे सभा के सत्र के लिए तीन से अधिक संकल्पों की सूचना देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी.

118. संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन व्यक्त किया जाय या कोई संदेश दिया जाय या किसी कार्यवाही के लिए संस्तवन, अनुरोध या प्रार्थना की जाय या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन द्वारा पुनर्विचार के लिए ध्यान-आकर्षित किया जाय या वह किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझे. **संकल्प का रूप.**

119. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा. **संकल्प का विषय.**

120. कोई संकल्प ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् :- **संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें.**

(1) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया व्यक्त किया जायेगा और उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा;

(2) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(3) उसमें तथ्य के ऐसे विषय का उल्लेख न होगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो या जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किये गये आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो;

(4) उसमें किसी व्यक्ति की पदेन या सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उसके चरित्र या आचरण का निर्देश नहीं होगा; और

(5) उसमें अपने कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण का उल्लेख नहीं होगा.

121. (1) अध्यक्ष यह विनिश्चित करेगा कि संकल्प नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह ऐसे किसी संकल्प को अस्वीकृत कर सकेगा, जो उसकी राय में इन नियमों का पालन न करता हो : **अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता विनिश्चित करेगा.**

परन्तु वह उसके रूप में संशोधन कर सकेगा या संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने का अवसर दे सकेगा.

(2) अध्यक्ष किसी संकल्प या उसके किसी भाग को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकेगा कि वह ऐसे विषय से संबंधित है, जो मुख्यतः राज्य शासन का विषय नहीं है या जो लोकहित के लिए अहितकर है.

122. (1) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, पुकारे जाने पर, संकल्प प्रस्तुत करेगा और उस दशा में, कार्य सूची में दिये गये रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ, वह अपना भाषण प्रारंभ करेगा :

संकल्प का प्रस्तुत किया जाना.

परन्तु कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से किसी अन्य सदस्य को जिसके नाम में वही संकल्प की सूची में नीचे दिया हुआ हो उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का प्राधिकार दे सकेगा और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे तद्नुसार प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) यदि कोई सदस्य पुकारे जाने के समय पर अनुपस्थित हो, तो उसके द्वारा उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से उसके नाम में रखा हुआ संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा.

123. (1) संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई सदस्य संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा.

संशोधनों की सूचना.

(2) यदि ऐसे संशोधन की सूचना संशोधन की एक प्रति सहित उस दिन से तीन दिन पूर्व न दी गई हो, जो कि संकल्प पर चर्चा के लिये नियत किया गया हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी.

(3) यदि समय हो तो सचिव सदस्यों को समय-समय पर उन संशोधनों की सूची उपलब्ध करायेगा जिनकी सूचनायें प्राप्त हुई हो.

124. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

भाषणों के लिये समय-सीमा.

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और संबंधित मंत्री प्रथम बार भाषण देते समय तीस मिनट तक, या उससे इतने अधिक समय तक जितने की अध्यक्ष अनुज्ञा दे, भाषण दे सकेंगे.

125. संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी.

चर्चा की व्याप्ति.

126. (1) कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो वह, पुकारे जाने पर संकल्प वापस ले सकेगा और उस अवस्था में वह अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा.

संकल्प और संशोधन की वापसी.

(2) जिस सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया हो वह उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लेगा.

(3) यदि किसी संकल्प पर, जो ग्राह्य किया गया हो, सत्र के दौरान में चर्चा न हुई हो तो वापस लिया गया समझा जायेगा.

127. जब अनेक विषयों से अन्तर्ग्रस्त किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष संकल्प को विभाजित कर सकेगा और जैसा वह उचित समझे प्रत्येक विषय या कोई विषय मत के लिये अलग-अलग रख सकेगा.

संकल्प को विभाजित करना.

128. (1) जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका हो तो सारतः वही विषय उठाने वाला कोई अन्य संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा.

संकल्प की पुनरावृत्ति.

(2) जब कोई संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया हो तो सारतः वही विषय उठाने वाला कोई अन्य संकल्प उसी सत्र के दौरान में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा.

129. सभा द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति संबंधित मंत्री के पास भेजी जायेगी.

मंत्री के पास पारित संकल्प की प्रति भेजना.

अध्याय 14-प्रस्ताव.

130. संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी.

लोक हित के किसी विषय पर चर्चा.

131. प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को संबोधित होगी.

प्रस्ताव की सूचना.

132. कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् :-

प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें.

(1) उसमें सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा;

(2) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(3) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा;

(4) वह हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा;

(5) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(6) उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं चलाई जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;

(7) उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो;

(8) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो.

133. अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसके कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरूपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो.

अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.

134. साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा उठाने के लिये प्रस्ताव.

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

135. अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा नेता के परामर्श से किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा.

समय का नियतन और प्रस्तावों पर चर्चा.

136. अध्यक्ष, यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

अध्यक्ष निश्चित समय पर प्रश्न रखेगा.

137. अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगा.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

अध्याय 15-ध्यान आकर्षण.

ध्यान आकर्षण के बारे में प्रक्रिया.

138. (1) कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेगा :

परन्तु कोई सदस्य एक बैठक के लिये ऐसी दो से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकेगा.

(2) ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाय, कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु प्रत्येक सदस्य, जिनके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा :

परन्तु कार्य सूची में तीन से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाये जायेंगे.

व्याख्या - (एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायेगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है.

(दो) पूर्वाह्न 9 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये दिया गया समझा जायेगा.

एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे.

(4) एक ही दिन के लिये एक से अधिक विषय उपस्थित किये जाने की स्थिति में उस विषय को पूर्ववर्तिता दी जायेगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो.

(5) प्रस्तावित विषय प्रश्नों के बाद और कार्यसूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले उठाया जायेगा और सभा की बैठक के दौरान में अन्य किसी समय नहीं.

(6) वे सभी सूचनाएं जो उसी बैठक में नहीं ली गई है जिसके लिये कि वे दी गई थीं, उस बैठक की समाप्ति पर व्यपगत हो जायेंगी जब तक कि अध्यक्ष ने उन्हें किसी बाद की बैठक के लिये ग्रहीत न कर लिया हो.

अध्याय 16-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

चर्चा उठाने की सूचना.

139. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख करते हुए सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न होगी :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा.

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.

140. यदि सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाये जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा और सभा नेता के परामर्श से ऐसी तिथि निश्चित कर सकेगा जब ऐसा विषय चर्चा के लिये लिया जा सके और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो डेढ़ घंटे से अधिक न हो :

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिये अन्य अवसर जल्दी उपलब्ध होने वाला हो, तो अध्यक्ष सूचना ग्रहण करने से इंकार कर सकेगा.

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जावेगा.

141. सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा. जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

142. अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय सीमा विहित कर सकेगा.

अध्याय 16-क - अल्पकालीन चर्चा.

चर्चा उठाने की सूचना.

142-क. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा.

अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय और समय का नियतन करेगा.

142-ख. (1) यदि अध्यक्ष की, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे समाधान हो जावे कि विषय अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाए जाने के लिये पर्याप्त महत्व का है तो वह सूचना ग्राह्य कर सकेंगे :

परन्तु यदि ऐसे विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना ग्राह्य करने से इंकार कर सकेंगे.

(2) अध्यक्ष एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत कर सकेंगे जब ऐसे विषय चर्चा हेतु लिये जा सकें और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो 45 मिनट से अधिक न हो.

कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जावेगा.

142-ग. सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा. जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

142-घ. अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगा.

अध्याय 17-मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव और पद त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य.

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव.

143. (1) मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) प्रस्ताव करने की अनुमति सदस्य को अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मांगनी होगी;

(ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को प्रातः 10.00 बजे के पूर्व सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी.

परन्तु यह और भी कि किसी दिन 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त प्रस्ताव की सूचना आगामी बैठक की तिथि पर 10.00 बजे प्राप्त होना मानी जाएेगी.

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वह सभा में प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा और उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा और यदि तद्नुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से कम से कम दशांश सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जायेगा जो अनुमति मांगने की तिथि से दस दिन से अधिक बाद का न हो यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

(3) यदि उपनियम (2) के अधीन अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा.

(3-क) प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य या सदस्यों द्वारा यथास्थिति चर्चा के दौरान, लगाये जाने वाले आरोपों की लिखित सूचना सदस्य द्वारा नियत अवधि के पूर्व सचिव को दी जावेगी.

(4) अध्यक्ष, यथास्थिति, नियत दिन या दिनों में से अंतिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(5) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, भाषणों के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगा.

मंत्री का वक्तव्य जिसने पद त्याग किया हो.

144. (1) जो सदस्य मंत्री पद का त्याग कर दे वह, अध्यक्ष की सम्मति से अपने पद त्याग के स्पष्टीकरण के लिये व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा.

(2) जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सभा के नेता को भेजी जायेगी :

परन्तु लिखित वक्तव्य के अभाव में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बात या उसका सार अध्यक्ष और सभा नेता को जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले भेजा जायेगा :

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु उसके दिये जाने के बाद कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा.

अध्याय 18-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिये संकल्प.

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संकल्प की सूचना.

145. (1) कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अधीन किसी संकल्प की सूचना देना चाहे वह उसे लिखित रूप में सचिव को देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये किसी दिन की कार्य-सूची में संबंधित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जायेगा, परन्तु इस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन बाद का कोई दिन होगा.

संकल्प को लेने के लिये सभा की अनुमति.

146. (1) संविधान के अनुच्छेद 181 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब नियम 145 के उपनियम (2) के अधीन कोई प्रस्ताव विचार के लिये लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा.

(2) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो, वह सिवाय उस दशा में जब कि वह उसे वापस लेना चाहता हो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा किन्तु इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी.

(3) उसके बाद, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति प्रस्ताव को सभा के सामने रखेगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिये प्रार्थना करेगा यदि तद्नुसार समस्त सदस्यों की संख्या में से कम से कम दशांश सदस्य खड़े हो जायें, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति कहेगा कि अनुमति दी गई है और यह कि संकल्प किसी ऐसे दिन लिया जायेगा, जो वह नियत करे और जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद की न हो, यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

नियत दिन की कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना.

147. संकल्प नियत दिन की कार्य-सूची में विचार के लिये सम्मिलित किया जायेगा.

भाषणों के लिये समय-सीमा.

148. किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी :

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय इतने अधिक समय तक भाषण दे सकेगा जितने कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति अनुज्ञा दे.

अध्याय 19-वित्तीय विषयों में प्रक्रिया.

(क) आय-व्ययक.

149. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् "आय-व्ययक" कहा गया है) सभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जायेगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दें. — आय-व्ययक.

150. आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन कि वह सभा में उपस्थापित किया जाय. — उपस्थापन के दिन आय-व्ययक पर चर्चा न होना.

(ख) अनुदानों की मांगें, आय-व्ययक पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान

151. (1) शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्तावित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृथक् मांग की जाएगी, परन्तु वित्त मंत्री दो या अधिक विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों को एक मांग में सम्मिलित कर सकेगा या ऐसे व्यय के संबंध में एक मांग कर सकेगा, जिसका वर्गीकरण किसी एक विभाग के अन्तर्गत सहज में न किया जा सके. — अनुदानों की मांगें.

(2) प्रत्येक मांग से पहले समग्र प्रस्तावित अनुदान का विवरण दिया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत प्राक्कलन का यथा व्यवहार्य, मदों में विभाजित विवरण दिया जायेगा.

152. (1) जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाये उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने वाले दिन और उतने समय के लिये जितना कि अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिये नियत करे, सभा संपूर्ण आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी, किन्तु इस प्रक्रम में न तो कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और न ही आय-व्ययक सभा में मतदान के लिये रखा जायेगा. — आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा.

(3) अध्यक्ष, यदि ठीक समझे, भाषणों के लिये समय सीमा विहित कर सकेगा.

153. (1) अध्यक्ष, सभा नेता से परामर्श करने के बाद अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये उतने दिन नियत करेगा जो लोकहित में सुसंगत हो. — अनुदानों पर मतदान.

(2) अध्यक्ष, नियत दिनों के अंतिम दिन 4 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो कि अध्यक्ष पहले से ही निश्चित कर दे अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(3) किसी अनुदान को कम करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

(4) किसी अनुदान को कम करने के प्रस्तावों में संशोधनों की अनुज्ञा नहीं होगी.

(5) जब एक ही मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिये जायें तब उन पर उस क्रम में चर्चा होगी जिस क्रम में उनसे संबंधित शीर्षक आय-व्ययक में दिये गये हों.

154. यदि अनुदान को कम करने के किसी प्रस्ताव की सूचना मतदान के लिये नियत प्रथम दिन के पूरे चार दिन पहले न दी गई हो तो कोई सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत करने पर आपत्ति कर सकता है और जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दें तब तक ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी. — कटौती प्रस्तावों की सूचना.

कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तें.

154-क. मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिये वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी अर्थात् :-

(1) उसका संबंध केवल एक मांग से होगा;

(2) वह स्पष्टतया व्यक्त की जावेगी और उसमें प्रतर्क वर्णन, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यरोप, विशेषण, मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(3) वह एक ही विशिष्ट विषय तक सीमित रखी जायेगी, उसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जायेगा;

(4) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जावेगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(5) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिये सुझाव नहीं दिये जायेंगे;

(6) वह ऐसे विषय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया छत्तीसगढ़ सरकार का विषय न हो;

(7) उसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होगा, जो कि छत्तीसगढ़ की संचित निधि पर भारित हो;

(8) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो;

(9) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(10) उसमें ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो;

(11) उसमें उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी जो विचार के लिये पहले ही नियत किया जा चुका हो;

(12) उसमें साधारणतया ऐसे विषय पर चर्चा नहीं उठाई जायेगी जो कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है; और

(13) उसका संबंध तुच्छ विषय से नहीं होगा.

अध्यक्ष कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.

154-ख. अध्यक्ष, विनिश्चय करेगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरूपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो.

लेखानुदान.

155. (1) लेखानुदान के प्रस्ताव में अपेक्षित समग्र राशि बताई जायेगी और पृथक-पृथक विभागों या व्यय के मद के लिये आवश्यक विभिन्न धनराशियां जिनसे वह समग्र राशि बनी है, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में बतायी जावेगी.

(2) संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिये या जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनको कम करने या निकाल देने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

(3) प्रस्ताव पर या उसमें प्रस्तावित किये गये संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति होगी, किन्तु अनुदान के ब्यौरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि सामान्य विषयों को बताने के लिये आवश्यक हो.

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो.

अनुपूरक, अपर अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्यानुदान.

156. (1) अनुपूरक, अपर अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्यानुदान, परिवर्तन, परिवर्द्धन या लोपन करने वाले ऐसे अनुकूलनों के अधीन जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक या वांछनीय समझे, उस प्रक्रिया से विनियमित होंगे जो अनुदानों की मांगों के संबंध में लागू होता है.

अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की व्याप्ति.

(2) अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिन पर अनुपूरक अनुदान बताये गये हों और जब तक तद्धीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कई चर्चा नहीं होगी.

सांकेतिक अनुदान.

157. जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिये पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके, तो सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिये रखी जा सकेगी और यदि सभा मांग की अनुमति दे दे तो धन उस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा.

(ग) विनियोग विधेयक.

विनियोग विधेयक.

158. (1) संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया, ऐसे रूप भेदों के साथ, जैसे अध्यक्ष आवश्यक समझे वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिये होती है.

(2) सभा में विनियोग विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष सभा द्वारा विधेयक के कारण में अन्तर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिये संयुक्त रूप से अलग-अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा और जब ऐसा नियतन किया जा चुका हो तो अध्यक्ष, यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन 17.00 बजे उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिये वह या वे दिन नियत किये गये हों, सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(3) अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, सभी या किसी प्रक्रम पर, जिसके लिये पिछले उपनियम के अधीन एक या कई दिन नियत किये गये हों, भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगा.

विनियोग विधेयक पर चर्चा.

159. (1) विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं.

(2) अध्यक्ष, वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से, विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों को उन विशिष्ट विषयों की पूर्व सूचना देने को कह सकेगा जो वे उठाना चाहते हों और वह ऐसे विषयों को उठाने के लिये अनुज्ञा रोक सकेगा जो उसकी राय में किसी अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा किये गये विषयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक-महत्व के न हों.

(3) यदि विनियोग विधेयक किसी वर्तमान सेवा के संबंध में अनुपूरक अनुदान के अनुसरण में हो तो चर्चा केवल उन्हीं मदों तक सीमित रहेगी जिनसे वह अनुदान बना हो और जहां तक चर्चाधीन खास मद की व्याख्या करने या उसे स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर उससे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी.

कार्य जो किसी प्रकार के वित्तीय कार्य के लिये नियत किसी दिन लिया जा सकता है.

160. इस बात के होते हुए भी कि कोई दिन नियम 152, 153 और 158 के अधीन अन्य कार्य के लिये नियत किया जा चुका हो, उस दिन सभा द्वारा वह कार्य करने से पहले, जिसके लिये वह दिन नियत किया गया हो, विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव किया जा सकेगा और विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकेगा.

वित्तीय कार्य के निबटाने के लिये समय-सीमा.

161. इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त वह ऐसी सब शक्तियों का भी प्रयोग कर सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करन के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो और विशेषतः वह विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निबटाने के लिये समय नियत कर सकेगा और जब इस तरह समय नियत किया जाये तो वह निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके लिये समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

व्याख्या :- वित्तीय कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है, जिसे अध्यक्ष संविधान के अधीन इस वर्ग का कार्य ठहराये.

अध्याय 20-राज्यपाल तथा सभा के बीच संवाद.

राज्यपाल से सभा के संवाद.

162. राज्यपाल से सभा को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किये हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जायेगा या यदि राज्यपाल सभा की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हों तो उसका संदेश मंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को भेजा जायेगा.

सभा से राज्यपाल को संवाद.

163. सभा से राज्यपाल को संवाद -

(1) सभा में प्रस्तुत किये जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेदन द्वारा; और

(2) अध्यक्ष के माध्यम से किया जायेगा.

अध्याय 20-अ-सभा की गोपनीय बैठक.

गोपनीय बैठक.

163-क. (1) सदन नेता द्वारा प्रार्थना की जाने पर अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिये निश्चित करेगा.

(2) जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा भवन, सभा कक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं होगी :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सभा भवन, सभा कक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रह सकेंगे.

कार्यवाही का वृत्तांत.

163-ख. अध्यक्ष किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत ऐसी रीति से निकलवा सकेगा जो वह ठीक समझे परन्तु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गोपनीय बैठक की किसी कार्यवाही या विनिश्चयों की, चाहे अंशतः अथवा पूर्णतः कोई टिप्पणी या अभिलेख नहीं रखेगा और न ऐसी कार्यवाही का वृत्तांत निकालेगा या उसके वर्णन की चेष्टा करेगा.

अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया.

163-ग. गोपनीय बैठक के संबंध में अन्य सब प्रकरणों में प्रक्रिया ऐसे निर्देशों के अनुसार होगी जो अध्यक्ष दे.

गोपनीयता का प्रतिबंध हटाना.

163-घ. (1) जब यह समझा जाये कि किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष की सम्मति के अधीन रहते हुए सदन नेता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि गोपनीय बैठक के दौरान में सभा की कार्यवाही को अब गोपनीय न समझा जावे.

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रस्ताव के सभा द्वारा स्वीकार होने पर सचिव, गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत तैयार करवायेगा और उसे, यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगा, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे.

कार्यवाही या विनिश्चय का प्रकट किया जाना.

163-ङ. नियम 163-घ, के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही या विनिश्चयों का किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से प्रकट किया जाना सभा के विशेषाधिकार का घोर भंग समझा जायेगा.

अध्याय 21-विशेषाधिकार.

(क) विशेषाधिकार के प्रश्न.

164. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठा सकेगा. **अध्यक्ष की सम्मति.**

165. जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा. यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा. **विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना.**

166. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :- **विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें.**

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे.

(2) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक निर्बन्धित रहेगा.

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो.

167. (1) यदि अध्यक्ष, नियम 164 के अधीन सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है, तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा, जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा : **विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति.**

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 164 के अधीन अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो यदि वह आवश्यक समझे उस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़कर सुना देगा और कह देगा कि उसने सम्मति देने से इंकार किया है या वह विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता :

परन्तु यह और भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के संबंध में समाधान हो जाय, तो वह प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद बैठक के दौरान में किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा.

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेगा और तद्नुसार यदि कम से कम दस सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा, कि अनुमति दी जाती है. यदि दस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है.

168. यदि नियम 167 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी. **विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना.**

169. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी अध्यक्ष कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार-समिति को सौंप सकेगा और इसकी सूचना यथासमय सभा को दी जायेगी. **विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को सौंपने की अध्यक्ष की शक्ति.**

170. अध्यक्ष, विशेषाधिकार-समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे. **प्रक्रिया का विनियमन**

(ख) सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की अध्यक्ष को सूचना.

दण्डाधिकारी द्वारा सदस्य के बन्दीकरण निरोध आदि की अध्यक्ष को सूचना.

171. जब कोई सदस्य किसी दंड दोषारोप पर या किसी दण्ड अपराध के लिये बन्दी किया जाये या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाये या किसी कार्यपालिका आदेश के अधीन निरुद्ध किया जाये तो यथास्थिति सम्पर्क न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तुरन्त ऐसे तथ्य की सूचना द्वितीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथा स्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए अध्यक्ष को देगा.

सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना.

172. जब कोई सदस्य बन्दी किया जाये और दोषसिद्धि के बाद अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा किया जाये या अन्यथा रिहा किया जाये, तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा द्वितीय अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायेगी.

दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही.

173. नियम 171 या नियम 172 में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष, उसे सभा में पढ़कर सुनायेगा यदि वह सत्र में हो, या यदि सभा सत्र में न हो तो निर्देश देगा कि वह सदस्यों की जानकारी के लिये पत्रक में प्रकाशित कर दी जाय :

परन्तु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सभा की मूल बन्दीकरण की सूचना दी जाने से पहले ही प्राप्त हो जाय, जो उसके बन्दीकरण या उसकी बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहे, तो सभा को सूचित न करे.

(ग) सभा के परिसर में वैध आदेश के निर्वहन और बन्दीकरण के बारे में प्रक्रिया.

सभा के परिसर में बन्दीकरण.

174. सभा के परिसर में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई बन्दीकरण नहीं किया जायेगा.

वैध आदेश का निर्वहन.

175. सभा के परिसर में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी व्यवहारिक अथवा आपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जायेगा.

अध्याय 22-सभा समितियां.

(क) सामान्य नियम.

176. इस अध्याय में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो "समिति" का तात्पर्य और उसके अन्तर्गत है, नियम 2 के उपनियम (1) के पद (थ) में परिभाषित "सभा समिति" — **समिति की परिभाषा**

177. (1) समिति के सदस्य, यथास्थिति, प्रस्ताव किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे. — **समिति की नियुक्ति.**

(2) यदि कोई सदस्य समिति में काम करने के राजी न हो तो उसे समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जायेगा, प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस सदस्य का नाम वह प्रस्तावित करना चाहता है वह समिति में सेवा करने के लिये राजी है.

(3) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, प्रस्ताव किये जाने पर सभा द्वारा नियुक्ति या निर्वाचन द्वारा या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन द्वारा की जायेगी और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये नियुक्त, निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, सामान्यतया पद धारण करता.

178. नियम 68 के अधीन गठित प्रवर समिति को या ऐसी समिति को छोड़कर, जिसके लिये पदावधि स्पष्ट रूप से विहित की गई हो, प्रत्येक सभा समिति के सदस्यों की पदावधि समिति के गठन की तिथि से एक वर्ष की होगी : — **सभा समिति के सदस्यों की पदावधि**

परन्तु पद मुक्त सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी नियमानुसार निर्वाचित या नाम-निर्देशित न हो जायें.

179. कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा. — **सदस्य का समिति से पद-त्याग.**

180. (1) समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा : — **समिति का सभापति**

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य हो तो वही समिति का सभापति नियुक्त किया जायेगा.

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसी प्रकार उसके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेगा.

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिये चुनेगी.

181. (1) समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव निकट, एक तिहाई होगी. — **गणपूर्ति.**

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिये नियत समय पर या यदि बैठक के दौरान में किसी समय पर गणपूर्ति न हो, तो समिति का सभापति या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलंबित रखेगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर देगा.

(3) जब उपनियम (2) के अनुसरण में समिति की बैठकों के लिये निश्चित की गई लगातार दो तिथियों को समिति स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति उस तथ्य की सूचना सभा को देगा :

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो, तो सभापति ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना अध्यक्ष को देगा.

182. समिति की बैठक में सभी प्रश्नों का निश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

समिति में मतदान.

183. किसी विषय पर मत-समता की अवस्था में सभापति दुबारा या निर्णायक मत दे सकेगा.

सभापति का निर्णायक मत.

184. (1) समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जाये, जांच करने के लिये एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे. यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें.

उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति.

(2) उप-समिति को निर्देश करने वाले आदेश में अनुसंधान के विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा. उप-समिति के प्रतिवेदन पर संपूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा.

185. समिति की बैठकें ऐसे दिन और ऐसे समय पर होंगी, जो समिति का सभापति नियत करे :

समिति की बैठक.

परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल न मिल सके, तो बैठक की तिथि और समय सचिव नियत कर सकेगा.

186. जिस समय सभा की बैठक हो रही हो, उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी, परन्तु सभा में विभाजन की मांग की जाने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिये निलंबित कर देगा जिसके भीतर, उसकी राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकें.

जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी.

187. जो सदस्य समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति की अनुज्ञा से समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे, किन्तु न तो वे समिति को संबोधित कर सकेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे :

समिति की बैठक गुप्त होना.

परन्तु कोई मंत्री सभापति की अनुज्ञा से समिति को संबोधित कर सकेगा जिसका वह सदस्य न भी हो.

188. समिति की बैठकें साधारणतया विधान सभा भवन के परिसर में ही होंगी, किन्तु अध्यक्ष समिति की बैठक के लिये कोई अन्य स्थान भी नियत कर सकेगा.

बैठकों का स्थान.

189. (1) कोई साक्षी सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों.

साक्ष्य लेने अथवा पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों को मंगाने की शक्ति.

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि उसके सामने दिये गये किसी साक्ष्य को वह गोपनीय या गुप्त समझे.

(3) समिति को प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें परिवर्तन किया जायेगा.

190. सभा-समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी :

व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति.

परन्तु यदि कोई साक्षी किसी दस्तावेज को पेश करने के बारे में आपत्ति करे, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और भी कि शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा.

191. समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :- **साक्षियों की जांच के लिये प्रक्रिया.**

(1) समिति, किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने के पूर्व यह विनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया की रीति क्या होगी तथा साक्षी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकेंगे;

(2) समिति का सभापति इस नियम के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो वह विचाराधीन विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझे;

(3) सभापति एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कह सकेगा;

(4) साक्षी से समिति के सामने ऐसी अन्य संगत बातें रखने के लिए कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो.

192. (1) सभा-समिति की समस्त कार्यवाहियां और प्रतिवेदन गोपनीय होंगे और कोई भी व्यक्ति उन्हें तब तक प्रकट न करेगा या अन्यथा प्रकाशित न करेगा जब तक कि ये पटल पर न रख दिए जायें या नियम, 197 के अधीन अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रकाशित न कर दिए जायें; **पटल पर रखे जाने या प्रकाशित होने से पूर्व कार्यवाहियों और प्रतिवेदन का गोपनीय होना.**

(2) समिति निदेश दे सकेगी कि संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश या उसका सारांश पटल पर रखा जाय;

(3) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्राधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का, जो पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा.

193. समिति, यदि वह ठीक समझे, किसी ऐसे विषय पर विशेष प्रतिवदन दे सकेगी जो उसके कार्य के दौरान में उत्पन्न हो या प्रकाश में आए और जिसे वह अध्यक्ष या सभा के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय-समिति के निर्देश पदों से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, या उनके भीतर नहीं आता या उनसे आनुषंगिक नहीं है. **विशेष प्रतिवेदन.**

194. (1) जब सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए कोई समय निश्चित न किया हो, तो प्रतिवेदन उस तिथि के तीन मास के भीतर उपस्थापित किया जाएगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था : **समिति का प्रतिवेदन.**

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर, निदेश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थान के लिए समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारंभिक हो सकेंगे या अन्तिम;

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा;

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हो या तत्काल न मिल सके तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति किसी अन्य सदस्य को चुन लेगी.

195. समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे भाग को सभा में उपस्थापित करने से पहले शासन को उपलब्ध कर सकेगी. ऐसा प्रतिवेदन जब तक कि वह सभा में उपस्थापित न कर दिया जाय, गुप्त समझा जाएगा. **उपस्थापन के पहले प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना.**

196. (1) समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जाएगा. **प्रतिवेदन का उपस्थापन.**

(2) प्रतिवेदन उपस्थापित करते समय सभापति या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिवेदन उपस्थापित करने वाला सदस्य यदि कोई बात करे तो वह अपने आपको संक्षेप में तथ्य बताने तक ही सीमित रखेगा, किन्तु उस कथन पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा.

197. अध्यक्ष, प्रार्थना की जाने पर और जब सभा सत्र में न हो, तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेगा, यद्यपि वह सभा में उपस्थापित न किया गया हो. उस अवस्था में प्रतिवेदन सभा में आगामी सत्र के दौरान में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जाएगा. **प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापन के पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन.**

198. किसी सभा-समिति को उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी और अध्यक्ष प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे. **प्रक्रिया पर सुझाव देने की सभा समिति की शक्ति.**

198-क. कोई समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्याय के नियम में निहित उपबन्धों के अनुपूर्ण के लिए विस्तृत प्रक्रिया के नियम बना सकेगी. **समिति की विस्तृत नियम बनाने की शक्ति.**

199. (1) अध्यक्ष, समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह उसकी प्रक्रिया के विनि . तथा उसके कार्य संगठन के लिए आवश्यक समझे. **प्रक्रिया के प्रश्न पर या अन्य प्रकार से अध्यक्ष की निर्देश देने की शक्ति.**

(2) यदि प्रक्रिया संबंधी किसी प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई सन्देह उत्पन्न हो, तो सभापति यदि वह ठीक समझे, उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा और अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा.

200. कोई सभा-समिति जो अपनी अवधि समाप्त होने के पहले, अपना काम पूरा न कर सके सभा को सूचित कर सकेगी कि समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकी है, कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने दिया हो, नई समिति को उपलब्ध किया जायेगा. **सभा समितियों का असमाप्त काम.**

201. किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य केवल सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा और इस प्रकार सत्रावसान होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी. **समिति के समक्ष लम्बित कार्य सभा के सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होगा.**

202. उन विषयों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति से संबंधित नियमों में विशेष उपबन्ध रखा गया हो, इस अध्याय के सामान्य नियम सभी समितियों पर लागू होंगे और यदि, तथा जहां तक, किसी समिति से संबंधित विशिष्ट नियमों का कोई उपबन्ध ऐसे सामान्य नियमों से असंगत हो, तो विशिष्ट नियम लागू होंगे. **सामान्य नियमों का समिति पर लागू होना.**

(ख) कार्य मंत्रणा समिति.

203. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर अध्यक्ष कार्य-मंत्रणा समिति नामक एक समिति नाम-निर्देशित कर सकेगा जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का सभापति होगा, नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे. **समिति का गठन.**

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम निर्देशित समिति एक वर्ष तक पद धारण करेगी.

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारणवश समिति की किसी बैठक में पीठासीन होने में असमर्थ हो, तो वह उस बैठक के लिए सभापति नाम-निर्दिष्ट करेगा.

204. (1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे शासकीय विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों पर तथा अन्य शासकीय कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे की सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सभानेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निर्देश दे. समिति के कृत्य.

(2) समिति को प्रस्तावित समय-सूची में यह भी दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य शासकीय कार्य किस-किस समय पूरे होंगे.

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायें.

205. विधेयक या विधेयकों के समूह तथा अन्य शासकीय कार्य के बारे में समिति द्वारा तय की गई समय-सूची अध्यक्ष द्वारा सभा को सूचित कर दी जाएगी तथा पत्रक में अधिसूचित कर दी जाएगी. समिति का प्रतिवेदन

206. (1) सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई भी सदस्य समय-सूची के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकेगा. समय के बटवारे का आदेश.

(2) आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन करके जिन्हें वह आवश्यक समझे, घोषित कर सकेगा कि समय-सूची का अनुसरण किया जाएगा अथवा विकल्प में, वह समय के बटवारे के आदेश के स्वीकार किये जाने के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समिति के किसी सदस्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा.

(3) जब उपनियम (2) के अधीन कोई सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जाय तब ऐसा सदस्य इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा कि वह सभा अमुक-अमुक विधेयक या विधेयकों या अन्य शासकीय कार्य के बारे में समिति द्वारा प्रस्तावित समय के बटवारे को स्वीकार करती है और यदि ऐसा प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो वह इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो;

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाय.

(4) इस नियम के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर तीस मिनट से अधिक समय तक चर्चा नहीं होगी और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा.

207. अध्यक्ष, विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को पूरा करने के लिए समय के बटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा. निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निबटारा.

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति.

208. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति होगी जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे. समिति का गठन.

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जायेगी और एक वर्ष तक पद धारण करेगी.

समिति के कृत्य.

209. (1) समिति के ये कृत्य होंगे :-

(क) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह भी दर्शाना कि दिन में किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे;

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे प्रत्येक विधेयक की जांच करना, जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाय कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है, जो सभा की विधायनी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझे;

(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों और आनुषंग के विषयों की चर्चा के लिए समय की सिफारिश करना;

(घ) सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्प के संबंध में शासन द्वारा अग्रेतर कार्यवाही का अनुशीलन करना.

(2) समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें.

सभा में प्रतिवेदन पर प्रस्तुत प्रस्ताव.

210. प्रतिवेदन के सभा के समक्ष उपस्थापित किये जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है :

परन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जावेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा :

परन्तु यह और भी कि यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए.

वर्गीकरण और समय के बटवारे के आदेश की अधिसूचना.

211. विधेयकों या संकल्पों के सम्बन्ध में समय के बटवारे का आदेश सभा द्वारा किये गये विनिश्चय के अनुसार अधिसूचित कर दिया जायेगा.

निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निबटारा.

212. अध्यक्ष, समय के बटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के किसी विशेष क्रम की समाप्ति के सम्बन्ध में सब अवशिष्ट विषयों के निबटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(घ) याचिका समिति.

समिति का गठन.

213. यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष एक याचिका समिति नामनिर्देशित करेगा जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति में नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाय, तो वह ऐसे नामनिर्देशन की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

याचिका का परीक्षण और परिचालन.

214. (1) समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो, तो समिति अपने विवेकानुसार निर्देश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाय. यदि याचिका के परिचालित किये जाने का निदेश न दिया गया हो, तो अध्यक्ष किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाय.

(2) याचिका सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जायेगी, जैसे कि यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष निदेश दे.

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन.

215. समिति, सभा को प्रतिवेदन करेगी कि याचिका क विषय क्या है उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और याचिका इन नियमों के अनुरूप है या नहीं तथा यह भी उसके परिचालन का निदेश दिया गया है या नहीं. समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह उसको सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतों के बारे में ऐसी साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसी उचित समझे, सभा को प्रतिवेदित करे और या तो समीक्षाधीन मामले के सम्बन्ध में ठीक रूप के या भविष्य में ऐसे मामले को रोकने के लिए प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे.

(ङ) प्रत्यायुक्त विधान समिति.

216. प्रत्यायुक्त विधान समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदित करने के लिए होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या सभा द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है. — समिति के कृत्य.

217. (1) समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे; — समिति का गठन.

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य, समिति के लिए नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी.

218. संविधान के उपबन्धों या विधान सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि जिसको विधान सभा के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, और जिसको इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष, सदन नेता के परामर्श से विहित करे, प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय स्थान में संख्यांकित किया जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा. — आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन.

219. नियम 218 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि :- — आदेशों की जांच.

(एक) वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

(दो) उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है.या नहीं जिसको अधिक समुचित ढंग से निबटाने के लिए समिति की राय में विधान सभा का अधिनियम होना चाहिए;

(तीन) उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं;

(चार) उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रुकावट होती है या नहीं;

(पांच) वह उन उपबन्धों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;

(छः) उसमें राज्य की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्ग्रस्त है या नहीं;

(सात) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;

(आठ) उसके प्रकाशन में या विधान सभा के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और

(नौ) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है या नहीं.

220. (1) यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी. — समिति का प्रतिवेदन.

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से संबंधित कोई अन्य विषय सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी.

220-क. अध्यक्ष, समिति में या सभा में प्रत्यायुक्त विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दे सकेंगे जो वह आवश्यक समझें. — प्रक्रिया के विनियमन हेतु अध्यक्ष की शक्ति.

(च) लोक लेखा समिति.

221. (1) नियम 222 के उप-नियम (2) के अधीन समिति को सौंपे गए कृत्यों के संपादन के लिए लोक लेखा सामेति नामक समिति का गठन किया जायेगा. समिति का गठन.

(2) शासन के व्यय की पूर्ति के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दर्शक लेखों और विधान सभा के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखों का, जो समिति उचित समझे, परीक्षण करना समिति का कृत्य होगा.

(3) समिति में अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(4) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो.

222. (1) शासन के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले :- समिति के कृत्य.

(क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध था और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया गया है या खर्च किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके अधीन वह किया गया है; और

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोजन, विनियोग अधिनियम के अधीन प्रत्येक मांग के लिए अनुदत्त राशि के भीतर ही और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया गया है.

(2) लोक लेखा समिति का कर्त्तव्य होगा :-

(क) ऐसे व्यापारिक, निर्माण संबंधी तथा लाभ और हानि के लेखों और आय-व्ययक चिट्ठों की जांच करना, जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना;

(ख) उन मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में राज्यपाल ने उससे आय का लेखा परीक्षण करने की या भण्डारों और स्कंधों के लेखों की जांच करने की अपेक्षा की हो.

(3) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे;

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में जो सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी.

(छ) प्राक्कलन समिति.

223. (1) ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिए, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जायें, एक प्राक्कलन समिति होगी, समिति के कृत्य ये होंगे :- **समिति के कृत्य एवं गठन.**

(क) प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना;

(घ) प्राक्कलन किस रूप में विधान सभा में उपस्थापित किए जायेंगे उसका सुझाव देना :

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी.

(2) समिति में अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद, मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी जिसके लिए वह गठित की गई हो.

(4) समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी.

(5) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए वैसे-वैसे सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी. समिति के लिए यह अनिवार्य न होगा कि वह किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जांच करे, इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है, अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा.

(छ छ) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति.

223-क. तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना;

(ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/महालेखापाल के प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य-कुशलता के सन्दर्भ में, यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और

(घ) तृतीय अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जायें :

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छानबीन नहीं करेगी, अर्थात् :-

(एक) प्रमुख सरकारी नीति संबंधी मामले, जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हैं;

(दो) दिन प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामले;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है.

समिति का गठन.

223-ख. (1) समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

(ज) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति.

समिति के कृत्य एवं गठन.

224. (1) मंत्रियों द्वारा सभा के अन्दर समय-समय पर दिये गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिए और निम्नलिखत बातों पर प्रतिवेदन करने के लिए शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी :-

(क) ऐसे आश्वासनों का कहां तक परिपालन किया गया है; तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं.

(2) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(झ) विशेषाधिकार समिति.

समिति का गठन.

225. (1) यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति नाम-निर्देशित करेगा, जिसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे.

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति तब तक पद धारण करेगी जब तक कि नवीन समिति का नाम-निर्देशन नहीं हो जाता.

226. समिति की गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी. **समिति की गणपूर्ति.**

227. (1) समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, और यदि है तो किस स्वरूप का है और किन परिस्थितियों में हुआ है, और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे. **समिति द्वारा प्रश्न की जांच.**

(2) इन नियमों के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि सभा, समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करे.

228. (1) विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार का प्रश्न सौंपे जाने के बाद समिति की बैठकें यथाशीघ्र समय-समय पर होंगी तथा समिति द्वारा नियत किये गये समय के भीतर प्रतिवेदन देगी : **समिति की बैठकें.**

परन्तु सभा ने प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था :

परन्तु यह और भी कि सभा किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक समय बढ़ा दिया जाए.

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकेंगे या अंतिम.

(3) यदि कोई सदस्य किसी विषय पर अपनी विमति टिप्पणी अभिलिखित करना चाहे तो वह उतने समय के भीतर जितने कि अनुमति सभापति दे, अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर सकेगा.

229. प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद यथाशीघ्र सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम पर प्रस्ताव रखा जाएगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए. **प्रतिवेदन पर विचार**

230. कोई सदस्य उपर्युक्त नियम 229 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करके प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे प्रपत्र पर दे सकेगा जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे : **संशोधन.**

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह प्रश्न या तो परिसीमा के बिना या किसी विषय के संबंध में समिति को पुनः सौंपा जाए.

(ञ) नियम समिति.

231. (1) सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा परिवर्द्धनों की सिफारिश करने के लिये जो आवश्यक समझे जायें, एक नियम समिति होगी. **समिति के कृत्य एवं गठन.**

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाएगी और उसमें सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे. अध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा, विधि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, समिति के पदेन सदस्य होंगे.

(3) समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जायेंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जायें उससे आरम्भ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर, कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा.

(4) समिति की सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा दी गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी, जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी, जो उचित समझे, सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पटल पर रख दिया जावेगा,

तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में, अध्यक्ष द्वारा पत्रक में प्रख्यापित कर दिए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे.

(5) यदि ऐसे संशोधन की सूचना सात दिन के भीतर नहीं दी गई हो तो समिति की सिफारिशें सभा द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेंगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष, समिति द्वारा सिफारिश किए गए नियमों के संशोधनों को पत्रक में प्रख्यापित करेगा.

(6) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन पत्रक में प्रकाशित होने पर प्रवृत्त होंगे.

(ट) सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति.

समिति का गठन एवं कृत्य.

232. (1) प्रत्येक विधान सभा के आरम्भ होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा सदस्यों के सुख-सुविधाओं एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों के साथ किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित समस्त विषयों पर विचार करने, मंत्रणा देने एवं असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच कर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ``सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति`` की नियुक्ति की जाएगी. इसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 9 सदस्य रहेंगे, जिनमें से एक सभापति होगा.

(2) सदस्य, शासन के निर्देशों, आदेशों के विपरीत अथवा ऐसे आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शासकीय कार्यालयों शासकीय अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए असम्मानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार की शिकायत, जो हाल ही में घटित हुई हो, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(3) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए अग्रसर होगा और ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जैसा कि वे उचित समझे.

(4) प्रारंभिक जांच उपरांत अध्यक्ष या तो शिकायत को अग्राह्य कर सकेगा, या उसे जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित कर सकेगा.

(5) समिति, उसे संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि विशेषाधिकार समिति के संबंध में विहित की गई है तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

समिति यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो गंभीर मामलों की जांच एवं अनुशंसा के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज सकेगी,

परंतु ऐसा अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकेगा.

(6) सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि से उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं करने, प्रस्तावित कार्यों को आरंभ नहीं करने अथवा उसमें अनावश्यक रूप से विलंब करने संबंधित शिकायतें अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(7) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत को जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए समिति को संदर्भित करेगा.

(8) समिति, उसके संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि समिति अवधारित करे तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

(ठ) पुस्तकालय समिति.

233. (1) अध्यक्ष, पुस्तकालय से संबंधित विषयों पर मंत्रणा देने के लिये उतने सदस्यों की एक पुस्तकालय समिति नियुक्त करेंगे, जितने कि वे आवश्यक समझ. **समिति का गठन.**

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु नवीन समिति गठित होने तक पूर्ववर्ती समिति कार्यरत रहेगी.

233-क. समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(1) पुस्तकालय की उन्नति के लिये सुझावों पर विचार करना;

(2) पुस्तकालय द्वारा दी गई सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने में विधान सभा सदस्यों की सहायता करना और

(3) पुस्तकालय से संबंधित ऐसे विषयों पर विचार करना और मंत्रणा देना जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विशिष्ट रूप से सौंपे जायें.

(ड) सामान्य प्रयोजन समिति.

234. (1) अध्यक्ष, सामान्य प्रयोजन-समिति नियुक्त करेंगे जिसमें अध्यक्ष और अधिक से अधिक बीस अन्य सदस्य, जिन्हें कि अध्यक्ष नाम-निर्देशित करें, होंगे. अध्यक्ष, समिति के पदेन सभापति होंगे. **समिति का गठन एवं कृत्य.**

(2) समिति, सभा के कार्यों से संबंधित उन विषयों पर विचार करेगी और मंत्रणा देगी जो उसे समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें.

(ढ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति.

234-क. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये एक समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना और सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषयों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहिए.

(ख) संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये राज्य शासन द्वारा किये गये उपायों का परीक्षण.

(खख) संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना और सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषयों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहिये.

(ग) अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों (जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित तथा अर्द्धशासकीय निकायों में नियुक्तियां सम्मिलित हैं) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना.

(घ) राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के चलाये जाने के बारे में सभा को प्रतिवेदन देना.

(ङ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समस्त मामलों पर सामान्य रूप से विचार करना व उन पर सभा में प्रतिवेदन देना.

(च) ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशिष्ट रूप से सौंपे जायं.

(छ) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में सभा को प्रतिवेदन देना.

समिति का गठन.

234-ख. (1) समिति में 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, जो सभा द्वारा उसके सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(2) समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा अथवा जब तक कि दूसरी समिति का गठन न हो जाय, जो भी बाद में हो.

(ण) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति.

समिति का गठन एवं कृत्य.

234-ग. विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष, सभा के पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने हेतु एक समिति नियुक्त करेगा, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा.

समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(त) प्रश्न एवं संदर्भ समिति.

234-घ. (1) विधान सभा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अध्यक्ष, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का गठन करेंगे, जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा. **समिति का गठन.**

(2) समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष, द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम-निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नाम-निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

234-घ घ. समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(1) यदि किसी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, ध्यान आकर्षण सूचना एवं नियम 267-क के अधीन दी गई सूचना का उत्तर पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी शासन की ओर से समय से प्राप्त नहीं हो अथवा प्राप्त उत्तर अध्यक्ष को समाधानकारक नहीं हो और अध्यक्ष, ऐसा करना उचित समझें, तो वे उस प्रकरण को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर सकेंगे.

(2) इस नियम के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित -

``नियम 234 घघ (1) में उल्लेखित के अतिरिक्त सदन से संबंधित ऐसा कोई भी विषय जो अन्यिकसी समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा प्रश्न एवं संदर्भ समिति को विचार हेतु संदर्भित किए जा सकेंगे.``

(थ) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति.

234-ङ. महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यापार एवं शोषण पर रोक लगाने तथा उनके कल्याण के लिए एक समिति होगी. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :- **समिति के कृत्य.**

(क) भारत के संविधान तथा छत्तीसगढ़ के किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधाओं के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण संबंधी प्राप्त शिकायतें जहां तक कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से हो, पर विचार करना एवं सभा को यह प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्राधीन विषय के बारे में क्या कार्यवाही करनी चाहिये. समिति प्रदेश की महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण सामान्यतः सभी विषयों तथा विशेषकर निम्नलिखित विषयों की शिकायतों का परीक्षण करेगी और अपनी अभ्युक्तियां, सुझाव, सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को जो राज्य के किन्हीं कारखानों, होटलों, खानों एवं संकटमय नौकरी में रखे गये हों, उनके प्रकरण;

(2) महिलाओं एवं बालकों के लिये बनाये गये अनाथ आश्रम, संप्रेक्षण-गृह, अनाथालय, महिला कल्याण गृह या महिला सुधारालयों, विशेष पाठशालाओं का कार्यचालन;

(3) दहेज के कारण प्रदेश में होने वाले महिलाओं के शोषण एवं हत्या के प्रकरण;

(4) बालकों के नशीले पदार्थो एवं नशा लाने वाली अन्य वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न बुराइयां;

(5) महिलाओं एवं बालकों के उत्पीड़न, दुर्व्यापार तथा शोषण के संबंध में विधान सभा में हुई चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दे;

(6) राज्य में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को चलाये जाने वाले प्रशासकीय विभागों, महिलाओं तथा बाल कल्याण संचालनालय के कार्य चालन.

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपाय पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के संबंध में सभा को कार्यान्वयन प्रतिवेदन देना.

(ग). उपर्युक्त विषय में ऐसे मामलों की जांच करना जिन्हें समिति उपयुक्त समझे अथवा जो सभा द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे जायें.

समिति का गठन.

234-च (1) यथा सम्भव वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अध्यक्ष, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी एक समिति नियुक्त करेंगे, जिसका कार्यकाल साधारणतः 2 वर्ष का होगा.

(2) समिति में अधिक से अधिक 9 सदस्य होंगे जिनमें से अधिक से अधिक 6 महिला सदस्य होंगी. सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि समिति के लिये नाम निर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का विनियमन.

234-छ. अध्यक्ष, समिति या सभा के विचार से संबंधित सब विषयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिये ऐसे निर्देश दे सकेंगे, जो वह आवश्यक समझें.

(द) आचरण समिति.

समिति का गठन.

234-ज. (1) चतुर्थ अनुसूची में उल्लेखित सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन से संबंधी प्राप्त शिकायतों की जांच अनुसंधान एवं सभा को प्रतिवेदन के लिए अध्यक्ष किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में या यथास्थिति 9 सदस्यीय आचरण समिति नाम-निर्दिष्ट करेंगे.

(2) अध्यक्ष विधान सभा समिति के पदेन अध्यक्ष तथा सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष पदेन सदस्य होंगे.

समिति को संदर्भित शिकायतों का परीक्षण.

234-झ. समिति मंत्रियों एवं सदस्यों के सदन के भीतर या बाहर उनसे अपेक्षित आचरण के विपरीत आचरण संबंधी अध्यक्ष, को प्राप्त एवं समिति को संदर्भित शिकायतों का परीक्षण कर सकेगी.

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के आचरण संबंधी मामले समिति को संदर्भित किया जाना.

234-ण. अध्यक्ष विधान सभा स्वयंमेव भी सदस्यों के आचरण से संबंधित मामले समिति को संदर्भित कर सकेंगे.

शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.

234-त. यदि कोई शिकायत दस्तावेज पर आधारित हो तो शिकायत के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि भी शिकायतकर्ता को सत्यापित कर संलग्न करनी होगी. प्रत्येक शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचन के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 क्र.5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा.

234-थ. नियम 234 ``झ`` के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे, कि क्या शिकायत नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का पालन करती है. — **शिकायत का परीक्षण.**

234-द. यदि शिकायत उपरोक्त नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष शिकायत को रद्द करेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित करेगा. — **प्राप्त शिकायत रद्द करना तथा उसकी सूचना दी जाना.**

234-ध. यदि शिकायत नियम 234 ``त`` की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो अध्यक्ष शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां :- — **शिकायत के संबंध में सदस्य से स्पष्टीकरण प्राप्त करना.**

(क) उस सदस्य को भिजवाएगा जिसके संबंध में शिकायत दी गई है.

(ख) ऐसा सदस्य ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से 7 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दे उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेगा.

234-न. शिकायत के संबंध में अनुज्ञात अवधि के भीतर प्राप्त सदस्य की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो शिकायत को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगा. — **शिकायत को जांच अनुसंधान के लिये समिति को सौंपने की शक्ति.**

234-प. समिति शिकायत पर प्रारंभिक विचार विमर्श के पश्चात् :- — **शिकायत पर विचार.**

(क) शिकायत एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जांच के आधार बिन्दु तय करेगी और संबंधित सदस्य को भेजेगी.

(ख) संबंधित सदस्य को ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि समिति आधारित करे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर देगी.

(ग) समिति किसी शिकायत पर अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वारा शिकायत समिति को संदर्भित किये जाने की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में अथवा उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आरंभ होने वाले सत्र के प्रथम दिन सभा में प्रस्तुत करेगी.

234-फ. समिति किसी भी समय जैसा कि वह उपयुक्त समझे किसी शिकायत की जांच को स्थगित कर सकेगी. अथवा शिकायत पर जांच करने से असहमति व्यक्त कर सकेगी, यदि समिति की राय में :- — **शिकायत पर समिति द्वारा जांच स्थगित करना अथवा जांच हेतु असहमति व्यक्त करना.**

(क) शिकायत मनगढंत तथा दुराग्रहपूर्वक की गई है.

(ख) शिकायत की जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं है.

(ग) यदि किसी शिकायत के संबंध में समिति यह निर्धारित करती है कि शिकायत पर जांच स्थगित कर दी जाए अथवा जांच से इंकार कर दिया जाए तब समिति ऐसे समस्त कारण शिकायतकर्ता एवं सदस्य को संसूचित करेगी.

234-ब. झूठी मनगढंत एवं दुराग्रहपूर्वक की गई शिकायत के शिकायतकर्ताओं को दंडित करने के संबंध में समिति अपना प्रतिवेदन दे सकेगी. — **झूठी शिकायतों पर शिकायतकर्ता को दंडित करना.**

234-भ. समिति द्वारा जब तक किसी शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर प्रतिवेदन अथवा शिकायत के अंशों को प्रकाशित करता है, तब सभा लिखित रूप में उसकी जानकारी में लाये जाने पर ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को दंडित कर सकेगी. — **शिकायत/प्रतिवेदन का गोपनीय होना.**

234-म. समिति जांच की प्रक्रिया में किसी भी जांच करने वाली संस्था की सेवाएं ले सकती है. **अन्य संस्था की सेवाएं ली जाना.**

234-य. किसी सदस्य के संबंध में प्रथम दृष्टया आचरण संबंधी शिकायत पर यदि मामला गठित हो जाता है, तब :- **समिति का प्रतिवेदन.**

(क) समिति अपना प्रतिवेदन ऐसी अनुशंसाओं के साथ जैसा कि वह उचित समझे सभा को प्रस्तुत करेगी.

(ख) समिति अपने प्रतिवेदन में वह प्रक्रिया भी उल्लेखित कर सकेगी, जो कि अनुशंसाओं के अनुपालन में सहायक हो.

234-र. समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत करने के तुरंत पश्चात् संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकार का प्रस्ताव सभा में रखा जाएगा. **प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकार करने का प्रस्ताव.**

अध्याय 23-प्रक्रिया के सामान्य नियम.

(क) सभा की भाषा.

235. संविधान के अनुच्छेद 210 और 345 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा का कार्य हिन्दी में किया जावेगा. सभा की भाषा.

(ख) सूचनायें.

236. (1) यदि अन्यथा उपबंधित न हो, तो नियम द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना सचिव को संबोधित करके लिखित रूप में दी जायेगी और विधान सभा के कार्यालय में छोड़ दी जावेगी जो रविवार या सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर प्रत्येक दिन इस प्रयोजन हेतु 11.00 बजे दिन से 16.00 बजे दिन तक खुला रहेगा. सदस्यों द्वारा सूचनायें.

(2) कार्यालय के बन्द रहने पर छोड़ी गई या प्राप्त सूचनायें अगले कार्य दिन दी गई समझी जायेंगी.

236-क. किसी सूचना का प्रचार किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो : सूचनाओं का प्रचार.

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाय.

237. प्रत्येक सूचना या अन्य पत्र, जिन सदस्यों के पास भेजना या प्रेषित करना अपेक्षित हो, यथा नियम भेजा गया या प्रेषित समझा जायेगा, यदि उसकी एक प्रति सभा-कार्यालय में प्रत्येक सदस्य के पंजीबद्ध पते पर भेजी गई हो : सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन.

परन्तु जब सभा का सत्र चालू हो तथा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व पूरे दो दिन तक ऐसी सूचना या पत्र प्रत्येक सदस्य को प्रेषित किया गया समझा जायेगा यदि वह सभा वेश्म में सदस्य के लिये नियत स्थान पर रखा गया हो.

238. सत्रावसान होने पर, किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने पर विचार की सूचनाओं को छोड़कर शेष सब लंबित सूचनायें व्यपगत हो जायेंगी और अगले सत्र के लिये नई सूचनायें देनी पड़ेंगी : सत्रावसान होने पर लंबित सूचनाओं का व्यपगमन.

परन्तु किसी ऐसे विधेयक को, जिसके संबंध में संविधान के अधीन मंजूरी या सिफारिश प्रदान की गई हो, पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करने के विचार की नई सूचना का दिया जाना आवश्यक होगा, यदि यथा स्थिति मंजूरी या सिफारिश प्रवर्तित नहीं रही हो.

239. कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन, जो प्रस्तुत किया जा चुका हो और सभा में लंबित हो, केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा : प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे.

परन्तु विशेषाधिकार के प्रश्न की वे सूचनायें जिन्हें अध्यक्ष स्वविवेक से लंबित घोषित कर देते हैं तथा सत्र के अंतिम दिन प्राप्त होंगी, सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होंगी.

240. यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पद हों, जो प्रतीकात्मक, असंसदीय, व्यंगात्मक, असंगत, आडम्बर पूर्ण या अन्यथा अनुपयुक्त हों तो वह स्वविवेक से, ऐसी सूचना में परिचालित किये जाने से पूर्व संशोधन कर सकेगा. सूचनाओं का अध्यक्ष द्वारा संशोधित किया जाना.

(ग) प्रस्ताव.

प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

241. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारतः उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो.

प्रस्ताव की वापसी.

242. (1) जिस सदस्य ने कोई प्रस्ताव किया हो वह उसे सभा की अनुमति से वापस ले सकेगा.

(2) अनुमति प्रश्न पर नहीं अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर व्यक्त की जायेगी. अध्यक्ष पूछेगा : "क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाये"/ यदि कोई विरोध में न हो तो अध्यक्ष कहेगा : प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया. किन्तु यदि कोई विरोधी आवाज सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिए उठे, तो वापस लेने की अनुमति प्रदान न की गई समझी जायेगी :

परन्तु यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्थापित किया जा चुका हो तो मूल प्रस्ताव वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि संशोधन निबटा न दिया जाये.

प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन.

243. किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये.

विलंबकारी प्रस्ताव.

244. यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सभा के नियमों का दुरूपयोग है, तो वह उस पर या तो अध्यक्ष पीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्तावित करने से इंकार कर सकेगा.

यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये.

245. यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य विषय पर विचार किया जाये सभा के मत के लिये नहीं रखा जावेगा किन्तु सभा ऐसे विषय पर प्रस्ताव का भाषण समाप्त होने के बाद तुरन्त चर्चा करेगी और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेतर प्रश्न नहीं रखा जायेगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे, और ऐसे प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जायेगा.

(घ) संशोधन.

संशोधन

246. (1) संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्थापित किया जाये.

(2) ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जायेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो.

(3) अध्यक्ष, कोई संशोधन अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ हो.

(4) अध्यक्ष, वह क्रम विहित कर सकेगा जिसमें संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे और किसी भी समय वाद-विवाद को एक संशोधन तक सीमित कर सकेगा.

संशोधनों की सूचना.

247. किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जायेगी यदि अध्यक्ष ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें.

(ड) सदस्यों द्वारा पालनीय नियम.

248. (1) कोई प्रस्ताव करने या किसी विषय पर कोई चर्चा करने का इच्छुक सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होगा और यदि अध्यक्ष पुकारे तो वह अपनी बात अध्यक्ष को संबोधित करेगा. यदि अध्यक्ष उसे न पुकारे तो वह अपना स्थान ग्रहण करेगा.

बोलते समय सदस्य खड़ा होगा और जब औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया जाये तब वह अपना स्थान ग्रहण करेगा.

(2) यदि किसी समय जब कोई सदस्य बोल रहा हो और दूसरा सदस्य औचित्य प्रश्न के लिये खड़ा हो तो बोलने वाला अपना स्थान ग्रहण करेगा.

249. (1) जब कभी अध्यक्ष खड़ा हो तब उसे शांतिपूर्वक सुना जायेगा और कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने का उपक्रम कर रहा हो, तुरन्त बैठ जायेगा.

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया.

(2) जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहा हो तो कोई सदस्य सदन में प्रवेश नहीं करेगा और अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा.

250. (1) सभा की बैठक के चलते कोई भी सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में नहीं आएगा. ऐसे सदस्य की सदस्यता, जो गर्भगृह में प्रवेश करता है, सभा की कार्यवाही से स्वयमेव उतनी अवधि के लिए निलंबित माना जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे.

सभा के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक.

(2) सभा के कार्य में व्यवधान संबंधी कृत्य की पुनरावृत्ति करने वाले सदस्य का प्रकरण अध्यक्ष द्वारा जांच एवं अनुसंधान के लिए आचरण समिति को संदर्भित किया जा सकेगा.

250-क. जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य :-

सभा में उपस्थित रहते समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम.

(1) ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सभा की कार्यवाही से संबंध न हो;

(2) किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा;

(3) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करेगा;

(4) अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्य के बीच, से जो भाषण दे रहा हो नहीं गुजरेगा;

(5) जब अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहा हो तो सदन से बाहर नहीं जायेगा;

(6) सदैव अध्यक्ष-पीठ को ही संबोधित करेगा;

(7) सभा को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेगा;

(8) जब सभा में नहीं बोल रहा हो तब शांत रहेगा;

(9) कार्यवाही में रूकावट नहीं डालेगा, सीत्कार नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा और जब सभा में भाषण दिये जा रहे हों तब साथ-साथ उनकी टीका नहीं करता जायेगा;

(10) जब किसी दीर्घा में कोई अजनबी प्रवेश करे तो प्रशंसा घोष नहीं करेगा;

(11) भाषण करते समय दीर्घाओं में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा.

251. बोलते समय कोई सदस्य -

बोलते समय पालनीय नियम.

(1) किसी ऐसे तथ्य-विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो;

(2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा;

(3) संसद या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के संचालन के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा;

(4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार से आक्षेप नहीं करेगा;

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा, जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो.

व्याख्या :- शब्द "उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अधीन केवल उचित रूप से रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिये.

(6) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक, या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा;

(7) अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिये नहीं करेगा.

(8) अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को छोड़कर अध्यक्ष की व्यवस्था, आदेश या निदेश पर कोई प्रश्न नहीं करेगा.

किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया.

252. किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि वाद-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता.

प्रश्नों का अध्यक्ष के माध्यम से पूछा जाना.

253. जब चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तब वह अध्यक्ष के माध्यम से पूछेगा.

असंगति या पुनरावृत्ति.

254. अध्यक्ष ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरावृत्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिलाने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निर्देश दे सकेगा.

वैयक्तिक स्पष्टीकरण.

255. कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद विषय नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा.

(च) भाषणों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार.

256. (1) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के बोल चुकने के बाद और प्रस्ताव के विषय के संबंध में मंत्री द्वारा शासन की स्थिति व्यक्त कर चुकने के बाद अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम से बोल सकेंगे जिसमें कि अध्यक्ष उनको पुकारे यदि कोई सदस्य इस प्रकार पुकारे जाने पर न बोले तो फिर उसे, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, वाद-विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर बोलने का हक नहीं होगा.

(2) उत्तर देने के अधिकार के प्रयोग को छोड़कर या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा.

(3) कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः बोल सकेगा और यदि प्रस्ताव किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो संबंधित मंत्री, अध्यक्ष की अनुमति से (चाहे वह वाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं) प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा :

परन्तु इस उपनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि अनुदान की किसी मांग को कम करने के प्रस्ताव के प्रस्तावक या किसी विधेयक या संकल्प में संशोधन के प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है.

(छ) समापन.

257. (1) किसी प्रस्ताव के लिये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा "कि अब प्रश्न रखा जाये" और, जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरूपयोग है या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव करेगा : "कि अब प्रश्न रखा जाय" — **समापन.**

(2) जब यह प्रस्ताव "कि अब प्रश्न रखा जाये" स्वीकृत हो जाये तो उससे आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को उग्रेतर वाद-विवाद के बिना तुरन्त रख दिया जावेगा :

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कोई उत्तर देने का अधिकार दे सकेगा जो उसे इन नियमों के अधीन प्राप्त हो.

258. (1) जब कभी विधेयक के संबंध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद समुचित रूप से लम्बा हो जाये तब अध्यक्ष, यथा स्थिति विधेयक या प्रस्ताव के किसी प्रक्रम या सब प्रक्रमों पर चर्चा की समाप्ति के लिये समय-सीमा निश्चित कर सकेगा. — **वाद-विवाद की परिसीमा.**

(2) विधेयक या प्रस्ताव के किसी विशेष प्रक्रम को पूरा करने के लिये निश्चित समय सीमा के अनुसार नियत समय पर, यदि वाद-विवाद उसके पूर्व समाप्त न हो गया हो तो अध्यक्ष, विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रकरण के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा.

(ज) विनिश्चय के लिये प्रश्न.

259. जिस विषय पर सभा का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा किये गये प्रश्न द्वारा विनिश्चय किया जायेगा. — **सभा का विनिश्चय प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया.**

260. जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तब अध्यक्ष प्रश्न को विचार के लिये प्रस्थापित करेगा और उसे सभा के विनिश्चय के लिये रखेगा, यदि किसी प्रस्ताव में दो या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनायें शामिल हों तो वे प्रस्थापनायें अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तावित की जा सकेंगी. — **प्रस्थापना तथा प्रश्न का रखा जाना.**

(झ) विभाजन.

261. (1) मत, आवाज या विभाजन से लिया जा सकेगा और यदि कोई सदस्य वैसी इच्छा करे तो मत विभाजन से ही लिया जायेगा. अध्यक्ष, विभाजन से मत लेने की रीति निर्धारित करेगा. — **विभाजन.**

(2) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जावेगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी.

262. जब अध्यक्ष ने "हां" वालों और "ना" वालों दोनों की आवाजें किसी प्रश्न पर संग्रहित कर ली हों, तो कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगा. — **आवाजों के संग्रहण के बाद कोई भाषण न होगा.**

263. लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा, किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जावे उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा. — **मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य.**

(झझ) उद्धृत पत्रों का पटल पर रखा जाना.

उद्धृत पत्रों का पटल पर रखा जाना.

263-क. यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा :

परन्तु यह नियम किसी ऐसे दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित में प्रतिकूल होगा :

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य पत्र का अपने शब्द में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा.

(झझझ) परामर्श या राय के स्रोत का मंत्री द्वारा प्रकट किया जाना.

मंत्री को दिये गये परामर्श या राय के स्रोत का मंत्री द्वारा प्रकट किये जाने पर प्रक्रिया.

263-ख. यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो, वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका सारांश पटल पर रखेगा:

परन्तु मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने वाला दस्तावेज यदि निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तो मंत्री ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा.

पटल पर रखे गये पत्रों का प्रमाणीकरण.

263-ग. (1) पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा.

(2) पटल पर रखे गये सब सत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे.

(ञ) सदस्यों का बाहर चला जाना तथा निलम्बन.

सदस्य का बाहर चला जाना.

264. अध्यक्ष, किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो, तुरन्त सभा से बाहर चले जाने का निर्देश दे सकेगा और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जाय वह तुरन्त बाहर चला जायेगा और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित होगा.

सदस्य का निलंबन.

265. (1) यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या हठपूर्वक और जानबूझकर सभा के कार्यों में बाधा डालकर सभा के नियमों का दुरूपयोग करे.

(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाये तो अध्यक्ष तुरन्त प्रश्न रखेगा कि सदस्य (उसका नाम लेकर) का सत्र के अवशिष्ट काल तक सभा की सेवा से निलम्बन किया जाय :

परन्तु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर संकल्प कर सकेगी कि ऐसा निलम्बन समाप्त किया जाये.

(3) इस नियम के अधीन निलंबित सदस्य तुरन्त सभा के परिसर के बाहर चला जायेगा.

(ट) सभा का स्थगन या बैठक का निलम्बन.

266. सदन में कोई गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो सदन की बैठक उसी दिन के किसी बाद के समय तक के लिये निलंबित कर सकेगा या सदन के उसी सत्र की अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर सकेगा.

सदन को स्थगित अथवा बैठक को निलंबित करने की अध्यक्ष की शक्ति.

(ठ) औचित्य-प्रश्न.

267. (1) औचित्य-प्रश्न इस नियम के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष की जानकारी में हो.

औचित्य-प्रश्न और उन पर विनिश्चय.

(2) औचित्य-प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा :

परन्तु, अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य-प्रश्न उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि वह सभा में व्यवस्था बनाये रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो.

(3) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य-प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य-प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर वह अपना विनिश्चय देगा जो अंतिम होगा.

(4) किसी औचित्य-प्रश्न पर वाद विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वह ठीक समझे, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्य का कथन सुन सकेगा.

(5) औचित्य का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है.

(6) कोई सदस्य :-

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी, ऐसा औचित्य-प्रश्न नहीं उठावेगा.

267-क. जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य-प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा, जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही ऐसे समय और तारीख को जो कि अध्यक्ष निश्चित करे, उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा होगी.

ऐसा विषय उठाना जो औचित्य-प्रश्न न हो.

267-क. (1) नियम 267-क के विषय प्रश्नकाल के पश्चात् स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता के बारे में निर्णय लेने के बाद तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद अध्यक्ष की सम्मति से उठाए जा सकेंगे.

(2) नियम 267-क के अधीन विषयों को उठाने के लिए केवल 10 मिनट ही उपलब्ध रहेंगे जिसमें समयक्रम के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में से केवल 5 सूचनाओं को ही एक बैठक में उठाया जा सकेगा.

(3) जो सदस्य नियम 267-क के अधीन सदन की जानकारी में कोई विषय लाने के इच्छुक हों वह उस विषय को उठाने के संक्षिप्त कारण बताते हुए उसकी पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र पर लिखित रूप में प्रातः 10.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकेंगे.

(4) अध्यक्ष द्वारा ऐसे विषय पर समुचित सम्मति दिए जाने एवं संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ही ऐसे समय और तारीख को जो कि अध्यक्ष निश्चित करे, उठाए जा सकेंगे, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना कोई विषय नहीं उठाए जायेंगे.

(5) ऐसे विषयों को उठाये जाने पर शासन द्वारा कोई प्रकाश नहीं डाला जायेगा और न उनके संबंध में सदस्यों की ओर से कोई जोर ही दिया जायेगा.

(6) सोमवार को प्राप्त हुई सूचनाओं में उल्लिखित विषयों को उठाने की अनुमति उस सप्ताह में सभा के कार्य के दिनों में से किसी भी दिन दी जा सकती है. सप्ताह के कार्य के अंतिम दिवस तक जिन सूचनाओं को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है, व्यपगत हो जाती है. व्यपगत सूचनाओं को सदस्य उसके विषय के महत्व को देखते हुए उसकी सूचना अगले सप्ताह पुनः दे सकते हैं.

(7) जो सूचना सदन में पढ़ी जाती है उसकी एक प्रति यथाशीघ्र शासन के संबंधित विभाग को भेजी जाएगी और उसका लिखित उत्तर शासन की ओर से अधिकतम एक माह की अवधि में विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किया जायेगा. उत्तर की प्रतिलिपि विधान सभा सचिवालय द्वारा संबंधित सदस्य को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी. सदन में पढ़ी गई सभी सूचनाओं पर शासन से प्राप्त उत्तरों को संकलित करके मुद्रित कराया जाएगा और उसे अगले सत्र के प्रथम दिन सभा के पटल पर रखा जाएगा तथा एक-एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी.

(ड) व्यवस्था बनाये रखना.

अध्यक्ष व्यवस्था बनाये रखेगा और विनिश्चयों का प्रवर्तन करेगा.

268. अध्यक्ष, व्यवस्था बनाए रखेगा और अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिये उसे सब आवश्यक शक्तियां होंगी.

(ढ) कार्यवाहियों का अभिलेख आदि.

सभा की कार्यवाहियों का अभिलेख.

269. (1) सचिव, सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तांत तैयार करवायेगा और उसे यथा साध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे.

(2) सचिव ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, लंबित विधेयकों की एक पंजी बनाये रखेगा जिसमें सभा में पुरःस्थापित समस्त विधेयकों के नाम दर्ज किये जायेंगे.

शब्दों का विलोपन.

270. (1) यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है -

(क) जो अशिष्ट हैं; अथवा

(ख) जिनमें संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधान मंडल के किसी सदन या समिति के विषय में आक्षेपजनक शब्दावली अन्तर्विष्ट है; अथवा

(ग) जिनमें उपर्युक्त सदन के किसी सदस्य के व्यवहार के बारे में उपर्युक्त प्रकार की शब्दावली अन्तर्विष्ट है,

तो अध्यक्ष स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जाये.

(2) सभा की कार्यवाही में से इस तरह निकाले गये अंश को तारांकित किया जायेगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ी जायेगी :-

"अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया."

भाषण आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि देना.

271. (1) यदि किसी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये किसी विशिष्ट भाषण, वक्तव्य, व्यवस्था, प्रश्न के उत्तर या किसी दिन की कार्यवाही के अन्य भाग या उसके उद्धरण की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति से पत्र प्राप्त हो तो संबंधित सदस्य को शोधन के लिये दिये गये समय के पश्चात् ऐसी प्रतिलिपि दी जायेगी.

(2) न्यायालयीन उपयोग हेतु प्रमाणित प्रतिलिपि देने के लिये एक रुपये प्रति टंकित पृष्ठ या उसका कोई भाग की दर से शुल्क उप नियम (1) के अधीन दी जाने वाली प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये देय होगा.

(3) यदि कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति किसी विशिष्ट भाषण, वक्तव्य, व्यवस्था, प्रश्न का उत्तर या किसी दिनांक की कार्यवाही का कोई भाग या उसके किसी उद्धरण की प्रतिलिपि चाहे तो भाषण, इत्यादि सदस्य को शोधन के लिये जाने के पश्चात् "अशोधित प्रकाशन के लिये नहीं" अंकित प्रतिलिपि दी जा सकेगी और ऐसी प्रतिलिपि के लिये एक रुपया प्रति टंकित पृष्ठ या उसका कोई भाग की दर से देय होगा.

(4) ऐसी किसी प्रतिलिपि का उपयोग प्रकाशन के लिये नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 269 (1) के अधीन कार्यवाहियां प्रकाशित न हो जायें :

परन्तु शासन को शासकीय प्रयोजन के लिये दी गई किसी प्रतिलिपि का उपयोग प्रकाशन नहीं समझा जायेगा.

(5) यदि कोई सदस्य किसी दिन की कार्यवाही का उल्लेख करना चाहे तो वह प्रतिवेदक की प्रति का उल्लेख कर सकेगा.

(ढ-1) पत्रों की अभिरक्षा.

पत्रों की अभिरक्षा.

271-क. सभा या उसकी किसी समिति के अथवा विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज और पत्र सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, पत्रों को, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विधान सभा भवन से बाहर नहीं ले जाने देगा.

(ढ-2) सभा का भवन.

सभा के भवन के उपयोग पर निर्बन्धन.

271-ख. सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठक के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा.

(ण) अजनबियों का प्रवेश.

अजनबियों का प्रवेश

272. सभा की बैठकों के दौरान में सदन के उन भागों में जो केवल सदस्यों के ही अनन्य उपयोग के लिये रक्षित न हों, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा.

अजनबियों को बाहर निकाला जाना.

273. अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, अजनबियों को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दे सकेगा.

अजनबियों को अभिरक्षा में लिया जाना.

273-क. अध्यक्ष द्वारा इस विषय में प्राधिकृत सचिवालय का कोई पदाधिकारी किसी अजनबी को, जिसे कि वह सभा के परिसर के किसी भाग में, जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिये रक्षित है या जिसका वहां होना उसे बताया जाये और ऐसे किसी अजनबी को भी जिसे सभा परिसर के किसी भाग में प्रविष्ट कर लिया गया हो, जो स्वयं दुर्व्यवहार करे अथवा अध्यक्ष द्वारा नियम 272 के अन्तर्गत बनाये गये आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करे या सभा की बैठक के समय नियम 273 के अन्तर्गत जब अजनबियों से बाहर जाने को कहा जाये, तो बाहर न जाये, सभा के परिसर से हटा देगा अथवा अभिरक्षा में ले लेगा.

(त) नियमों का निलंबन.

274. कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिये निलंबित कर दिया जायेगा.

नियमों का निलंबन.

(थ) अवशिष्ट शक्तियां और स्थायी आदेश.

275. (1) ऐसे सब विषय जिनके बारे में इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से संबंधित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जिसका कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें.

अवशिष्ट शक्तियां.

(2) उपनियम (1) के अधीन विनियमन के लिये किसी विषय के संबंध में अध्यक्ष स्थायी आदेश जारी कर सकता है.

स्थायी आदेश.

अध्याय 24-सभा के स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता और सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

सभा के स्थानों का त्याग.

276. (1) जो सदस्य सभा के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सभा के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में देगा और अपने पद त्याग के लिये कोई कारण नहीं देगा :

सेवा में,

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ विधान सभा,
रायपुर.

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा दिनांक .... से सभा के अपने स्थान पर पदत्याग करता हूं.

भवदीय

स्थान :............

सदस्य

दिनांक :...........

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

परन्तु जहां कोई सदस्य कोई कारण देता है या कोई असंगत बात प्रस्तुत करता है वहां अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे शब्द, पदावली या बात का लोप कर सकेगा तथा उसे सभा में नहीं पढ़ा जायेगा.

(1-क). यदि कोई सदस्य व्यक्तिशः अध्यक्ष को त्याग-पत्र दे और उसे सूचित करे कि त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिया गया तथा यथार्थ है और अध्यक्ष को इसके प्रतिकूल कोई सूचना या जानकारी न हो तो अध्यक्ष त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार कर सकेगा.

(1-ख). यदि अध्यक्ष को त्याग-पत्र डाक से अथवा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के द्वारा प्राप्त हो तो अध्यक्ष अपना यह समाधान करने के लिये कि त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिया गया तथा यथार्थ है, ऐसी जांच कर सकेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे. यदि अध्यक्ष का स्वयं का विधान सभा सचिवालय के अभिकरण द्वारा अथवा ऐसे अन्य अभिकरण द्वारा जिसे वह उचित समझे संक्षिप्त जांच कराने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि त्याग-पत्र स्वेच्छापूर्वक नहीं दिया गया है या यथार्थ नहीं है तो वह त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेगा.

(1-ग). कोई सदस्य अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा उसके स्वीकार किये जाने के पूर्व किसी भी समय वापस ले सकेगा.

(2) अध्यक्ष, सदस्य द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को स्वीकृत करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र सभा को यह सूचना देगा कि सदस्य ने सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उसने उसका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है.

स्पष्टीकरण - जब सभा सत्र में न हो तो अध्यक्ष सभा के पुनः समवेत होने के बाद सभा को तुरन्त सूचना देगा.

(3) सचिव, किसी सदस्य द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र यह जानकारी पत्रक तथा राजपत्र में प्रकाशित करायेगा तथा अधिसूचना की एक प्रति को इस प्रकार हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु कार्यवाही करने के लिये निर्वाचन आयोग को भेजेगा :

परन्तु जहां त्याग-पत्र किसी भावी दिनांक से प्रभावशील होना हो वहां ऐसी सूचना पत्रक तथा राजपत्र में उसके प्रभावशील होने के दिनांक से पहले प्रकाशित नहीं की जायेगी.

सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

277. (1) जो सदस्य संविधान के अनुच्छेद 190 के अधीन सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे वह अध्यक्ष को वह अवधि बतलाते हुए लिखित आवेदन-पत्र देगा जिसके लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये उसे अनुज्ञा दी जाये.

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष यथा संभव शीघ्र सभा को आवेदन पत्र पढ़कर सुनायेगा और पूछेगा कि "क्या यह सभा की इच्छा है कि अमुक सदस्य को अमुक कालावधि तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्रदान की जाये." यदि कोई विरोध न करे तो अध्यक्ष कहेगा कि "अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई" किन्तु यदि कोई विरोधी आवाज सुनाई दे तो अध्यक्ष सभा का अभिप्राय जान लेगा और उसके बाद सभा का विनिश्चय घोषित करेगा.

(3) इस नियम के अधीन सभा के समक्ष किसी प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं होगी.

(4) सभा द्वारा विनिश्चय व्यक्त किये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र सचिव उस सदस्य को संसूचित करेगा.

यदि सदस्य पहले ही सभा में उपस्थित हो जाये तो उसकी छुट्टी के असमाप्त भाग का व्यपगमन.

278. यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अधीन उसे अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो उस कालावधि के दौरान में, जिसके लिये अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, सभा के सत्र में उपस्थित हो जाये तो उसकी छुट्टी का असमाप्त भाग पुनः उपस्थिति की तिथि से व्यपगत हो जायेगा.

सभा में स्थानों का रिक्त होना.

279. (1) संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के अंतर्गत किसी सदस्य का स्थान सभा नेता या किसी ऐसे अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर जिसे वह इस संबंध में अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन करें, रिक्त घोषित किया जायेगा.

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो सचिव यह जानकारी राजपत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति के हेतु कार्यवाही करने के लिये भेजेगा.

प्रथम अनुसूची.

याचिका का प्रपत्र

(देखिये नियम 107)

सेवा में,

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

यहां संक्षिप्त रूप में याचिका देने वाले या देने वालों के नाम तथा पद या विवरण जैसे, "क, ख तथा अन्य" या ". . . . . का/के या" . . . . की नगरपालिका - . ---" का/के निवासी आदि समाविष्ट करिये.

की विनम्र याचिका इस प्रकार है :-

(यहां मामले का संक्षिप्त विवरण लिखिये)

और तद्नुसार आपको याचिका देने वाला (या याचिका देने वाले) प्रार्थना करता है (करते हैं) कि

(यहां लिखिये "कि विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही की जाये या न की जाये" या "कि याचिका देने वाले (वालों) के मामले के लिये विधेयक में विशेष उपबन्ध किया जाय" या सभा के समक्ष विचाराधीन विधेयक या विषय अथवा सामान्य लोक-हित के विषय के संबंध में कोई अन्य समुचित प्रार्थना)

और आपको याचिका देने वाला (वाले) कर्त्तव्यबद्ध होकर सदा प्रार्थना करेगा (करेंगे).

याचिका देने वाले का नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

. . . .

उपस्थित करने वाले सदस्य के प्रति हस्ताक्षर

द्वितीय अनुसूची.

(देखिये नियम 171 और 172)

छत्तीसगढ़ विधान सभा के किसी सदस्य के यथास्थिति, बंदीकरण, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र

स्थान :.................

दिनांक :.................

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.
रायपुर.

"क"

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि .... (अधिनियम) की धारा ....के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य समझा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य श्री .... को ....(यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) के कारण बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य श्री .... (तिथि) .... को .... पर (समय) बंदी कर लिया गया है.
हवालात में रख दिया गया है.

और उसे इस समय .... जेल .... (स्थान) में रखा गया है.

"ख"

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य श्री .... पर .... (दोष सिद्धि के कारण) के दोषारोपण (या दोषारोपों) के लिये .... न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया .... दिन तक मुकदमा चलने के बाद .... (तिथि) को मैंने उसे .... का अपराधी पाया और उसे .... (कालावधि) के कारावास का दण्डादेश दिया.

(........................... *को अपील करने की अनुमति के लिए उनका प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लंबित है).

*न्यायालय का नाम ....

"ग"

मुझे आपको सूचना देनी है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य श्री .... को, जिसे .... (तिथि) को .... (बंदीकरण/निरोध/दोषिसिद्धि के कारण) के कारण बंदी बनाया गया/निरुद्ध किया गया/सिद्धदोष ठहराया गया था, ... (तिथि) को .... (रिहाई के कारण) रिहा कर दिया गया था.

(जो भाग लागू न हो उसे काट दिया जाय)

भवदीय,

(न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी)

तृतीय अनुसूची.

(देखिये नियम 223-क)

सरकारी उपक्रमों की सूची.

भाग-1

(छत्तीसगढ़ या केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किये गये सरकारी उपक्रम)

1. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
2. छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड.
3. छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
4. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड.
5. छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड.
6. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड.
7. छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.
8. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त विकास निगम लिमिटेड.
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल.
10. छत्तीसगढ़ राज्य हस्त शिल्प विकास निगम.
11. छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल.

चतुर्थ अनुसूची

(देखिये नियम 234-ज)

(I) सदस्यों के सभा के बाहर आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

(1) सदस्य किसी समिति के सदस्य होने के नाते दी गई जानकारी परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे, जो कि उसके व्यवसाय से संबंधित हों. उदाहरणार्थ समाचार-पत्र के संपादक, समाचार-पत्र प्रतिनिधियों अथवा किसी व्यवसायिक संस्था या व्यापार से संबंधित कोई व्यक्ति.

(2) सदस्य, शासन से किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित संस्था या कंपनी को लाभ दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा.

(3) सदस्य, अपने स्वविवेक से जनहित के निर्णय लेगा, किन्तु ऐसे कोई निर्णय नहीं लेगा, अथवा ऐसे किसी निर्णय में भागीदार नहीं बनेगा, जिससे कि उसके स्वयं के अथवा उसके परिवार के सदस्यों के हित संवर्धित हों.

(4) सदस्य, बिना किसी उपयुक्त आधार के किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा.

(5) सदस्य, उसे आवंटित शासकीय आवास को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किराये पर नहीं देगा न ही सदस्य के रूप में प्राप्त अन्य किसी सुविधा का अनुचित लाभ लेगा.

(6) सदस्य को शासकीय कर्मचारियों को अथवा मंत्रियों को ऐसे किसी प्रकरण में जिससे उसके आर्थिक अथवा अन्य हित जुड़े हों, प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेगा. चाहे वह अपरोक्ष ही क्यों न हो.

(7) सदस्य विधिक सलाहकार के रूप में, मंत्री अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा.

(8) सदस्य, जनहित में जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा संबंधित अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जितनी शीघ्र हो सके, सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराये.

(9) सदस्य, अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के किसी भी प्रकार का उपहार जिसका मूल्य रू. 25,000/- से अधिक हो, स्वीकार नहीं करेगा.

(II) सभा में सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

(1) सभा के चलते कोई सदस्य बिना किसी को व्यवधान पहुंचाए अपने आसन के पीछे वाले द्वार से बाहर जा सकेगा.

(2) सदस्य, जब सभा की कार्यवाही चल रही हो तब, जब तक कि अत्यावश्यक न हो आपस में बात नहीं करेंगे.

(3) सभा में जब अध्यक्ष अपनी बात कहने के लिए आसन से उठें अथवा जब व्यवस्था बनाने का अनुरोध करें या जब उन्होंने किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी हो, तब कोई अन्य सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को छोड़कर अथवा अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के अलावा व्यवधान नहीं करेगा.

(4) सदस्य, लॉबी में तेज आवाज में बात करने अथवा हंसने से अपने को प्रतिसिद्ध करेंगे.

(5) सदस्य, जब सभा में अपनी कोई बात कहना चाहें अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहें, तब हाथ खड़ाकर अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और जब तक अध्यक्ष अनुमति नहीं दें अथवा इशारे से बोलने हेतु नहीं कहें, नहीं बोलेंगे. सदस्य असंसदीय शब्दावली, तैश में बोलने, अथवा गुस्से के साथ अपनी बात कहने से अपने आप को प्रतिसिद्ध करेंगे.

(6) जब अध्यक्ष अथवा आसंदी द्वारा किसी वाक्यांश अथवा शब्द को असंसदीय ठहराया जाए तो सदस्य को तत्काल अपने शब्द को वापस लेना चाहिए तथा इसमें कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहिए.

(7) जब कोई सदस्य अध्यक्ष/आसंदी की अनुमति से बोल रहा हो, तब कोई अन्य सदस्य उससे बहस नहीं करेगा अथवा उसका सीधा विरोध नहीं करेगा अपितु आसंदी के माध्यम से, बोलने वाले सदस्य से कोई जानकारी प्राप्त करेगा.

(8) जब कोई सदस्य अध्यक्ष/आसंदी की अनुमति से सभा में बोल रहा हो और कोई अन्य सदस्य व्यवस्था के प्रश्न को छोड़कर, व्यवधान कर रहा हो, तब भी अध्यक्ष/आसंदी से अनुमति प्राप्त सदस्य अपना भाषण जारी रखेगा.

(9) यदि कोई सदस्य अपने भाषण में किसी ऐसे दस्तावेज का उल्लेख करता है, जो दूसरे सदस्यों के पास उपलब्ध नहीं है, तब अध्यक्ष/आसंदी के द्वारा निर्देशित किये जाने पर ही ऐसे दस्तावेज को पटल पर रखेंगे.

(10) मंत्री द्वारा दस्तावेज के आधार पर दिये गये वक्तव्य को सही माना जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे वक्तव्य को जानबूझकर गलत होने के संबंध में प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की गई हो.

(11) जब कोई सदस्य अपने भाषण में किसी दूसरे सदस्य की आलोचना करता है, तब उस सदस्य को संबंधित सदस्य के आलोचना के उत्तर देने के समय सदन में उपस्थित रहना चाहिए. ऐसे समय आलोचना करने वाला सदस्य यदि अनुपस्थित रहता है तो यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है.

(12) जब किसी सदस्य का कोई प्रश्न प्रश्नोत्तरी सूची में तारांकित प्रश्न के रूप में मुद्रित होता है, तब उस सदस्य को बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नहीं होना चाहिए.

(13) सदस्य, सभा में प्रश्न पूछने, कोई विषय उठाने, प्रस्ताव करने अथवा मत देने के लिए कोई प्रलोभन, राशि, उपहार आदि स्वीकार नहीं करेगा.

RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA

Table of Contents

CHAPTER X - LEGISLATION

(A) Introduction and Publication of Bills

(B) Motion after Introduction of Bills

(C) Select Committee on Bills

(D) Procedure after Presentation of Report of Select Committee

(E) Amendments to Clauses, etc., and consideration of Bills

Rule

(C) Appropriation Bill

158. Appropriation Bill
159. Scope of discussion on Appropriation Bill
160. Business that can be taken up on day allotted for any kind of financial business
161. Time limit for disposal of financial business

CHAPTER XX - COMMUNICATIONS BETWEEN THE GOVERNOR AND THE VIDHAN SABHA

162. Communications from Governor to Vidhan Sabha
163. Communications from Vidhan Sabha to Governor

CHAPTER XX-A - SECRET SITTING OF THE ASSEMBLY

163-A. Secret Sitting
163-B. Report of the proceedings
163-C. Procedure in other respects
163-D. Lifting ban of Secracy
163-E. Disclosure of Proceeding or decisions

CHAPTER XXI - PRIVILEGES

(A) Questions of Privilege

164. Consent of Speaker
165. Notice of question of Privilege
166. Conditions of admissibility of question of Privilege
167. Mode of raising question of Privilege
168. Reference to Committee of Privilege
169. Power of Speaker to refer questions of Privilege to Committee
170. Regulation of Procedure

(B) Intimation to Speaker of Arrest, Detention, etc., and Release of a Member

171. Intimation to Speaker of arrest, detention, etc., of Members by Magistrate
172. Intimation to Speaker on release of Member
173. Treatment of Communications received from Magistrate

(C) Procedure Regarding Service of a Legal Process and Arrest within the Precincts of the House

174. Arrest within the precincts of House
175. Service of Legal Process

Rule

CHAPTER XXII - LEGISLATURE COMMITTEE

(A) General Rules

(B) Business Advisory Committee

(C) Committee on Private Members' Bills and Resolutions

(D) Committee on Petitions

(E) Committee on Delegated Legislation

(F) Committee on Public Accounts

(G) Committee on Estimates

(GG) Committee on Public Undertakings

(H) Committee on Government Assurances

(I) Committee of Privileges

Rule

(J) Rules Committee

(K) Committee on Amenities and Honour of Members

(L) Library Committee

(M) General Purposes Committee

(N) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes.

(O) Committee to examine Papers laid on the Table

(P) Committee on Questions & Reference

(Q) Committee on Welfare of Women and Children

(R) Ethics Committee

Rule

Rule

(N) Record of Proceedings, etc.

(N-1) Custody of Papers

(N-2) Chamber of the Assembly

(O) Admission of Strangers

(P) Suspension of Rules

(Q) Residuary Powers and Standing Orders

CHAPTER XXIV - RESIGNATION AND VACATION OF SEATS IN VIDHAN SABHA AND LEAVE OF ABSENCE FROM MEETINGS OF VIDHAN SABHA.

RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA

[Under Clause (1) of Article 208 of the Constitution of India]

CHAPTER I.-PRELIMINARY

Short title. 1. These rules may be cited as "the Chhattisgarh Vidhan Sabha Rules".

Definitions. 2. In these rules,-

(a) "Private member" means a member other than a Minister or a Parliamentary Secretary;

(b) "Rule" means a rule of Vidhan Sabha;

(c) "Table" means the Table of the House;

(d) "Patrak" means the Bulletin of the House containing.-

(a) a brief record of the proceedings of the House at each of its sittings;

(b) information on any matter relating to or connected with the business of the House or other matters which in the opinion of the Speaker may be included therein; and

(c) information regarding the Parliamentary Committee;

(e) "Motion" means a proposal submitted for the consideration of the House and it includes an amendment of a motion;

(f) "Member-in-charge" means a member promoting a Bill or other business and in respect of a Government Bill or other business, any Minister;

(g) "Minister" means a member of Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary;

(h) "Gazette" means Chhattisgarh Rajpatra;

(i) "Finance Minister" means the Minister in charge of Finance or any other Minister to whom he may delegate the function assigned to him under these rules;

(j) "Vidhan Sabha", means Chhattisgarh Legislative Assembly;

(k) "Constitution" means the Constitution of India;

(l) "Secretary" means the Secretary to the Vidhan Sabha and includes any officer for the time being performing the duties of the Secretary;

(m) "Member" means a member of the Vidhan Sabha;

(n) "House" means the Vidhan Sabha;

(o) "Lobby" means the covered corridors immediately adjoining the Chamber;

(p) "Leader of the House" means the Chief Minister and includes any Minister to whom the Chief Minister delegates the functions assigned to the Leader of the House under these rules;

(q) "Legislature Committee" means a Committee which is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker and which works under the direction of the Speaker and presents its report to the House or the Speaker.

(r) "Precincts of the House" means and include the Chamber, the Lobbies, the Galleries and such other places as the Speaker may from time to time specify.

(s) "Public Undertaking" means and includes any Government Company or Corporation or Statutory Corporate body formed under section 617 of Companies Act 1956, (No. 1 of 1956) or any other Statutory body known by whatever name, which in any case owned and controlled by State Government.

(t) "Vidhan Sabha Secretariat" means and includes the Vidhan Sabha Secretariat situated at Raipur and comprise any camp office setup outside Raipur for the time being, under the authority of the Speaker.

3. The words and terms used in the constitution and in these rules shall have the same meanings as are assigned to them in the constitution.

4. If any doubt arises as to the interpretation of these rules the decision of the Speaker shall be final.

CHAPTER II. - SUMMONS TO MEMBERS, ORDER OF SEATING, OATH OR AFFIRMATION AND ROLL OF MEMBERS.

Intimation of time and place of meeting.

3. When the Vidhan Sabha is summoned under Article 174 (1) of the Constitution, the Secretary shall issue a summon to each member specifying the date and place for a session of the House.

Provided that when session is called at short notice or emergently, summons may not be issued to each member separately but an announcement of the date and place of session shall be published in the gazette and made in the media, members may be informed by telegram, and fax.

Session.

4. A session of the House shall commence on the date specified in the Order of the Governor under Article 174 (1) of the Constitution and terminate on the date of the Order of the Governor proroguing the House under Article 174 (2) (a) of the Constitution:

Provided that the business may be concluded on the day which is determined to be the last sitting of the House fixed, for the session by the Speaker after consultation, with the Leader of the House.

Order of seating of Members.

5. The members shall sit in such order as the Speaker may determine.

Oath or Affirmation.

6. A member who has not already made and subscribed an oath or Affirmation, in pursuance of Article 188 of the Constitution, may do so at the commencement of a sitting of the House, or at any other time of the sitting of the House, as the speaker may direct, on any day after giving previous notice in writing to the Secretary.

Roll of members

6-A. There shall be a Roll of Members of the House which shall be signed in the presence of the Secretary by every member, before taking his seat.

CHAPTER III. - ELECTION OF THE SPEAKER, DEPUTY SPEAKER AND NOMINATION OF PENAL OF CHAIRMEN

Election of Speaker.

7. (1) The election of the Speaker shall be held on such date as the Governor may fix, and the Secretary shall send to every member notice of the date fixed.

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement of the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected.

Provided that a member shall not propose his own name or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A member in whose name a motion stands on the list of business may, when called, move the motion or withdraw the motion, and shall confine himself to a mere statement to that effect.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without puting later motions, declare that the member proposed in the motion, which has been carried, has been chosen as the Speaker of the House.

Election of Deputy Speaker.

8. (1) The election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix and the Secretary shall send to every member notice of the date fixed.

(2) The provisions of sub-rules (2) to (4) of rule 7 shall apply to the election of the Deputy Speaker as they apply to the election of the Speaker with the substitution of references to the Deputy Speaker for references to the Speaker.

Panel of Chairman.

9. (1) At the commencement of every session or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members of the Vidhan Sabha a panel of not more than six Chairmen, any one of whom may preside over the Vidhan Sabha in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker.

(2) The members of the panel of Chairmen nominated under sub-rule (1) shall hold office, until a new panel of Chairmen has been nominated.

Powers of Deputy Speaker or other member presiding over sittings of House.

10. The Deputy Speaker or other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same power as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances, be deemed to be reference to any such person so presiding.

CHAPTER IV. - SITTINGS OF THE HOUSE

When is sitting of House duly constituted.

11. A sittings of the Vidhan Sabha is duly constituted when it is presided over by the Speaker or other member competent to preside over a sitting of the Vidhan Sabha under the Constitution or these rules.

Commencement and conclusion of sitting.

12. Unless otherwise resolved by the House, the sitting of the Sabha shall ordinarily commence at 10.30 hours and conclude at 17.00 hours.

Provided that, unless otherwise resolved by the Sabha ordinarily the Sabha shall not sit between 13.00 hours to 14.30 hours.

Provided further that the House may resolve to sit between the hours of 13.00 to 14.30 and even beyond 17.00 hours or to adjourn earlier than that hour on any day or days as the case may be, and the sitting on that day or those days shall conclude at the hour so determined by the House.

Sitting of House.

12-A. The House shall sit on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday during a session except when any such day is declared as a holiday by the Government of Chhattisgarh or by the House :

Provided that the House may also sit on any Saturday or on a holiday if the House decides to that effect or the Business Advisory Committee makes a recommendation to that effect which is approved by the House.

Adjournment of House.

12-B. Subject to the provisions of rules 12-C and 266 the Speaker shall, at the closing hour fixed under these rules or by the House from time to time adjourn the House to the next sitting in the same session or *sine die :*

Provided that the Speaker may, considering the state of business before the House and after taking the sense of the House, adjourn the House to a later hour on the same day :

Provided further that the House shall not be adjourned *sine die* on a day in advance of the last sitting of the House fixed for the session except on a motion made by the Leader of the House and adopted by the House :

Provided further that the Speaker shall, on a proposal made by the Leader of the House, call a sitting of the House before the hour or date to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned *sine die :*

Restrictions on adjournment of House.

12-C. Notwithstanding anything contained in rule 12-B where a notice of a resolution under clause(c) of Article 179 of the Constitution for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker from his office has been received at least fourteen days before the last sitting of the House fixed for the session, and unless that resolution has been disposed of by the House, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall not, except on a motion made and adopted by the House, adjourn the House -

(i) for a period beyond fifteen days from the day on which the notice of the resolution has been received; and

(ii) where leave of the House to move the resolution has been granted under subrule (3) of rule 146, for a period beyond ten days from the day on which such leave is granted.

CHAPTER V. - GOVERNOR'S ADDRESS AND MESSAGE TO THE VIDHAN SABHA

Allotment of time for discussion on Governor's Address.

13. The Speaker, in consultation with the Leader of the House, shall allot time for the discussion of the matters, referred to in the Governor's address at the commencement of session of the Vidhan Sabha under Article 176 (1) of the Constitution.

Scope of discussion.

14. On such day or days or part of any day, the Vidhan Sabha shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address or a motion of thanks moved by a member and seconded by another member.

Amendment.

15. (1) Any member may give notice of any amendment to such motion before such time as may be fixed by the Speaker.

(2) Amendments may be moved to such motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker.

Other business that may be taken up.

16. (1) Notwithstanding that a day has been allotted for discussion on the Governor's Address -

(a) a motion for leave to introduce a bill or bills may be made and a bill or bills may be introduced on such day; or

(b) other business of a purely formal character may be transacted on such day before the House commences or continues the discussion on the Address; and

(c) the debate may be interrupted for the purpose of discussing any motion of adjournment under rule 57.

(2) The discussion on the Address may be postpond in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed.

Government's right of reply.

17. The Chief Minister or any other Minister, Whether he has previously taken part in the discussion or not shall, on behalf of the Government, have a general right of explaining the position of the Government at the end of discussion.

Regulation of Debate

18. For the purposes of the regulation of the discussion on the motion, the Speaker may allot time for the general discussion on the motion and for the consideration of each of the amendments of which notice is given, allot time for each amendment, where there are more than one amendment and allot time for speeches in the debate as he deems fit.

Governor's address under article 175 (1) of Constitution.

19. The Speaker may allot time for the discussion of the matters referred to in the Governor's address under Article 175 (1) of the Constitution.

Message by Governor.

20. Where a message by the Governor for the Vidhan Sabha under Article 175(2) of the Constitution is received by the Speaker, he shall read the message to the House and give necessary directions in regard to the procedure that shall be followed for the consideration of matters referred to in the message. In giving these directions the Speaker shall be empowered to suspend or vary the rules to such extent as it may be necessary to do so.

Governor's Address on Prorogation.

20-A. When the Governor prorogues the Assembly, he may address the Assembly.

CHAPTER VI. - ARRANGEMENT OF BUSINESS AND LIST OF BUSINESS

Arrangement of business.

21. The Speaker shall, after consultation with the Leader of the House, allot as many days as are necessary for the transaction of Government business and of private members' business.

Order of business

22. On days allotted for the transaction of Government business that business shall have precedence, and the Secretary shall arrange that business in such order as the Speaker, after consultation with the Leader of the House, may determine :

Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation :

Provided further that any Government business which is under discussion at the end of a day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day unless the Speaker otherwise directs under the immediately preceding proviso or otherwise.

Allotment of time for Private Members' business.

23. The last two and half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private member's business.

Provided that the Speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business and on Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence :

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House allot any day other than a Friday for the transaction of private member's business.

Provided also that if there is no sitting of the House on a Friday, the Speaker may direct that two and hours on any other day in the week may be allotted for private member's business.

Precedence of Private Members' Bills.

24. (1) On a day allotted for the disposal of private members' Bills, such Bills shall have relative precedence in the following order, namely :-

(a) Bills in respect of which the motion is that leave be granted to introduce the Bill;

(b) Bills returned by the Governor with a message under Article 200 or 201 of the Constitution;

(c) Bills in respect of which a motion has been carried that the Bill be taken into consideration;

(d) Bills in respect of which the Report of a Select Committee has been presented;

(e) Bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinions;

(f) Bills introduced and in respect of which no further motion has been made or carried : and

(g) other Bills.

(2) The relative precedence of bills falling under the same clause of sub rule (1) shall, with the exception of clause (a), be determined by ballot to be held on such day and in such manner as the Speaker may direct :

Provided that Bills falling under clause (f) of sub-rule (1) shall be arranged in groups in the order of their date of introduction, and relative precedence within each group of (b) to (g) shall be determined by ballot.

Provided further that motion relating to the bills falling within clause (a) of sub-rule (1) shall be entered in the list of business in the same order in which the notices of such motions may have been received.

Precedence of Private Members' Resolutions.

25. The relative precedence of notices of resolutions given by Private members shall be determined by the Speaker.

Business outstanding at end of day.

26. All private member's business appointed for any day and not disposed of on that day shall stand over until the next day of the session available for business of the class to which it belongs, or until such other day in the session, so available, as the Speaker may, direct :

Provided that any business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day.

List of business

27. (1) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day, shall be transacted at any meeting without the permission of the Speaker.

(3) Save as otherwise provided by these rules, no business requiring notice shall without the permission of the Speaker be set down for a day earlier than the day after that on which the period of the notice necessary for that class of business expires.

(4) In addition to any resolution which is outstanding under the proviso to rule 26, three resolutions, or with permission of Speaker more than three but not more than five resolutions shall be set down in the list of business.

CHAPTER VII. - QUESTIONS

Time for questions.

28. Unless the Speaker otherwise directs, the first hour of every meeting shall be available for the asking and answering of questions.

Notice of questions.

29. (1) A member who wishes to ask a question shall give twenty-one clear days' notice of such question and shall specify therein -

(a) the official designation of the Minister to whom it is addressed; and

(b) the date, which the member proposes for placing it on the list for answer.

Notice of admission of questions to Ministers.

30. Unless the Speaker otherwise directs, no question shall be placed on the list of questions for answer until twelve days have expired from the time when notice of such question has been given to Government by the Secretary.

Questions for oral answer to be distinguished.

31. (1) No member shall give notice of more than four questions for answer, oral or written, for any one day of which any two may be distinguished by an asterisk by the member concerned for which an oral answer is desired. Questions not so distinguished shall be printed in the list of questions for written answer.

(2) The order in which questions for oral answer are to be placed shall be indicated by the member giving notice and, if no such order is indicated, the question shall be placed on the list of questions for oral answer in the order in which notices are received in point of time.

Allotment of days for oral answers to questions.

32. The time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for the answering of questions relating to such department or departments, as the Speaker may, from time to time, provide and on each such day, unless the Speaker with the consent of the Minister concerned otherwise directs, only questions relating to the department or departments for which time on that day has been allotted shall be placed on the list of questions for oral answer.

Written answers to questions not replied orally.

33. If any questions placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, the question shall be treated as a question set down for written answer and no supplementary shall be asked in respect thereof.

Starred questions of absent members.

34. If any question placed on the list of questions for oral answer on any day is called for answer and the member is, either absent, without assigning any authority to any other member for asking his question, or if present, does not call his question, the question shall be treated as a question set down for written answer and printed in the proceedings under a separate heading.

Subject matter of questions.

35. (1) A question addressed to a Minister shall relate to the public affairs with which he is officially connected, or to a matter of administration for which he is responsible for to a matter of public concern which is within his special cognizance.

(2) A question addressed to a member, other than a Minister shall relate to a Bill, resolution or other matter connected with the business of the Vidhan Sabha for which the member is responsible.

Conditions of admissibility of Questions.

36. In order that a question may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely :-

(i) it shall be clearly and precisely expressed and shall ordinarily, not exceed two hundred words;

(ii) it shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible;

(iii) if it contains a statement, the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;

(iv) it shall not contain arguments; inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statement;

(v) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition or for a legal interpretation of a statute, rule or bye-law;

(vi) it shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending or reflect on the decision of a court of law;

(vii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the State Government;

(viii) it shall not relate to a matter which is primarily the concern of a local authority unless there has been some intervention or there is reasonable ground for intervention by Government;

(ix) it shall not refer to the character or conduct of any person except in his official or public capacity;

(x) it shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;

(xi) it shall not ask for information on a trivial matter or be vague or meaningless;

(xii) it shall not ordinarily seek information on matters of past history or require information set forth in accessible document or works of reference;

(xiii) it shall not relate to a service matter concerning any individual serving under the State Government, unless the Speaker considers the matter of sufficient importance;

(xiv) it shall not agitate matters on which an application should be made to the State Government in the first instance;

(xv) it shall not relate to matters within the jurisdiction of the Speaker;

(xvi) it shall not raise questions of policy too large to be dealt with within the limits of an answer to a question;

(xvii) it shall not repeat in substance questions already answered or to which answer has been refused;

(xviii) where a question is framed with reference a report appearing in a newspaper the question shall specify the precise point on which information is sought and not merely ask for the varacity of the newspaper report;

(xix) it shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter;

(xx) it shall not in effect be a short speech or limited to giving information or framed so as to suggest its own answer or convey a particular point of view;

(xxi) it shall not purport to make a suggestion.

Questions regarding controversy with higher authorities.

37. In matter which are or have been the subject of controversy between the Government of India and the State Government no question shall be asked, except as to matters of fact and the answer shall be confined to a statement of fact.

Speaker to decide admissibility of questions.

38. The Speaker shall decide whether a question or a part thereof or is not admissible under the rules and may disallow any question or a part thereof which, in his opinion, is an abuse of the right of questioning or is in contravention of the rules;

Provided that he may amend it in form or give the member concerned an opportunity of amending it.

Speaker to decide if a question is to be treated as starred or unstarred.

39. If in the opinion of the Speaker, the nature of any question or a class of questions is such that a written reply would be more appropriate, the Speaker may, direct that such question be placed on the list of questions for written answer.

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call upon the member who has given notice of a question for a oral answer to state in brief his reasons for desiring an oral answer and, after considering the same may direct that the question be included on the list of questions for written answer.

Modification, division or consolidation of questions.

40. (1) If in the opinion of the Speaker, any question of which notice has been received from a member needs to be modified or divided into different questions or any two or more questions need to be consolidated into one single question, the Speaker may admit the question with necessary modifications, or may divide the question or consolidate the relevent question into one.

(2) The Speaker may, for the purpose of proper admission of a question may require from the member given notice of the question to furnish such information or clarification as may be considered necessary and the notice of question shall thereupon be deemed to have been given on the date on which such information or clarification is received in the office of the Speaker.

(3) The Speaker may also require Government to supply such information as may be considered necessary by him for deciding the admissibility of the question and such information shall be supplied forthwith.

Withdrawal, postponement of question.

41. A member may, by notice given at any time before the meeting for which his question has been placed on the list, withdraw his question or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall, subject to the provisions of rule 32 be placed on the list after all questions which have not been so postponed :

Provided that a postponed question shall not be placed on the list until two clear days have expired from the time when the notice of postponement has been received by the Secretary.

Lapse of pending questions referred to members.

42. Where a reference is made to a member in connection with the notice of a question and no reply is received or a reply is received from him too late for the consideration of the Speaker and the placing of the question, if admitted, on the list of question for an appropriate date, such notice shall be deemed to have lapsed.

Mode of asking questions.

43. (1) When the time for asking the question arrives, the Speaker shall call successively each member in whose name a question appears on the list of questions.

(2) The member so called shall rise in his place and unless he states that it is not his intention to ask the question standing in his name he shall ask the question by reference to its number on the list of questions.

Questions of absent members.

44. If at the time when a question is called the Member in whose name it stands is absent, any other Member authorised by him, if the Speaker permits, may put it.

Prior Publication of answers to questions.

45. (1) A question of which notice has been given or a question and answer included in a list of questions and answers for any day supplied to members shall not be published until the questions have been answered.

(2) When the question hour is eliminated owing to the cancellation of meeting of Vidhan Sabha or its adjournment without transacting any business, all the questions, both starred and unstarred, originally entered in the list of questions for that day shall be treated as unstarred questions for the next meeting and shall be printed alongwith their answer in the proceeding of the later day.

(3) When the question hour of a meeting is dispensed with but the meeting itself is not cancelled, all starred questions and their answers together with the answers of the unstarred question, if any, shall be printed in the proceedings for that day.

List of Questions.

46. (1) The list of questions and answers for any day shall ordinarily be made available for the perusal of the members on the day before such list is answered in the Vidhan Sabha.

(2) Not more than 25 starred questions shall be included in the starred portion of the list of questions and answers. Starred questions in excess of 25 shall be converted into unstarred questions and shall be printed under a separate heading before the unstarred questions for the day.

(3) First of all, not more than one starred questions of any one member shall be included in the starred portion of the list of questions and answers. The precedence of the questions shall be arranged in the same order of the questions in which order the questions of the members may have been drawn by ballot. In the event of the number of the questions in the first round of the starred portion falling below twenty five, the second question of the other members may be included in the order of their questions so that the number of the starred questions may reach up to twenty five.

(4) In the event of any starred question of any list of questions and answers being transferred to the list of questions and answers for any other day, the number of the starred questions of the list of questions and answers for that day may exceed twenty five only by as many questions as may have been transferred or adjourned.

(5) The Speaker shall call starred questions entered in the list for the day in the order in which they stand in the list within the time available for questions.

Regulations by Speaker regarding questions.

47. The Speaker may make regulations for notice, admission and putting and answering of questions and supplementary questions.

Supplementary questions.

48. (1) Any member may put a supplementary question to a starred question after it is called by the Speaker for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given :

Provided that number of such supplementary questions shall not exceed three unless the Speaker allows it.

(2) The Speaker may disallow any supplementary question if in his opinion, it infringes the rules regarding questions or if a sufficient or reasonable number of supplementary questions has already been put in respect of the same question.

(3) The unstarred questions and answers included in the list for the day will not be called, but they will be printed in the proceeding under the heading "unstarred question."

Prohibition of discussion.

49. No discussion shall be permitted in respect of any questions or of any answer given to a question.

Short notice Questions.

50. (1) A question relating to a matter of public importance may be asked with shorter notice than twenty one clear days and if the Speaker is of opinion that question is of an ungent character he may direct that an enquiry may be made from the Minister concerned if he is in a position to reply and if so, on what date..

(2) If the Minister concerned agrees to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by him and shall be called immediately after the questions which have appeared on the list of questions for oral answer have been disposed of.

(3) If the Minister is unable to answer the question at short notice and the Speaker is of opinion that the question is of sufficient public importance to be orally answered in the House, he may direct that the question be placed as the first question on the list of questions for the day on which it would be due for answer under rule 29 :

Provided that not more than one such question shall be accorded first priority on the list of questions for any one day.

(4) Where two or more members give short notice questions on a subject matter similar in substance and one of the question is accepted for answer at short notice, names of the other members shall be bracketed with the name of the member whose question has been accepted for answer :

Provided that the Speake may direct that all the notices be consolidated into single notice, if, in his opinion, it is desirable to have a single self-contained question covering all the important points raised by members and the Minister shall then give his reply to the consolidated question :

Provided further that in the case of a consolidated question the names of all the members concerned may be bracketed and shown against the question in the order of priority of their notice.

(5) Where a member desires an oral answer to a question at a shorter notice, he shall briefly state the reasons for asking the question with short notice. Where no reasons have been assigned in the notice of the question, the question shall be returned to the member.

(6) The member who has given notice of the question shall be in his seat to read the question when called by the Speaker and the Minister concerned shall give a reply immediately :

Provided that when a question is shown in the name of more than one member, the Speaker shall call the name of the first member or in his absence any other name.

(7) In other respects, the procedure for short notice questions shall be the same as for ordinarily questions for oral answer, with such modifications as the Speaker may consider necessary or convenient.

Answers to questions not fully answered to be laid on the Table of House.

51. The answers to all questions not fully answered on that due date on account of the non-receipt of information, shall be laid on the Table of the House on the opening day of the next session :

Provided that it shall not be necessary to lay on the Table of the House answers to such questions asked in a session immediately preceding the dissolution of the Vidhan Sabha whether such dissolution occurs by efflux of time or otherwise.

CHAPTER VIII. - HALF AN HOUR DISCUSSION

Discussion on a matter of public importance arising out of answer to questions.

52. (1) The Speaker shall allot half an hour before the scheduled time for the close of business on any two working days of each week of the session for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a question in the current session or in the immediately preceding session of the House and the elucidation of the answer regarding any material fact is necessary irrespective of the fact whether the question was answered orally or the answer was laid on the table of the House :

Provided further that Speaker may admit to raise discussion on a matter which has been a subject of a question immediately before the preceding session.

Provided that if the other business set down for the day is concluded earlier than half an hour before the scheduled time the period of half an hour shall commence from the time such other business is concluded.

(2) A member wishing to raise a matter shall give notice in writting to the Secretary two days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall shortly specify the point or points that he wishes to raise :

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question :

Provided further that the notice shall be supported by the signature of at least two other members :

Provided also that the Speaker may with the consent of the Minister concerned, waive the requirements concerning the period of notice.

(3) The Speaker shall decide whether the matter is of sufficient public importance to be put down for discussion and may not admit a notice which, in his opinion, seeks to revise the policy of the Government.

(4) If more than two notices have been received and admitted by the Speaker, the Secretary shall hold a ballot with a view to drawing two notices, and the notices shall be put down in the order in which they were received in point of time :

Provided that if any matter put down for discussion on a particular day is not disposed of on that day, it shall not be set down for any further day, unless the member so desires in which case it shall be included in the ballot for the next available day.

(5) There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister concerned shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to put a question for the purpose of further elucidating any matter of fact.

CHAPTER IX. - ADJOURNMENT MOTIONS

Speaker's concurrence.

53. Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.

Mode of giving notice.

54. Notice of an adjournment motion shall be given not less than two hours before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made by delivering three copies thereof to the Secretary, or to the Officer authorised by him, are for each of the following :-

(i) the Speaker,

(ii) the Minister concerned, and

(iii) the Secretary.

Restrictions on right to make motion.

55. The right to move the motion of adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely :-

(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(iv) the motion shall not raise a question of privilege;

(v) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session.

(vi) the motion shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the Vidhan Sabha within a reasonable time;

(vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of Chhattisgarh; and

(viii) the motion shall not raise any question which can be raised by a separate general motion only by giving a notice in writing to the Secretary under the Constitution or under these rules.

55-A. Generally, permission shall not be granted for submitting a motion which is intended to raise a discussion on a matter which is pending before any statutory tribunal performing any judicial or quasi-judicial functions or any statutory authority, commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter :

Provided that the Speaker may, at his descretion, may permit raising of a matter in the Sabha, which is related to the procedure or subject or stage of the enquiry if the Speaker is satisfied that there by there is no possibility of its adversely affecting the consideration of the matter by the statutory tribunal, statutory authority or commission or court of enquiry.

Mode of asking for leave to move adjournment motion.

56. (1) The Speaker, if he gives consent under rule 53 and holds, that the matter proposed to be discussed is in order shall call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House :

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 53 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order he may, if he thinks it necessary, read the notice of motion and state reasons for refusing consent or holding the motion as not being in order.

Provided further that where the Speaker is not in possession of full facts about the matter mentioned therein, he may before giving or refusing his consent read the notice of the motion and hear from the Minister and/or members concerned a brief statement on facts and then give his decision on the admissibility of the motion.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if the number of members rising accordingly, is not less than the number of members required to constitute the quorum for the time being, the Speaker shall intimate that the leave is granted. If less than the number of members aforesaid rise, the Speaker shall inform the member that leave of the House is not granted.

Time for taking up motion.

57. The motion shall be taken up at 15.00 Hrs. or if the Speaker, after consultation with the Leader of the House so directs, at any earlier hour at which the business of the day may terminate.

Limitation of time of discussion.

58. (1) If the debate on a motion for adjournment is not earlier concluded it shall automatically terminate on the expiration of two hours from the time the discussion begins, and thereafter no question can be put.

(2) No speech during the dabate shall, except with the permission of the Speaker, exceed fifteen minutes in duration.

CHAPTER X - LEGISLATION

(A) INTRODUCTION AND PUBLICATION OF BILLS

Publication before introduction.

59. The Speaker on a request being made to him may order the publication of any Bill together with the Statement of Objects and Reasons, the memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case, it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill.

Notice of motion for leave to introduce Bill.

60. (1) Any member, other than Minister, desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice of his intention, and shall together with the notice, submit a copy of the Bill and an explanatory Statement of Objects and Reasons which shall not contain argument :

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, revise the Statement of Objects and Reasons.

(2) If the Bill is a Bill which under the Constitution can not be introduced without the previous sanction or recommendation necessary under the Constitution, the member shall annex to the notice a copy of such sanction or recommendation and the notice shall not be valid until this requirement is complied with.

(3) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be thirty days before the first day, allotted for the private members' Bills unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

(4) The Speaker may disallow a notice of a bill in case the Bills does not comply with the requirement of sub-rule (2) of this Rule or Rule 61 or 62.

Introduction of Bill dependent on Another Bill pending before the Assembly.

60-A. A Bill, which is dependent wholly or partly upon another Bill pending before the Assembly, may be introduced in the Assembly in anticipation of the passing of the Bill on which it is dependent :

Provided that second Bill shall be taken up for consideration and passing in the Assembly only after first Bill has been passed by the House and assented to by the Governor/President.

Notice of identical Bill.

60-B. When a Bill is pending before the Assembly the notice of an identical Bill, whether received before or after the introduction of the pending Bill, shall be removed from, or not entered in, the list of pending notices, as the case may be, unless the Speaker otherwise directs.

Communication of sanction of President or recommendation by Governor.

60-C. The order of the President/Governor granting or withholding the sanction or recommendations to the introduction or consideration of the Bill shall be communicated to the Secretary in writing.

Financial memorandum to Bill and money clauses in Bill.

61. (1) A Bill shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular explanation to the clauses involving expenditure, and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into Law.

(2) Clauses or provisions in a Bill involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics :

Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member-in-charge of the Bill to bring to the notice of the House such clauses.

Explanatory memorandum to Bill delegating legislative powers.

62. A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope stating also whether they are of normal or exceptional character.

Motion for leave to introduce bill.

63. If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves the motion and from the member who opposes the motion, may without further debate, put the question :

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Vidhan Sabha, the Speaker may permit a full *dis*cussion thereon.

Provided further that the Speaker shall forthwith put to vote the motion for leave to introduce an Appropriation Bill.

Publication of bill after introduction.

64. As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette.

(B) MOTIONS AFTER INTRODUCTION OF BILLS

Motions after introduction of Bills.

65. When a Bill is introduced or on some subsequent occasssion the member-in-charge may make one of the following motions in regard to the Bill, namely :-

(a) that it be taken into consideration, or

(b) that it be referred to a Select Committee, or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon :

Provided that no such motion shall be made until copies of the Bill have been made available for the use of members, and if copies of the Bill have been so made available -

(i) for two days before the day on which the motion is made, or

(ii) in the case of a motion made on the first day of the session after an intervening recess of not more than seven days on the last day immediately before such recess; and such objections shall prevail, unless the Speaker, in the exercise of his power to suspend this rule, allows the motion to be made.

Member by whom motions in respect of Bill may be made.

66. No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge.

Provided that if the member-in-charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker.

Explanation - Notwithstanding the provisions contained in the proviso the member who introduced the Bill shall continue to be the Member-in-charge.

Discussion on principle of Bills

67. (1) On the day on which any motion referred to in rule 65 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage, no amendments to the Bill may be moved, and no amendment other than an amendment permitted under clause (a) or (b) shall be moved to the motion made under rule 65 namely :-

(a) if the member-in-charge moves that his Bill be taken into consideration any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee, or be circulated by a date to be specified in the motion for the purpose of eliciting opinion thereon, or

(b) If the member-in-charge moves that his Bill be referred to a Select Committee, any member may move as an amendment that the Bill be circulated by a date to be specified in the motion for the purpose of eliciting opinion thereon.

(3) Where a motion that a Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon is carried, and the Bill is circulated in accordance with that direction and opinions are received thereon, the member-in-charge if he wishes to proceed with his Bill thereafter, shall move that the Bill be referred to a Select Committee, unless the Speaker allows a motion to be made that the Bill be taken into consideration.

(C) SELECT COMMITTEE ON BILLS

Composition of Select Committee.

68. (1) No Select Committee on a Bill shall consist of less than eight or more than fifteen members.

(2) The member-in-charge of the Bill and the Minister of Law shall be members of every Select Committee, and it shall not be necessary to include their names in any motion for appointment of such a Committee.

(3) The other members of the Committee shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made, or a motion is made by way of amendment under clause (a) of sub-rule (2) of rule 67.

Quorum of Select Committee.

69. (1) In order to constitute a meeting of the Committee, the quorum shall be four members or one third of the total number of members of the Committee, whichever is greater.

(2) If at the time fixed for any meeting of the Select Committee or if at any time during any such meeting, there is no quorum the Chairman of the Committee shall either suspend the meeting until there is a quorum or adjourn the meeting to some future day.

(3) Where the Select Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (2) on two successive dates fixed for meetings of the Committee, the Chairman shall report the fact to the House.

Members other than members of Select Committee may be present at meeting.

70. Members who are not members of a Select Committee may be present during the deliberations of the Committee but shall not address the Committee nor sit in the body of the Committee :

Provided that Minister may, with the permission of the Chairman, address the Committee of which he may not be a member.

Notice of amendment and procedure generally.

70-A.(1) If notice of proposed amendments has not been given before the day on which the Bill is taken up by the Select Committee, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

(2) In other respects, the procedure in a Select Committee shall, as far as practicable, be the same as is followed in the House during the consideration stage of the Bill, with such adoptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

Notice of amendment by members other than members of the committee.

70-B. When any Bill has been referred to the Select Committee, the notice of amendment in any part of the Bill given by any member, shall stand referred to the Committee; provided that when the notice of amendment has been received from any such member, who is not a member of the select Committee such amendments shall not be taken up by the Committee unless they have been submitted by one of the members of the Committee.

Power to take expert evidence.

71. A Select Committee may take expert evidence and hear representatives of special interests affected by the measure before them.

Records of decisions of Select Committee and its proceedings to be confidential.

72. (1) All proceedings of a Select Committee shall be treated as confidential and its recommendations shall not be disclosed until the report has been made available for the use of members or has been published in the Gazette.

(2) A record of the decisions of a Select Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairman.

Report by Select Committee.

73. (1) As soon as may be after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select Committee shall meet from time to time to consider the Bill, and shall make a report, thereon within the time, if any, fixed by the House :

Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report the report shall be presented at the session next after the session in which the House adopted the motion for the reference of the Bill to the Select Committee :

Provided further that the House may, at any time, on a motion being made direct that the time for the presentation of the Report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(3) The Select Committee shall in their report state whether the publication of the Bill directed by these rules has taken place.

(4) Where a Bill has been altered the Select Committee may, if they think fit, include in their report a recommendation to the member-in-charge of the Bill that his next motion should be a motion for circulation, or where the Bill has already been circulated, for recirculation.

(5) The report of the Select Committee shall, after the draft has been placed at a meeting, be signed by the Chairman on behalf of the Committee :

Provided that in case the Chairman is not available for signing the report in time for its presentation to the House, the member presiding at the meeting of the Committee at which the draft was accepted, shall sign the report on behalf of the Committee.

(6) Any member of a Select Committee may record a minute of dissent on any matter or matters connected with the Bill or dealt with in the report provided that such matter has been raised and the member has expressed his disagreement thereon at the meeting of the Committee in which the matter was considered.

(7) A minute of dissent shall be confined to a discussion of matter relevant to the Bill, shall be couched in temperate language, shall not refer to any discussion in the Select Committee, shall not cast aspersion on the Committee, and shall be free from personal remarks.

(8) The Speaker may direct that any part of the minute of dissent or minority report which contravenes sub-rule (7) may be omitted, and his decision shall be final.

Printing and publication of report.

74. The Secretary shall cause every report of a Select Committee to be printed and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report, with the amended Bill, shall be published in the Gazette after it has been presented to the House.

Provisions applicable in other respects.

75. In other respects, the rules applicable to a Legislature Committee provided for in Chapter XXII of these rules shall apply.

(D) PROCEDURE AFTER PRESENTATION OF REPORT OF SELECT COMMITTEE

Procedure after presentation of report.

76. (1) After the presentation of the final report of Select Committee on a Bill the member-in-charge may move :-

(i) that the Bill, as reported by the Select Committee, be taken into consideration:

Provided that any member of the Vidhan Sabha may object to its being so taken into consideration if copies of the report have not been made available for the use of members before two days, and such objection shall prevail, unless the Speaker in the exercise of his power to suspend this rule, allows the report to be taken into consideration; or

(ii) that Bill, as reported by the Select Committee, be recommitted either :-

(a) without limitation, or

(b) with respect to particular clauses or amendments only, or

(c) with instructions to the Select Committee to make some particular or additional provision in the Bill, or

(iii) that the Bill as reported by the Select Committee be circulated for the purpose of obtaining opinion thereon or re-circulated for the purpose of obtaining further opinion thereon.

(2) If the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be re-committed or circulated for the purpose of obtaining opinion thereon or re-circulated for the purpose of obtaining further opinion thereon.

Scope of debates on report of Select Committee.

77. The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Select Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill.

(E) AMENDMENTS TO CLAUSES, ETC. AND CONSIDERATION OF BILLS

Notice of amendments.

78. (1) A member who wishes to move an amendment to a Bill shall give notice of his intention one day before that day on which the Bill is to be considered and shall together with the notice, submit a copy of the amendment which he wishes to move :

Provided that the Speaker may allow an amendment to be entered in the list of amendments with shorter notice than one day.

(2) The Secretary shall, if time permits, make available to members, from time to time lists of amendments of which notices have been received.

Conditions of admissibility of amendment.

79. The following conditions shall govern the admissibility of amendments :-

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision taken by the House during the progress of the Bill.

(iii) An amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical.

(iv) If an amendment rafers to, or is not intelligible without a subsequent amendment or schedule, notice of the subsequent amendment or schedule shall be given before the first amendment is moved, so as to make the series of amendments intelligible as a whole.

(v) The Speaker shall determine the place in which an amendment shall be moved.

(vi) The Speaker may refuse to propose an amendment which is, in his opinion frivolous or meaningless.

(vii) An amendment may be proposed to an amendment which has already been proposed by the Speaker.

Sanction or recommendation necessary under constitution to be annexed to notice of amendment.

80. If any member desires to move an amendment which can not be moved without the previous sanction or recommendation necessary under the Constitution, he shall annex to the notice required by these rules a copy of such sanction or recommendation, and the notice shall not be valid until this requirement is complied with :

Provided that no previous sanction or recommendation shall be required, if an amendment seeks to -

(a) abolish or reduce the limits of the tax proposed in the Bill or amendment; or

(b) increase such tax up to the limits of an existing tax.

Arrangement of amendments. 80-A. Amendments of which notice has been given shall, as far as practicable be arranged in the list of amendments, issued from time to time, in the order, in which they may be called. In arranging amendments raising the same question on the same point of a clause, precedence may be given to an amendment moved by the Member-in-charge of the Bill. Subject as aforesaid amendments may be arranged in the order in which notices thereof are received.

Order of amendments. 81. (1) Clauses and amendments to clauses to which they respectively relate, as the cast may by, shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill, and in respect of any such clause when taken for consideration, a motion shall be deemed to have been made : "That this clause stand part of the Bill".

(2) The Speaker may if he thinks fit, put as one question similar amendment to a clause :

Provided that if a member requests that any amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately.

Mode of moving amendments. 81-A. When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, any member may when called upon by the Speaker, move an amendment to the Bill of which he has previously given notice :

Provided that in order to save time and repetition of arguments, a single discussion may be allowed to cover a series of inter dependant amendments.

Withdrawal of amendments. 82. An amendment moved may, by leave of the House, but not otherwise, be withdrawn on the request of the member moving it. If an amendment, has been proposed to an amendment, the original amendment shall not be withdrawn until the amendment proposed to it has been disposed of.

Submission of Bill clause by clause. 83. Notwithstanding anything contained in the rules, it shall be in the discretion of the Speaker, when a motion that a Bill taken into consideration has been carried, to submit the Bill, or any part of the Bill, to the Vidhan Sabha clause by clause. When this procedure is adopted the Speaker shall call each clause separately and when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question "That this clause (or, that this clause as amended, as the case may be) stand part of the Bill."

Postponement of consideration of clause. 84. The Speaker, if he thinks fit, may postpone the consideration of a clause.

Consideration of Schedules. 85. The consideration of the Schedule or Schedules, if any, shall follow the consideration of clauses, Schedules shall be put from the Chair, and may be amend in the same manner as clauses, and the consideration of new Schedules shall follow the consideration of the original Schedules. The question shall then be put. "That this Schedule (or that this Schedule, as amended. as the case may be) stand part of the Bill":

Provided that the Speaker may allow the Schedule or Schedules, if any, being considered before the clauses are disposed of or alongwith a clause or otherwise as he may think fit.

Voting of clauses and Schedules.

86. The Speaker may, if the thinks fit, put as one question clauses and/or Schedule, or Schedules clauses and/or as amended as the case may be, together to the vote of the House :

Provided that if a member requests that any clause or Schedule, or as amended any clause or Schedule as the case may be, put separately, the Speaker shall put that clause or Schedule, or clause or Schedule as amended, as the case may be, separately.

Clause one, enacting formula, preamble and title of Bill.

87. Clause one, the enacting formula, the preamble, if any, and the title of Bill all stand postponed until the other clause and Schedule (including new clauses and new Schedules) have been disposed of and the Speaker shall then put the question, "That clause one or the enacting formula, or the preamble or title (or, that clause one, enacting formula, preamble or title as amended as the case may be) do stand part of Bill."

(F) PASSING AND AUTHENTICATION OF BILLS

Motion for Passing of Bill.

88. (1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in-charge may at once move that the Bill be passed.

(2) If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless, the Speaker allows the motion to be made.

(3) Where the objection prevails a motion that the Bill be passed may be brought forward on any further day.

(4) To such a motion no amendment may be moved which is not either formal, verbal clarificatory or consequential upon an amendment made after Bill was taken into consideration.

Scope of debate.

89. The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill, in making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of the arguments which shall be of a general character and shall not extend to any mattters not contained in the Bill.

Authentication of Bill.

90. (1) When a Bill is passed by the Vidhan Sabha, the Secretary shall, if necessary renumber the clauses, revise and complete the marginal notes thereof and make such purely formal or consequential amendments therein as may be required, and three copies of the Bill to be reserved for the consideration of the President and two copies of the Bill to be sent for the assent of the Governor, shall be submitted to the Speaker and shall be signed by him;

Provided that in the case of the absence of Speaker from Raipur the Secretary may, in case of urgency, authenticate the bill on behalf of the Speaker.

(2) A copy of the Bill assented to by the Governor or/President shall be kept in safe custody for verification and (record and, shall not be removed from the custody of the Assembly without the permission of the Speaker.

(G) RECONSIDERATION OF BILLS RETURNED BY THE GOVERNOR

Message of Governor.

91. (1) When a Bill passed by the House is returned to the House by the Governor with a message requesting that the House should reconsider the Bill or any specified provisions thereof or any such amendments as are recommended in his message, the Speaker shall read the message of the Governor in the House if in session or if the House is not in session direct that it may be published in the Patrak for the information of the Members.

(2) The Bill as passed by the House and returned by the Governor for reconsideration shall thereafter be laid on the Table.

Notice of Motion for Consideration of amendment.

92. At any time after the Bill has been so laid on the Table, any Minister in the Case of a Government Bill, or in any other case, any member may give notice of his intention to move that the amendments recommended by the Governor be taken into consideration.

Motion for Consideration.

93. On the day on which the motion for consideration is set down in the list of business which shall, unless the Speaker otherwise directs, be not less than two days from the receipt of the notice, the member giving notice may move that the amendments may be taken into consideration.

Scope of debate

94. The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters reffered to in the message of the Governor or to any suggestion relevant to the subject matter of the amendments recommended by the Governor.

Consideration of amendments.

95. If the motion that the amendments recommended by the Governor be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as he thinks most convenient for their consideration.

Procedure on consideration of amendments.

96. An amendment relevant to the subject matter of an amendment recommended by the Governor may be moved but no further amendment shall be moved to the Bill unless it is consequential upon, incidental or alternative to an amendment recommended by the Governor.

Passing again of Bill.

97. When all the amendments have been disposed of, the member giving notice of the motion under rule 92 may move that the Bill as originally passed by the House be passed again, or passed again as amended, as the case may be.

Disagreement of House with Message.

98. If the motion that the amendments recommended by the Governor be taken into consideration is not carried, the member giving notice of the motion under rule 92 may at once move that the Bill as originally passed by the House be passed again without amendment.

(H) AUTHENTICATION OF BILLS PASSED AGAIN BY THE HOUSE

Authentication of Bill passed again by House.

99. When a Bill is passed again by the House, and is in possession of the House, the Bill shall be signed by the Speaker and presented to the Governor in the following form :-

"The above Bill has been passed again by the House in pursuance of the proviso to Article 200 of the Constitution.

Speaker."

Provided that in the case of the absence of Speaker from Raipur the Secretary may, in case or urgency, authenticate the bill on behalf of the Speaker.

Discussion of Governor's Ordinances.

100. As soon as possible after Governor has promulgated an Ordinance under clause (1) of Article 213 of the Constitution, printed copies of such Ordinance shall be made available to the members of the Vidhan Sabha. Within six weeks from the re-assembly of the Vidhan Sabha, any member may, after giving three clear days notice to the Secretary, move a resolution disapproving the Ordinance.

Statement connection with Ordinance.

101. (1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by ordinance.

(2) Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance.

(I) ADJOURNMENT OF DEBATE ON BILLS THEIR WITHDRAWAL AND REMOVAL

Adjournment of debate on Bill.

102. At any stage of a Bill which is under discussion in the House a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker.

Withdrawal of Bill.

103. The Member in-charge of a Bill may at any stage of a Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that -

(a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or

(b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which subsequently alters the provisions contained therein; or

(c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of the provisions in addition to other provision; and if such leave is granted no further motion shall be made with reference to the Bill :

Provided that where a Bill is under consideration by a Select Committee of the House, notice of any motion for the withdrawal of a Bill shall automatically stand, referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a report to the House, the motion shall be set down in the list of business.

Explantatory statement by members who moves and opposes withdrawal motion.

103-A. If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed, the Speaker may, if he thinks fit, permit the member who moves and the member who opposes the motion to make brief explanatory statements and may thereafter, without further debate, put the Questioner.

Removal of a Bill from Register of Bills.

104. Where any of the following substantive motion under these rules in regard to a Bill is rejected by the Vidhan Sabha no further motion shall be made with reference to the Bill, and such Bill shall be removed from the Register of Bills pending in Vidhan Sabha :-

(i) that leave be granted to introduce the Bill;

(ii) that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon;

(iii) that the Bill be referred to a Select Committee;

(iv) that the Bill be taken into consideration;

(v) that the Bill, as reported by Select Committee, be taken into consideration; and

(vi) that the Bill (or as the case may be, that the Bill, as amended) be passed.

Special provision for removal of private members Bill from Register of Bills.

104-A. A private member's Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case -

(a) the member-in-charge ceases to be a member of the House; or

(b) the member-in-charge is appointed a Minister.

(J) PROCEDURE FOR RATIFICATION OF AMENDMENT TO THE CONSTITUTION

Ratification of amendment to the Constitution

105. (1) On receipt of a communication or message for ratification of the amendment to the Constitution, the same along with a copy of the Bill and the debates thereof shall be laid on the Table of the House.

(2) The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a date for discussion thereon.

(3) Rules and orders relating to discussion of a resolution shall apply mutatis mutandi to the discussion of such resolution.

(4) A Copy of the resolution passed by the Vidhan Sabha shall be sent by the Secretary to the Government and to Parliament in case the resolution is not passed, an intimation to that effect shall be sent.

CHAPTER XI - PETITIONS

Petitions.

106. Petitions may be presented or submitted to the House with the consent of the Speaker on -

(i) a Bill which has been published under rule 59 or which has been introduced in the House;

(ii) any matter connected with the business pending before the House; and

(iii) any matter of general public interest provided that it is not one -

(a) which falls within the cognizance of court of law having jurisdiction in any part of Chhattisgarh or a court of enquiry of a statutory tribunal or authority or a quasi-judicial body, or a commission;

(b) which can be raised on a substantive moton or resolution; or

(c) for which remedy is available under the law, including rules, regulations, bye laws made under an Act.

General form of petition.

107. (1) The general form of petition set out in the first Schedule with such variations as the circumstances of each require, may be used and, if used, shall be sufficient.

(2) Every petition shall be couched in respectful and temperate language.

Authentication of signatories to petition.

108. The full name and address of every signatory to a petition shall be set out therein and shall be authenticated by the signatory if literate, by his signature and if illiterate, by his thumb impression.

Documents not to be attached.

109. Letters, affidavits or other documents, shall not be attached to any petition.

Counter signature.

110. Every petition shall, if presented by a member, be countersigned by him.

Petition whom to be addressed and how to be concluded.

111. Every petition shall be addressed to Vidhan Sabha and shall conclude with a prayer reciting the definite object of the petitioners in regard to the matter which it relates.

Presentation of petition.

112. Any petition may be presented by a member, or be forwarded to the Secretary, in which later case the fact shall be reported by him to the house and no debate shall be permitted on the making of such report.

Form of Presentation.

113. A member presenting a petition shall confine himself to a statement in the following form :-

"I present a petition signed by .... petitioners regarding ....

and no debate shall be permitted on this statement.

Reference to Committee

114. Every petition after presentation by a member or report by the Secretary, as the case may be, and any petition received when the Vidhan Sabha is not in session, if so directed, by the Speaker shall be referred to the Committee.

CHAPTER XII - DELEGATED LEGISLATION

Laying of regulation rule, etc, on Table of House.

115. (1) Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the legislative functions delegated to any authority is laid before the House, the period specified in the relevant Act, for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjournment sine die and later prorogued unless otherwise provided in the relevant Act.

(2) Where the specified period, is not so completed, the regulation, rule, sub-rule, bye-law etc., shall be relaid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session.

Allotment of time for discussion of amendments.

116. The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a day or days or part of a day, as he may think fit for the consideration and passing of an amendment to such regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc., of which notice may be given by a member;

Provided that notice of the amendment shall be in such form as the Speaker may consider appropriate and shall comply with these rules.

CHAPTER XIII - RESOLUTIONS

Notice of resolution.

117. A member, other than a Minister, who wishes to move a resolution relating to a matter of general public interest, shall give notice of the resolution fifteen clear days before the day alloted for resolutions, and shall, together with the notice, submit a copy of the resolution which he wishes to move :

Provided that the Speaker may allow resolution to be entered in the list of business with shorter notice than fifteen days :

Provided further that no member shall, unless he has obtained the special permission of the Speaker, be permitted to give notice of more then three resolutions for one session of the Vidhan Sabha.

Form of resolution.

118. A resolution may be in the form of a declaration of opinion, or a recommendation; or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House of an act of policy to Government, or convey a message or command, urge or request an action or call attention to a matter or situation for consideration by Government; or may be in such other form as the Speaker may consider appropriate.

Subject-matter of resolution.

119. Subject to the provisions of these rules any member or a Minister may move a resolution relating to a matter of general public interest.

Conditions of admissibility of resolution.

120. In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :-

(i) it shall be clearly and precisely expressed, and shall raise substantially one definite issue;

(ii) it shall not contain arguments, inferences, imputations, ironical expressions or defamatory statements;

(iii) it shall not refer to any matter of the fact on which a judicial decision is pending or to a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate the matter;

(iv) it shall not refer to the character or conduct of any person except in his official or public capacity; and

(v) it shall not refer to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duties.

Speaker to decide admissibility of resolution.

121. (1) The Speaker shall decide if the resolution is admissible under the rules and may disallow any resolution which, in his opinion, does not comply with these rules :

Provided that he may amend it in form or give the member concerned an apportunity of amending it.

(2) The Speaker may disallow any resolution or any part of a resolution on the ground that it relates to a matter which is not primarily the concern of the State Government or is detrimental to the public interest.

Moving of resolution.

122. (1) A member in whose name a resolution stands in the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, when called on, move the resolution, in which case he shall commence his speech by a formal motion in the term appearing on the list of business :

Provided that the member may, with the permission of the Speaker, authorise any other member, in whose name the same resolution stands lower in the list of business, to move it on his behalf and the member so authorised may move accordingly.

(2) If the member, when called on, is absent, any other member authorised by him in writing in this behalf may, with the permission of the Speaker move the resolution standing in his name.

Notice of amendments.

123. (1) After a resolution has been moved, any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution.

(2) If notice of such amendment, together with a copy of the text of the amendment, has not been given three days before the day fixed for the discussion of the resolution, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

(3) The Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been given.

Time limit of speeches.

124. No speech on a resolution, except with the permission of the Speaker, shall exceed fifteen minutes in duration :

Provided that the mover of a resolution, when moving the same and the Minister concerned when speaking for the first time, may speak for thirty minutes or for such longer time as the Speaker may permit.

Scope of discussion.

125. The discussion of a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution.

Withdrawal of resolution and amendment.

126. (1) A member in whose name a resolution stands in the list of business may, when called on, withdraw the resolution in which case he shall confine himself to a mere statement to that effect.

(2) A member who has moved a resolution or amendment to a resolution shall not withdraw the same except by leave of the House.

(3) If a resolution which has been admitted is not discussed during the session, it shall be deemed to have been withdrawn.

Spliting of resolution.

127. When any resolution involving several points has been discussed, the Speaker may divide the resolution, and put each or any points separately to the vote, as he may think fit.

Repetition of Resolution.

128. (1) When a resolution has been moved, no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution.

(2) When a resolution has been withdrawn with the leave of the House, no resolution raising substantially the same question shall be moved during the same session.

Copy of resolution passed to be sent to Minister.

129. A copy of every resolution, which has been passed by the House, shall be forwarded to the Minister concerned.

CHAPTER XIV - MOTIONS

Discussion on matter of public interest.

130. Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion on a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker.

Notice of motion.

131. Notice of a motion shall be given in writting addressed to the Secratary.

Conditions of admissibility of motion.

132. In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :-

(i) It shall raise substantially one definite issue;

(ii) It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;

(iii) It shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;

(iv) It shall be restricted to a matter of recent occurrence;

(v) It shall not raise a question of privilege;

(vi) It shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session;

(vii) It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session;

(viii) It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of Chhattisgarh.

Speaker to decide admissibility of motion.

133. The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

Motion for raising discussion on matter before tribunals, Commission, etc.

134. No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved :

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

Allotment of time and discussion of motions.

135. The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion.

Speaker to put question at appointed time.

136. The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted day, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the original question.

Time limit for speeches.

137. The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

CHAPTER XV - CALLING ATTENTION

Procedure regarding Calling attention.

138. (1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date :

Provided that no member shall give more than two such notices for any one sitting;

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a question :

Provided that names of not more than three members shall be shown in the list of business.

Explanations :- (i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(ii) Notices received after 9 A.M. shall be deemed to have been given for the next sitting.

(3) Not more than two such matters shall be raised at the same sitting.

(4) In the event of more than one matter being presented for the same day, priority shall be given to the matter which is in the opinion of the Speaker, more urgent and important.

(5) The proposed matter shall be raised after the questions and before the list of business is entered upon and at no other time during the sitting of the House.

(6) All the notices which have not been taken up at the sitting for which they have been given shall lapse at the end of the sitting unless the Speaker has admitted any of them for a subsequent sitting.

CHAPTER XVI - DISCUSSION ON A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Notice of raising discussion.

139. Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the secretary specifying clearly and precisely the matter to be raised :

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question :

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members.

Speaker to decide admissibility.

140. If the Speaker is satisfied, after calling for such information from the member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, he may admit the notice and in consultation with the Leader of the House fix the date on which such matter may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding one and a half hours, as he may consider appropriate in the circumstances :

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter the Speaker may refuse to admit the notice.

No Formal motion

141. There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to take part in the discussion.

Time limit for speeches.

142. The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for the speeches.

CHAPTER XVI -A- SHORT DURATION DISCUSSION

Notice of raising discussion.

142-A. Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary specifying clearly and precisely the matter to be raised.

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question.

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of atleast two other members.

Speaker to decide admissibility and allotment of time.

142-B. (1) If the Speaker is satisfied after calling for such information from member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the house at an early date, he may admit the notice.

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter the Speaker may refuse to admit the notice.

(2) The Speaker may allot two sittings in a week on which such matters may be taken-up for discussion and allow such time for discussion not exeeding forty five minute or before the end of the sitting, as he may consider appropriate in the circumstances.

No formal motion.

142-C. There shall be no formal motion before the house nor voting. The member who has given notice may make a short statement and minister shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to take part in the discussion.

Time limit for speeches.

142-D. The Speaker may if he thinks fit prescribe a time limit for the speeches.

CHAPTER XVII-MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS AND STATEMENT BY A MINISTER WHO HAS RESIGNED

Motion of no confidence in Council of Ministers

143. (1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely :-

(a) Leave to make the motion must be asked for : by the member when called by the Speaker.

(b) the member asking for leave must before the commencement of the day leave with the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move.

(2) If the Speaker is of the opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day not being more than ten days from the date on which the leave is asked, as he may appoint if less than the requisite number of members rise,. the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.

(3-A) The member shall communicate, in writing to the Secretary before the appointed time, the charges to be levelled during the course of discussion by the Member or Members who gave the notice of the motion, as the case may be.

(4) The Speaker shall at the appointed hour on the allotted day or, as the case may be, the last of the allotted days forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

(5) The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

Statement by Minister who has resigned.

144. (1) A member who has resigned the office of Minister may with the consent of the Speaker, make a personal statement in explanation of his resignation.

(2) A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made :

Provided that in the absence of a written statement the points or the gist of such statement shall be conveyed to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made.

(3) There shall be no debate on such statement, but after it has been made, and Minister may make a statement pertinent thereto.

CHAPTER XVIII-RESOLUTION FOR REMOVAL OF THE SPEAKER OR THE DEPUTY SPEAKER FROM OFFICE

Resolution for Removal for Speaker or Deputy Speaker

145. (1) A member wishing to give notice if a resolution under clause (c) of Article 179 of the Constitution, for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker shall do so in writing to the Secretary.

(2) On receipt of a notice under sub-rule (1) a motion for leave to move the resolution shall be entered, in the list of business in the name of the member concerned, on a day fixed by the Speaker provided that the day so fixed shall be any day after fourteen days from the date of the receipt of notice of the resolution.

Leave of House to take up resolution.

146. (1) Subject to the provisions of Article 181 of the Constitution, the Speaker or the Deputy Speaker or such other person as is referred to in clause (2) of Article 180 of the Constitution, shall preside when a motion under sub-rule (2) of rule 145 is taken up for consideration.

(2) The member in whose name the motion stands in the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, move the motion when called upon to do so, but no speech shall be permitted at this stage.

(3) The Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may, be shall, thereupon place the motion before the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places. If not less than one-tenth of the total number of members rise accordingly, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall say that leave been granted and that the resolution will be, taken up on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is asked or, as he may appoint. If less than the required number of members rise, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall inform the member that he has not the leave of the House.

Resolution include in list of business on appointed day.

147. On the appointed day the resolution shall be included in the list of business.

Time limit fo speeches.

148. Except with the permission of the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, a speech on the resolution shall not exceed fifteen minutes in duration :

Provided that the mover of the resolution when moving the same, may speak for such longer time as the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding may permit.

CHAPTER XIX - PROCEDURE IN FINANCIAL MATTERS

(A) THE BUDGET

Budget.

149. The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of each financial year (hereinafter referred to as "the Budget") shall be presented to the Vidhan Sabha on such day as the Governor may direct.

Budget not to be discussed on day of presentation.

150. There shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to Vidhan Sabha.

(B) DEMANDS FOR GRANTS, DISCUSSION ON BUDGET, CUT MOTION, VOTE ON ACCOUNTS

Demands for Grants.

151. (1) A separate demand shall ordinarily be made in respect of the grant proposed for each department of the Government, provided that the Finance Minister may include in one demand grants proposed for two or more departments or make a demand in respect of expenditure which cannot readily be classified under any particular department.

(2) Each demand shall contain first, a statement of the total grant proposed and then so for as practicable a statement of the detailed estimate under each grant divided into items.

General discussion on Budget.

152. (1) On a day to be appointed by the Speaker subsequent to the day on which the Budget is presented and for such time as the Speaker may allot for the purpose, the Vidhan Sabha shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question or principle involved therein, but at this stage no motion shall be moved nor shall the Budget be submitted to the vote of the Vidhan Sabha.

(2) The Finance Minister shall have a general right of reply at the end of the discussion.

(3) The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

Voting of Grants.

153. (1) The Speaker after consultation with the Leader of the House shall allot so many days as may be compatible with the public interest for the discussion on voting of demands for grants.

(2) On the last day of the allotted days, at 4 O'clock, for at such other hour as the Speaker may fix in advance, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the demands for grants.

(3) Motions may be moved to reduce any grant.

(4) No amendments to motions to reduce any grant shall be permissible.

(5) When several motions, relating to the same demand are offered they shall be discussed in the order in which the heads to which they relate, appear in the Budget.

Notice of cut motions.

154. If notice of a motion to reduce any grant has not been given four clear days before the first day allotted for the voting of demands for grants, any member may object to the moving of the motion, and such objection, shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

Conditions of admissibility of cut motions. 154-A. For the admissibility of the motion to reduce the amount of any demand, it shall fulfill the following conditions, namely :-

(i) it shall relate to one demand only;

(ii) it shall be clearly expressed and shall not contain, arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements :

(iii) it shall be confined to one specific matter which shall be started in precise terms;

(iv) it shall not reflect on the character or conduct of any perosn whose conduct can only be challenged on a substantive motion;

(v) it shall not make suggestions for the amendment or repeal of the existing laws;

(vi) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of Chhattisgarh;

(vii) it shall not relate to expenditure chargeable on the Consolidated Fund of Chhattisgarh;

(viii) it shall not relate to a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of Chhattisgarh;

(ix) it shall not raise a question of privilege;

(x) it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session and on which a decision has been taken;

(xi) it shall not anticipate matter which has been previously appointed for consideration in the same session;

(xii) it shall not ordinarily seek to raise a discussion a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial functions or any Commission or Court of Enguiry appointed to enquire into, or investigate any matter :

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or stage or enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the Statutory Tribunal Authority, Commission or Court of Enquiry; and

(xiii) It shall not relate to a trifling matter.

Speaker to decide admissibility of Cut Motion. 154-B. The Speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules and may disallow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right or moving cut motions or is calculated to obstruct or prejudically effect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

Vote on account 155. (1) A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion.

(2) Amendments may be moved for the reduction of the whole grant or for the reduction omission of the items whereof the grant is composed.

(3) Discussion of a general character shall be allowed on the motion or amendment moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further than necessary to develop the general points.

(4) In other respects, a motion for vote on account shall be dealt with in same way as it is were a demand for grant.

Supplementary, additional, excess and exceptional grants and vote of credit.

156. (1) Supplementary, additional, excess and exceptional grant and votes of credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as the speaker may deem to be necessary or expedient.

Scope of discussion on Supplementary Grants.

(2) The debate on the supplementary grants shall be confined to the items stating the same and no discussion may be raised on the original grant nor policy underlying them, save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

Token Grant.

157. When funds to meet proposed expenditure on a new service can be made available by re-appropriation, a demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the Vidhan Sabha and, Vidhan Sabha assents to the demand funds may be so made available.

(C) APPROPRIATION BILL

Appropriation Bill.

158. (1) Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills Generally with such modifications as the Speaker may consider necessary.

(2) At any time after the introduction in the Vidhan Sabha of an Appropriation Bill the Speaker may allot a day or days jointly or severally for the completion of all or any of the stages involved in the messages of the Bill by the Vidhan Sabha and then such allotment has been made the Speaker shall at 17.00 Hrs. on the alloted day or as the case may be, the last of the alloted, days forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or days have been allotted.

(3) The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time-limit for speeches at all or any of the stages for which a day or days have been allotted under the preceeding sub-rule.

Scope of discussion on Appropriation Bill.

159. (1) The debate on the Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion.

(2) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise and he may withold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grants or as may not be of sufficient public importance.

(3) If any appropriate Bill is in pursuance of a supplementary grant in respect of an existing service, the discussions shall be confined to the items constituting the same, and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it save in so far as it may be necessary to explain or illustrate a particular item under discussion.

Business that can be taken up on day alloted for any kind of financial business.

160. Notwithstanding that a day has been alloted for other business under rule 152, 153 and 158 a motion for leave to introduce a Bill may be made and a Bill may be introduced on such day before Vidhan Sabha enters on the business for which the day has been alloted.

Time limit for disposal of financial business.

161. In addition to the powers exercisable by the Speaker under these rules, he may exercise all powers necessary for the purpose of the timely completion of all financial business and in particular allot time for the disposal of various kinds of such business and where time so alloted, he shall at the appointed hour put every question necessary to dispose of all standing matters in connection with the stage or stages for which time has been alloted.

Explanation :- Financial business includes and business which the Speaker holds as coming within this category under the Constitution.

CHAPTER XX - COMMUNICATION BETWEEN THE GOVERNOR AND THE VIDHAN SABHA

Communications from Governor to Vidhan Sabha.

162. Communications from the Governor to the Vidhan Sabha shall be made to the Speaker by written message signed by the Governor or if the Governor is absent from the place of meeting of the Vidhan Sabha his message shall be conveyed to the Speaker through a Minister.

Communications from Vidhan Sabha to Governor.

163. Communications from the Vidhan Sabha to the Governor shall be made -

(1) by formal address, after motion made and carried in the House, and

(2) through the Speaker.

CHAPTER XX-A -SECRET SITTING OF THE ASSEMBLY

Secret sitting.

163-A. (1) On a request by the Leader of the House the Speaker shall fix a day or part thereof for sitting of the House in secret.

(2) When the Assembly sits in Secret, no stranger shall be permitted to be present in the Chamber, Lobby or Galleries :

Provided that persons authorised by the Speaker may be present in the Chamber, Lobby or Galleries.

Report of the proceedings.

163-B. The Speaker may cause a report of the proceedings of a secret sitting to be issued in such a manner as he thinks fit, but no other person present shall keep a note or record of any proceedings or discussions of a secret sitting, whether in part or full, or issue any report of, or purport to describe, such proceedings.

Procedure in other respects.

163-C. The procedure in all other respects in connection with the secret sitting shall be in accordance with such directions as the Speaker may give.

Lifting ban of Secrecy.

163-D. (1) When it is considered that the necessity for maintaining secrecy in regard to the proceedings of a secret sitting has ceased to exist and subject to the consent of the Speaker, a motion may be moved by the Leader of the House or any Member authorised by him, that the proceedings in the House during a secret sitting be no longer treated a secret.

(2) On adoption by the House of the motion under sub-rule (1) the Secretary shall cause to be prepared a report of the proceedings of the secret sitting, and shall, as soon as practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may direct.

Disclosure of proceeding or decisions.

163-E. Subject to the provisions of rule 163-D disclosure of proceedings or decisions of a secret sitting by any person in any manner shall be treated as a gross breach of privilege of the Assembly.

CHAPTER XXI-PRIVILEGES

(A) QUESTIONS OF PRIVILEGES

Consent of the Speaker.

164. Subject to the provisions of these rules, a member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member, or of the House or of a Committee thereof.

Notice of question of privilege.

165. A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement on the sitting, the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document the notice shall be accompanied by the document.

Conditions of admissibility of question of privilege.

166. The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions.

(i) not more than one question shall be raised at the same sitting;

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurence;

(iii) the matter requires the intervention of the House.

Mode of raising question of privilege.

167. (1) The Speaker, if he gives consent under rule 164 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto :

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 164 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refused consent or holds that the notice of question of privilege is not in order :

Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting after the disposal of questions.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than ten members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than ten members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

Reference to Committee of privileges.

168. If leave under rule 167 is granted, the House may consider the Question and come to a decision or refer it to a Committee of Privilege on a motion made either by a member who has raised the Question or by any other member.

Power of Speaker to refer questions of privileges to Committee.

169. Notwithstanding anything contained in these rules the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privilege for examination, investigation or report.

Regulation of Procedure.

170. The Speaker may issue such directions as he may consider necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of Privilege either in the Committee or in the House.

(B) INTIMATION TO SPEAKER OF ARREST, DETENTION ETC., AND RELEASE OF A MEMBER

Intimation to Speaker of arrest, detention etc. of Member by Magistrate.

171. When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a Court is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Second Schedule.

Intimation to Speaker on release of member.

172. When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Second Schedule.

Treatment of communications received from Magistrate.

173. As soon as may be, the Speaker shall, after he has received a communication reffered to in rule 171 or rule 172 read it out in the House if in session, or if the House is not in session direct that it may be published in the Patrak for the information of the members;

Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or by discharge on appeal is received before the House has been informed of the original arrest, the fact of his arrest, or his subsequent release or discharge may not be intimated to the House by the Speaker.

(C) PROCEDURE REGARDING SERVICE OF A LEGAL PROCESS AND ARREST WITHIN THE PRECINCTS OF THE HOUSE

Arrest within the precincts of House.

174. No arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

Service of legal process.

175. A legal process, civil or criminal, shall not be served within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

CHAPTER XXII-LEGISLATURE COMMITTEES

(A) GENERAL RULES

Definition of Committee.

176. In this chapter, unless the context otherwise requires, "Committee" means and includes "Legislature Committee" as defined in item (q) of sub-rule (1) of rule 2.

Appointment of Committee.

177. (1) The members of a committee shall be appointed or elected by the House on a motion made, or nominated by the Speaker, as the case may be.

(2) No member shall be appointed to a committee if he is not willing to serve on it. The propose shall ascertain whether the member whose name is proposed by him is willing to serve on the Committee.

(3) Casual vacancies in a committee shall be filled by appointment or election by the House on a motion made, or nomination by the Speaker, as the case may be, and any member appointed, elected or nominated to fill such vacancy hold office for the unexpired portion of the term for which the member in whose place he is appointed, elected or nominated would have normally held office.

Term of office of members of Legislature Committee.

178. Except in the case of Select Committee constituted under rule 68 or any other Committee for which term of office, is expressly provided for, the term of office of members of every Legislature Committee shall be one year from the date of the constitution of the Committee :

Provided that the outgoing members shall continue in office until their successors have been duly elected or nominated.

Resignation of member from Committee.

179. A member may resign his seat from a Committee by writing under his hand, addressed to the Speaker.

Chairman of Committee.

180. (1) The Chairman of the Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of Committee :

Provided that if the Deputy Speaker is a member of the Committee he shall be appointed Chairman of the Committee.

(2) If the Chairman is for any reason unable to act, the Speaker may similarly appoint another Chairman in his place.

(3) If the Chairman is absent from any meeting the Committee shall choose another member to act as Chairman for that meeting.

Quorum.

181. (1) The quorum to constitute a meeting of the Committee shall be, as near as may be, one-third of the total number of members.

(2) If at any time fixed for any meeting of the Committee, or if at any time during any such meeting there is no quorum, the Chairman of the Committee shall either suspend the meeting until there is a quorum or adjourn the meeting to some future day.

(3) When the Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (2) on two successive dates fixed for meetings of the Committee the Chairman shall report the fact to the House :

Provided that where a Committee has been appointed by the Speaker, the Chairman shall report the fact of such adjournment to the Speaker.

Voting in Committee.

182. All questions at any sitting of the Committee shall be determined by majority of votes of the members present and voting.

Casting vote of Chairman.

183. In the case of an equality of votes on any matter, the Chairman shall have a second or casting vote.

Power to appoint Sub-Committee.

184. (1) The committee may appoint one or more sub-committees, each having the powers of the individed Committee to examine any matters that may be refferred to them and the reports of such sub-committees shall be deemed to be the reports of the whole Committee, if they are approved at a meeting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-committee shall clearly state the point or points for investigation. The report of the sub-committee shall be considered by the whole Committee.

Sittings of Committee.

185. The sittings of the Committee shall be held on such days and at such hour as the Chairman of the Committee may fix :

Provided if the Chairman of the Committee is not readily available, the Secretary may fix the date and time of a sitting.

Committee may sit whilst House is sitting.

186. The Committee may sit whilst the House is sitting, provided that on a division being called in the House, the Chairman of the Committee shall suspend the proceedings in the Committee for such time as well in his opinion, enable the members to vote in a division.

Sitting of Committee in private.

187. Members who are not members of a Committee may, with the permission of the Committee, be present during the deliberation of the Committee but shall not address the Committee nor sit in the body of the Committee :

Provided that a Minister may, with the permission of the Chairman, address the Committee of which he may not be a member.

Venue of Sittings.

188. The sitting of the Committee shall ordinarily be held within the precincts of the Vidhan Sabha Building, but the Speaker may fix any other place for the sitting of a Committee.

Power to take evidence or call for papers, records or documents.

189. (1) A witness may be summoned by an order signed by the Secretary and shall produce such documents as are required for the use of the Committee.

(2) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential.

(3) No documents submitted to the Committee shall be withdrawn or altered without the knowledge and approval of the Committee.

Power of Legislature Committee to call for persons, papers and records.

190. A Legislature Committee shall have power to send for persons, papers and records :

Provided that if a witness objects to the production of any documents, the matter may be referred to the Speaker whose decision shall be final :

Provided further that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State.

Procedure for examining witnesses.

191. The examination of witnesses before a Committee shall be conducted as follows:-

(i) The Committee shall, before a witness is called for examination, decide the mode of procedure and the nature of questions that may be asked of the witness.

(ii) The Chairman of the Committee may first ask the witness such question or questions as he may consider necessary with reference to the subject matter under consideration or any subject connected therewith according to the mode of procedure mentioned in cluase (i) of this rule.

(iii) The Chairman may call other members of the Committee one by one to ask any other questions.

(iv) A witness may be asked to place before the Committee any other relevant points that have not been covered and which a witness thinks are essential to be placed before the Committee.

Proceedings and report to be confidential until laid on Table of House or published.

192. (1) All proceedings and the report of any Legislative Committee shall be confidential and shall not be disclosed or otherwise published by any person until they are laid on Table of the House or published under the order of the Speaker under rule 197.

(2) The Committee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table of the House.

(3) No part of the evidence, oral or written, report or proceedings of the Commitee which has not been laid on the Table of the House shall be open to inspection by any one except under the authority of the Speaker.

Special reports

193. A Committee may, if it thinks fit, make a special report on any matter that arises or comes to light in the course of its work which it may consider necessary to bring to the notice of the Speaker or the House, notwithstanding that such matter is not directly connected with, or does not fall within or is hot incidential to, its terms of reference.

Report of Committee.

194. (1) Where the House has not fixed any time for the presentation of the report, the report shall be presented within three months of the date on which reference to the Committee was made :

Provided that the House may, at any time ona motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(3) The report of the Committee shall be signed by the Chairman on behalf of the Committee :

Provided that in case the Chairman is absent or is not readily available, the Committee shall choose another member to sign the report on behalf of the Committee.

Availability of report to Government before presentation.

195. The Committee may, if it thinks fit, make available to Government any completed part of its report before presentation to the House. Such report shall be treated as confidential until presented to the House.

Presentation of report.

196. (1) The report of the Committee shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee.

(2) In presenting the report the Chairman or, in his absence, the member, presenting the report shall, if he makes any remarks, confine himself to a brief statement of fact, but there shall be no debate on that statement.

Printing, publication or circulation of report prior to its presentation to House.

197. The Speaker may, on a request being made to him and when the House is not in session, order the printing, publication or circulation of a report of a Committee although it has not been presented to the House. In that case the report shall be presented to the House during its next sessionat the first convenient opportunity.

Power of Legislature Committee to make suggestions on its procedure.

198. A Legislature Committee shall have power to pass resolutions on matters of procedure relating to that Committee for the consideration of the Speaker who may make such variations in procedure as he may consider necessary.

Power of Committee to make detailed rules.

198-A. A Committee may with the approval of the Speaker make detailed rules of procedure to supplement the provisions contained in the rules in this chapter.

Power of Speaker to give direction on point of procedure or other wise.

199. (1) The Speaker may from time to time issue such directions to the Chairman of the Committee as he may consider necessary for regulating its procedure and the organisation of its work.

(2) If any doubt arises on any point of procedure or otherwise the Chairman may, if he thinks fit, refer the point to the Speaker, whose decision shall be final.

Unfinished work of Legislature Committee.

200. A Legislature Committee which is unable to complete its works before the completion of its term may report to the House that the Committee has not been able to complete its work. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken shall be made available to the new Committee.

Business before Committee not to lapse on prorogation of House.

201. Any business pending before a Committee shall not lapse by reason only of the prorogation of the House and the Committee shall continue to function notwithstanding such prorogation.

Applicability of general rules to Committee.

202. Except for matters for which special provision is made in the rules relating to any particular Committee the general rules in this Chapter shall apply to all Committees: and if and so far as any provision in the special rules relating to a Committee is inconsistent with the general rules, the former rules shall prevail.

(B) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Constitution of Committee.

203. (1) At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker may nominate a committee called the Business Advisory Committee consisting of not more than Nine members including the Speaker who shall be the Chairman of the Committee.

(2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office for one year.

(3) If the Speaker for any reason is unable to preside over any meeting of the Committee he shall nominate a Chairman for that meeting.

Functions of Committee.

204. (1) It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other Government business as the Speaker in consultation with the Leader of the House may direct for being referred to the Committee.

(2) The Committee shall have power to indicate in the proposed time-table the different hours at which the various stages of the Bill or other Government business shall be completed.

(3) The Committee shall have such other functions as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

Report of Committee.

205. The time table in regard to the Bill or group of Bills and other Government business as settled by the Committee shall be reported by the Speaker to the House and notified in the Patrak.

Allocation of time order.

206. (1) After the report is made to the House, any member may ask a question by way of clarification of the time-table.

(2) The Speaker may, after considering the objection or suggestion, make any minor modifications which he may consider necessary, and declare that the time table shall be followed or in the alternative he may designate a member of the Committee to move a motion for the adoption of the allocation of time order.

(3) Where a member is designated under sub-rule (2), such member shall move a motion to the effect, that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee in regard to such and such Bill or Bills or other Government business and if such motion is accepted by the House, it shall take as if it where an Order of the House :

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation, or with reference to any particular matter.

(4) The discussion on a motion made under this rule shall not extend beyond thirty minutes and no member shall speak on the motion for more than five minutes.

Disposal of outstanding matters at appointed hour.

207. At the appointed hour in accordance with the Allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill.

(C) COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

Constitution of Committee.

208. (1) There shall be a Committee on Private Member's Bills and Resolutions consisting of not more than seven members.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

Functions of Committee.

209. (1) The functions of the Committee shall be -

(a) to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage of stages or each private member's Bills and also to indicate in the time table so drawn up the different hours at which the various stages of the Bill a day shall be completed;

(b) to examine every private member's Bill which is opposed in the House on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, and the Speaker considers such objection *prima facie* tenable;

(c) to recommend time for the discussion of private member's resolutions and other ancillary matters.

(d) to follow-up action taken by Government on Resolution passed by House.

(2) The Committee shall perform such other functions in respect of private member's Bills and resolutions as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

Motion moved in House on report.

210. At any time after the report has been presented to the House a motion may be moved that the House agree or agrees with amendments or disagrees with the report :

Provided that not more than half an hour shall be alloted for discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion :

Provided further that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee without limitation or with reference to any particular matter.

Notification of classification and Allocation of Time Order.

211. The Allocation of Time Order in respect of the Bills or resolutions shall be notified in the Patrak in accordance with the decision of the House.

Disposal of outstanding matter at appointed hour.

212. At the appointed hour in accordance with the Allocation of Time Order, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the completion of a particular stage of the Bill.

(D) COMMITTEE ON PETITIONS

Constitution of Committee.

213. At the commencement of the Vidhan Sabha or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee on Petitions consisting of not more than seven members :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

Examination and circulation of petition.

214. (1) The Committee shall examine every petition referred to it and if the petition complies with these rules, the Committee may in its discretion direct that it be circulated. Where circulation of the petition has not been directed the Speaker may at any time direct that the petition be circulated.

(2) Circulation of the petitions shall be in *extenso* or of a summary thereof as the Committee or the Speaker, as the case may be, may direct.

Presentation of Report.

215. The Committee shall report to the House stating the subject the subject matter of the petition, the number of persons by whom it is signed and whether it is in conformity with these rules, and also whether circulation has or has not been directed, it shall also be the duty of the Committee to report to the House on specific complaints made in the petition referred to it after taking such evidence as it deems fit and to suggest remedial measures either in a concrete form applicable to the case under review or to prevent such cases in future.

(E) COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

Functions of Committee.

216. There shall be constituted a Committee called the Committee on Delegated Legislation for examining each regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. framed in pursuance of the legislative function delegated to any authority under an Act referred to as "order".

Constitution of Committee.

217. (1) The Committee shall consist of not more than seven members who shall be nominated by the Speaker. :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of the members of the Committee shall be one year.

Numbering and publication of orders.

218. Each regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. framed in pursuance of the provisions of the constitution of the legislative functions delegated by the Legislative Assembly to a subordinate authority and which is required to be laid before the Assembly shall, subject to such rules, as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, prescribe be numbered centrally and published in the Gazette immediately after it is promulgated.

Examination of Orders.

219. The Committee shall scrutinise every Order presented to the House and in particular consider -

(i) whether it is in accord with the general objects of the constitution or the Act pursuant to which it is made;

(ii) whether it contains matter which in the opinion of the Committee should more properly be dealt with in an Act of State Legislature;

(iii) whether it contains imposition of any tax;

(iv) whether it directly or indirectly bars the jurisdiction of the Courts;

(v) whether it give retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Act does not expressly give any such power;

(vi) whether it involves expenditure from the Consolidated Fund or the Public Revenued;

(vii) whether it appears to make some unusal or unexpected use of the powers conferre by the Act pursuant to which it is made;

(viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in the publication or laying it before State Legislature;

(ix) whether for any reason its form or purport calls for any elucidation.

Report of Committee.

220. (1) If the Committee is of the opinion that any order should be annulled wholly or in part, or should be suspended in any respect, it shall report that opinion and the grounds thereof to the house.

(2) If the Committee is of the opinion that any other matter relating to any order should be brought to the notice of the house, it may report that opinion and matter to the house.

Power of Speaker to give directions.

220-A. The Speaker may issue such directions as he may consider necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of any question of Delegated Legislation either in the Committee or in the House.

(F) COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

Constitution of Committee.

221. (1) There shall be constituted a Committee called the Committee on Public Accounts for performing the functions assigned to the Committee under sub-rule (2) of rule 222.

(2) The function of the Committee shall be to examine the accounts showing appropriation of the sums granted by the Vidhan Sabha to meet the expenditure of the Government and such other accounts laid before the Vidhan Sabha as the Committee may think fit.

(3) The Committee on Public Accounts shall consist of not more than Nine members who shall be elected by the Vidhan Sabha from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee and that if a member after his election on the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(4) The term of office of members of the Committee shall be the financial year for which it is constituted.

Control of Committee.

222. (1) In scrutinising the Appropriation Accounts of the Government and the report of the Comptroller and Auditor-General thereon it shall be the duty of the Committee on Public Accounts to satisfy itself -

(a) that the money shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged;

(b) that the expenditure conforms to the authority which governs it; and

(c) that every reappropriation has been made within the amount granted for each demand under the Appropriation Act and in accordance with the rules made by the competent authority.

(2) It shall be a duty of the Committee on Public Accounts -

(a) to examine such trading, manufacturing and profit and loss accounts and balance sheets as the Governor may have required to be prepared, and the Comptroller and Auditor-General's report thereon : and

(b) to consider the report of the Comptroller and Auditor-General in cases where the Governor may have required him to conduct an audit of any receipts or to examine the accounts of stores, and stock.

(3) If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted by the House for that purpose the Committee shall examine with reference to the facts of each case the circumstances leading to such an excess and make such recommendation as it may deem fit :

Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to such Public Undertakings either allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

(G) COMMITTEE ON ESTIMATES

Functions and Constitution of Committee.

223. (1) There shall be a Committee on Estimates for the examination of such of the estimates as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker. The functions of the Committee shall be -

(a) to report what economics, improvements in organisation, efficiency or administrative reform, consistent with the policy underlying the estimates, may be effected;

(b) to suggest alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration;

(c) to examine whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates;

(d) to suggest the form in which the estimates shall be presented to Vidhan Sabha.

Provided that the Committee shall not exercise its funcions in relation to such Public Undertakings either allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

(2) The Committee shall consist of not more than Nine members who shall be elected by the House from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee and that if a member after his election to the Committee is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The term of office of the members of the Committee shall be the financial year for which it is constituted.

(4) In order to constitute a meeting of the Committee, the quorum shall be Four.

(5) The Committee may continue its examination of the estimates from time to time throughout the financial year and report to the Vidhan Sabha as its examination proceeds. It shall not be incumbent on the committee to examine the entire estimates of any one year. The demands for grants may be finally voted withstanding. The fact that the Committee has made no report.

(GG) COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Functions of Committee.

223-A. There shall be a Committee on Public Undertakings for the examination of the working of the public undertakings specified in the Third Schedule. The functions of the Committee shall be -

(a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Third Schedule;

(b) to exmine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor-General-Accountant General on the public undertakings;

(c) to examine, in the context of the autonomy and efficiency of the public undertakings, whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the public undertakings specified in the Third Schedule as are not covered by clauses *(a)*, *(b)* and *(c)* above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time :

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely :-

(i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the public undertakings;

(ii) matters of day-to-day administration, and

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established.

Constitution of Committee.

223-B. (1) The Committee shall consist of not more than Nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and that if a member, after his election to the Committee, is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year :

(H) COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Functions and Constitution of Committee.

224. (1) There shall be a Committee on Government Assurances to scrutinize the assurances, promises and undertakings, etc., given by Ministers, from time to time, on the floor of the House and to report on the following matters :-

(a) the extent to which such assurances have been implemented; and

(b) where implemented whether such implementation has taken place within the minimum time necessary for the purpose.

(2) The committee shall consist of not more than seven members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(I) COMMITTEE OF PRIVILEGES

Constitution of Committee.

225. (1) At the commencement of Vidhan Sabha or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee of Privileges consisting of not more than seven members.

(2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new Committee is nominated.

The quorum of Committee.

226. The quorum of the Committee shall be four.

Examination of question by committee.

227. (1) The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so, the nature of the breach, the circumstances leading to it and make such recommendations, as it may deem fit.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1) of this rule, the report may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations made by the Committee.

Sittings of Committee.

228. (1) As soon as may be, after a question of privilege has been referred to the Committee of Privileges, the Committee shall meet from time to time and shall make a report within the time fixed by the House :

Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report, the report shall be presented within one month of the date on which reference to the Committee was made :

Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(3) If any member of the Committee desires to record a minute of dissent on any matter, he shall within such time as the Chairman may allow, hand in his minute.

Consideration of report.

229. As soon as may be, after the report has been presented, a motion in the name of the Chairman or any member of the Committee will be put down that the report be taken into consideration.

Amendments.

230. Any member may give notice of an amendment to the motion for consideration of the report referred to in fule 229 above in such form as may be considered appropriate by the Speaker :

Provided that an amendment may be moved that the question be recommitted to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter.

(J) RULES COMMITTEE

Functions and Constitution of Committee.

231. (1) There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the House and to recommend any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall consist of not more than seven members. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee. Law Minister shall be ex-officio member of the Committee.

(3) The recommendations of the Committee shall be laid on the Table of the House and within a period of seven days, beginning with the day on which they are so laid, any member may give notice of any amendment to such recommendations.

(4) Any notice given by member of any amendment to the recommendations of the Committee shall stand referred to the Committee who shall consider it and make such changes in their recommendations as the Committee may consider fit. The final report of the Committee after taking into consideration the amendments suggested by the members shall be laid on the Table of the House.

Thereafter, on the House agreeing to the report on a motion made by a member of the Committee, the amendments to the rules as approved by the House, shall be promulgated by the Speaker in the Patrak and shall be published in the Gazette.

(5) If notice of such amendment has not been given within seven days, the recommendations of the Committee shall be deemed to have been approved by the House and on the expiry of the said period the Speaker shall promulgate in the Patrak the amendments to the rules as recommended by the Committee.

(6) The amendments to the rules shall come into force on their publication in the Patrak unless otherwise specified.

(K) COMMITTEE ON AMENITIES AND HONOUR OF MEMBERS

Functions and Constitution of Committee.

232. (1) After commencement of the Vidhan Sabha a committee on "amenities & honour of members" shall be appointed to consider all matters, related to amenities of members and contemptous behaviour of Government officers with honourable members & to consider & advice and to inquire and presents its reports to house on complaints relating to contemptous behaviour. The committee shall consist of 9 Members nominated by Speaker out of which one shall be the Chairperson.

(2) The member may submit the complaints relating to recent contemptous act and misbehaviour committed by the Government office and officers violating the orders and directions of the Government, to honourable Speaker.

(3) On receipt of such complaint the Speaker may proceed for preliminary inquiry and adopt such procedure as he deems fit.

(4) After preliminary inquiry the Speaker shall either disallow the complaint or may refer it to the committee for inquiry report and recommendation.

(5) The committee shall follow the procedure as laid down for privilege committee and submit the report to the Assembly.

The committee, if it deems necessary may send serious matter to privilege committee for inquiry and recommendation thereof.

Provided that it can only be done with the permission of the Speaker.

(6) The member may submit the complaints relating to officers not doing works punctually, or have not started proposed works or causing un-necessary delay in doing the works sanctioned in their constituency out of the regional development funds, to the Speaker.

(7) On receiving any such complaint Speaker may refer the complaint for inquiry report and recommendation thereof to the committee.

(8) The committee shall adopt such procedure in inquiry referred to it as may be prescribed by the committee and submit its report to the Assembly.

(L) LIBRARY COMMITTEE

Constitution of Committee.

233. (1) The Speaker shall appoint a Library Committee consisting of such members as he thinks necessary to advise upon matters connected with the Members' Library.

(2) The Committee shall hold office for one year or till new Committee is constituted.

Functions of Committee.

233-A. The functions of the Committee shall be :-

(1) to consider suggestions for the improvement of the library;

(2) to assist members in fully utilising the services provided by library;

(3) to consider and advise on such matters concerning the library as may be referred to it by the Speaker from time to time.

(M) GENERAL PURPOSE COMMITTEE

Functions and Constitution of Committee.

234. (1) The Speaker shall appoint a General Purpose Committee consisting of the Speaker and such other members, not exceeding twenty, as may be nominated by the Speaker. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee.

(2) The Committee shall consider and advice on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time.

(N) COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES

Functions of Committee.

234-A. There shall be a committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes. The functions of the Committee shall be following -

(a) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 338 of the Constitution so far as they relate to the State of Chhattisgarh and to report to the House as to the measures that should be taken by the State Government in respect of the matters,within the purview of the State Government;

(b) to examine the measures intiated by the Government for the welfare of the Backward Classes under article 16 of the Constitution.

(bb) to consider the reports submitted by the commissioner for Backward Classes uner article 340 of the Constitution so far as they related to the State of Chhattisgarh and report to the house as to measures that should be taken by the State Government in respect of the matters within the purview of the State Government.

(c) to examine the measures taken by the State Government to secure due representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts under the control of the State Government (including the appointments in the Public Sector Undertakings, Statutory and Semi-Government Bodies) having regard to the provisions of article 335;

(d) to report to the House on the working of the welfare programmes for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in the State;

(e) to consider generally and to report to the House on all matters concerning the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes which fall within the purview of the State Government;

(f) to examine such other matters as may seem fit to the Committee or specifically referred to it by the House or the Speaker.

(g) Report to the house on action taken by the Government with regard to the recommendation of the Committee.

Constitution of Committee.

234-B. Constitution of the Committee - (1) The Committee shall consist of not more than 9 members out of whom 3-3 members shall be of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backword classes which notified by State Government, who shall be elected by the House from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote :

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee and if a member, after his election to the Committee, is appointed as a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of the Committee shall be of one years or until the other Committee is constituted, whichever is later.

(O) COMMITTEE TO EXAMINE PAPERS LAID ON THE TABLE

Functions and Constitution of Committee.

234-C. (1) At the commencement of every financial year of the Vidhan Sabha, the Speaker shall appoint a Committee for the purpose of examination of the Papers put-up on the Table of the Sabha, the term of the Office where of shall be of one year :

The Committee shall consist of not more than seven members who shall be nominated by the Speaker :

Provided that no minister shall be nominated as a member of the Committee and in the event of any member being appointed as a minister after nomination for the Committee, he shall cease to be a member of the Committee after such appointment.

(P) COMMITTEE ON QUESTIONS & REFERENCE

Constitution of Committee.

234-D. (1) At the commencement of the financial year, Speaker shall constitute a Question and Reference Committee the term of office of Committee shall be one year.

(2) The Committee shall consist of not more than seven members who shall be nominated by the Speaker.

Provided that a minister shall not be nominated as a member of the Committee and if a member after his nomination to the Committee is appointed minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

Functions of Committee.

234.(dd) The functions of the Committee shall be -

(1) If answer to any Stared, Unstared, Short Notice Question, Calling attention or Notice under rule 267-A is not received after giving sufficient time or the answer received is not satisfactory such matters if Speaker consider it appropriate may refer it to Committee.

(2) Any matter other that referred in 234 (1) which does not fall under the jurisdiction of any Committee, may be referred to the Committee on Question & Reference.

(Q) COMMITTEE ON WELFARE OF WOMEN AND CHILDREN

Functions of Committee.

234-E There shall be a Committee for preventing molestation, immoral traffic and exploitation of women and children and taking measures for their welfare. The functions of the Committee shall be as follows :-

(a) To take into consideration the complaints relating to molestation, immoral traffic and exploitation done in contravention of the privileges provided under the Constitution of India and any Act of the Chhattisgarh, as far as they relate to the State of Chhattisgarh, and to report to the State as to what action should be taken by the State Government regarding the matters falling under its jurisdiction. The Committee shall take into consideration in general all matters relating to molestation, immoral traffic and exploitation of women and children and shall in particular examine the complaints relating to the following matters and shall submit its remarks/suggestions and recommendations to the Sabha in the form of a report, Viz :-

(1) Under Article 24 of the Constitution, cases regarding employment of any child below 14 years of age in any factories, hotels, mines and hazardous employment within the State;

(2) Complaints, regarding the working of destitute homes, remand homes, orphanages, Women Welfare homes or Women reformatories, and special schools;

(3) Cases regarding exploitation and Murder of Women for dowry in the State;

(4) Evils arising out of consumption of intoxicating drugs and other intoxicating stuff in children;

(5) Points raised in the Vidhan Sabha during debate on molestation, immoral traffic and exploitation of Women and Children;

(6) The working of administrative departments engaged in organising the programmes relating to the Welfare of Women and Children in the State and the working of Directorate of Welfare of Women and Children.

(b) To submit the implementation report to the Sabha regarding action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee.

(c) To enquire into all cases relating to the above matters which may be specifically referred to it by the Sabha or by the Speaker.

Constitution of Committee.

234-F. (1) As far as possible in the beginning of the financial year the Speaker shall constitute/appoint a committee relating to the Welfare of Women and Children, the term of office of which shall ordinarily be of 2 years.

(2) The Committee shall consist of not more than 9 members, out of which 6 shall be women members. All the members shall be nominated by the Speaker :

Provided that no minister shall be nominated as a member of the Committee, and if any member is appointed as a minister after his nomination to the committee; he shall cease to be a member of the committee from the date of such appointment.

Regulation by Speaker Regarding Procedure.

234-G. The Speaker may give such directions for the regulation of the procedure relating to all matters coming under the purview of the Committee or the Sabha as he thinks necessary.

(R) ETHICS COMMITTEE

Constitution of Committee.

234-H. (1) For inquiry, investigation and submiting report to the Assembly regarding complaints violating the guiding principles of Ethics of the members enumerated in fourth schedule, the Speaker shall nominate 9 member Ethics Committee in the beginning of the financial year or as the case may be.

(2) The Speaker shall be the ex-officio chairman and leader of the house and leader of the opposition shall be the ex-officio member.

Examination of complaint referred to committee.

234-I. The Committee may examine the complaints received by the Speaker and referred to it relating to adverse Ethics of Ministers and Members as expected within or outside of the Assembly.

Speaker to refer cases relating to conduct of member to the committee.

234-J. The Speaker of the Assembly may himself refer the case relating to Ethics of Members to the Committee.

Procedure to submit Complaint.

234-K. Attested copy of the document shall be attached with the complaint if it is based on document. Every complaint shall bear the signature of the complaint and shall be verified in the manner provided in Civil Procedure Code, 1908 (No.5 of 1908) for verification of pleadings.

Examination of complaint.

234-L. On receiving the complaint under rule 234(I) the Speaker may decide that whether the complaint fulfils the requirements provided under rule 234(K).

Dismissal of complaint & information to complainant.

234-M. If the complaint does not fulfil the requirements of rule 234(K), the Speaker shall dismiss the complaint and inform the complainant accordingly.

To obtain explanation from members relating to complaint.

234-N. If the complaint fulfils the requirement of rule 234(K), the Speaker shall send the complaint alongwith copies of documents :-

(a) to the member against whom the complaint is preferred,

(b) and such member after receiving such copies shall send written explanation to the Speaker within 7 days or within such period as the Speaker permits.

Power of Speaker to refer the complaint to committee.

234-O. After considering the explanation which is received from member within the specified period relating to the complaint if the Speaker, comes to the conclusion that it is necessary to do so, shall direct the committee to enquire the complaint and submit report accordingly.

Consideration of complaint.

234-P. The Committee after preliminary inquiry on complaint :-

(a) shall frame the grounds of inquiry on the basis of the complaint and the documents attached thereto and send in to the member concerned.

(b) shall give an opportunity to the concerned member to submit explanation within such period as may be specify by the committee.

(c) The Committee shall submit its report on complaint within maximum period of 6 months starting from the date of complaint being reffered to the committee by the Speaker or on the first day of begining of the session in the Assembly.

Stay of inquiry of complaint by the committee or disagree for inquiry.

234-Q. The Committee may at any time as it may deem fit may stay the inquiry of any complaint or defer from the complaint being inquired into, it in the opinion of the Committee :-

(a) The complaint is friovolous and biased.

(b) There is no enough ground for inquiry.

(c) If the Committee determines on any complaint that inquiry of the complaint be stayed or deferred for the complaint being inquired then the Committee shall communicate all such reasons to the complainant and the members.

To punish complainant for vexatious complaint.

234-R: The Committee shall submit its report relating to false, vexatious & biased complaints made by complainants.

Confidentiality of complaint/report.

234-S. If any person publishes any part of the report or complaint until the report is submitted by the Committee in the Assembly on any complaint and the matter being brought to the notice of the Assembly, the assembly may punish such person/persons.

Use of services other institution.

234-T. The Committee may take the services of any investigating institution in the proceeding of inquiry.

Report of Committee.

234-U. If prima-facie case is established on complaint relating to the conduct of any member then :-

(a) The Committee shall submit its report with such recommendation to the House as it may deem fit.

(b) The Committee shall mention the procedure in its report which is necessary for the compliance of such recommendation.

Proposal for consideration and acceptance on report.

234-V. On submission of the report of the Committee on the table of the House, the proposal for consideration and acceptance of the report shall be placed in the House by the Minister of Parliamentary Affairs.

CHAPTER XXIII-GENERAL RULES OF PROCUDURE

(A) LANGUAGE OF VIDHA SABHA

Language of Vidhan Sabha.

235. Subject to the provisions of Articles 210 and 345 of the Constitution the business of the House shall be transacted in Hindi.

(B) NOTICES

Notices by members.

236. (1) Unless otherwise provided for, every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be left at the Vidhan Sabha Office, which shall be open for this purpose between 11.00 Hrs. to 16.00 Hrs. on every day except Sunday or a public holiday.

(2) Notices left or received when the office is closed shall be treated as given on the next working day.

Publicity of notices.

236-A. A notice shall not be given publicity by any member or other person until has been admitted by the Speaker and circulated to members :

Provided that a notice of a question shall be given any publicity until the day on which the question is answered in the House.

Circulation of Notice and papers to members.

237. Every notice or other paper which is required to be sent or despatched to members shall be deemed to have been duly sent or despatched if a copy thereof is posted to the address of every member as registered in the Vidhan Sabha Office :

Provided that when the Vidhan Sabha is in session and for two clear days before the commencement of a session, such notice of paper shall be deemed to have been posted to each member if it is placed in the seat allotted to the member in the Vidhan Sabha Chamber.

Lapse of pending notices on prorogation of House.

238. On the prorogation of the House, all pending notices, other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill, shall lapse and fresh notices shall be given for the next session :

Provided that a fresh notice shall be necessary of intention to move for leave to introduce any Bill in respect of which sanction or recommendation has been granted under the Constitution if the sanction or recommendation, as the case may be, has ceased to be operative.

Motion, resolution or amendment moved not to lapse.

239. A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House.

Power of Speaker to amend notices.

240. If in the opinion of the Speaker, any notice contains words, phrases or expressions which are argumentative, unparliamentary, ironical, irrelevent, verbose or otherwise inappropriate, he may, in his discretion, amend such notice before it is circulated.

(C) MOTIONS

Repetition of motion.

241. A motion must not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session.

Withdrawal of motion.

242. (1) A member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House.

(2) The leave shall be signified not upon question but by the Speaker taking the pleasure of the House. The Speaker shall ask : "Is it your pleasure that the motion be withdrawn ?" If no one dissents, the Speaker shall say : "The motion is by leave withdrawn". But if any dissentient voice be heard or a member rises to continue the debate, the leave to withdraw shall be deemed to have been refused :

Provided that if an amendment has been proposed to a motion the original motion shall not be withdrawn until the amendment has been disposed of.

Adjournment of debate on motion.

243. At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned.

Dilatory motion

244. If the Speaker is of opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules of the House, he may either forthwith put the question thereon from the Chair or decline to propose the question.

Motion that policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration.

245. A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House, but the House shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his speech and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and the vote of the House shall be taken on such motion.

(D) AMENDMENTS

Amendments.

246. (1) An amendments shall be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

(2) An amendment shall not be moved which has merely the effect of a negative vote.

(3) The Speaker may disallow any amendment which, in his opinion, is frivolous.

(4) The Speaker may prescribe the other in which amendments shall be moved, and may at any time confine the debate to one amendment.

Notice of amendments.

247. Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice.

(E) RULES TO BE OBSERVED BY MEMBERS

Member to rise when speaking and to resume his seat when point of order is raised.

248. (1) A member desiring to make any motion or make any observations on any matter shall rise from his seat and if called upon by the Speaker address his remaks to the Speaker if he is not called upon by the Speaker he shall resumes his seat.

(2) If at any time while a member is speaking another member rises on a point of order, the member speaking shall resume his seat.

Procedure when Speaker rises.

249. (1) Whenever the Speaker rises he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immediately sit down.

(2) No member shall enter the House or leave his seat while the Speaker is addressing the House.

Prohibition to enter in "Well of the House."

250. (1) During the sitting of House no member shall leave his seat to enter the well of the House. The membership of such member who enters in the well of the House will be deemed sumoto suspended for such period as Speaker decides.

(2) Repeated act's of member to obstruct Proceeding of House shall be referred by Speaker to Ethics Committee to investigate and report.

Rules to be observed by member while present in House.

250-A. Whilst the House is sitting, a member -

(i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;
(ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner;
(iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House and also when taking or leaving his seat;
(iv) shall not pass between the Chair and any member who is speaking;
(v) shall not leave the House when the Speaker is addressing the House;
(vi) shall always address the Chair;
(vii) shall keep to his usual seat while addressing the House;
(viii) shall maintain silence when not speaking in the House;
(ix) shall not obstruct proceeding, his or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House;
(x) shall not applaud when a stranger enters any of the Galleries;
(xi) shall not, while speaking make any reference to the strangers in any of the galleries.

Rules to be observed while speaking.

251. A member while speaking shall not -

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;
(ii) make a personal charge against a member;
(iii) use offensive expressions about the conduct of proceeding of Parliament or any State Legislature.
(iv) reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it;
(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;

Explanation - The words "person in high authority" means persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn in terms to be approved by him.

(vi) utter treasonable, seditious or defamatory words;

(vii) use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the House;

(viii) question any ruling, order or direction of the Speaker except on a motion for the removal of the Speaker.

Procedure regarding allegation against person.

252. No allegation of a defamatory or indiscriminatory nature shall be made in a debate by a member against any person unless the member has, one day before taking part in the debate given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose or reply :

Provided that the Speaker may, at any time prohibit the member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.

Question to be asked through Speaker.

253. When for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occassion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, he shall ask the question through the Speaker.

Irrelevance or repetition.

254. The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech.

Personal explanation.

255. A member may, with the permission of the Speaker make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise.

(F) ORDER OF SPEECHES AND RIGHT OF REPLY

Order of speeches and right of reply.

256. (1) After the member who moves has spoken and the Minister has stated the position of Government in regard to the subject matter of the motion, other members may speak to the motion in such order as the speaker may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled, except by the permission of the Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate.

(2) Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker.

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied :

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of a motion to reduce any demand for grant or to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.

(G) CLOSURE

Closure.

257. (1) At any time after a motion has been made any member may move "the question be now put", and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate the Speaker shall then put the motion that "the question be now put".

(2) Where the motion that "the question be now put", has been carried, the question or questions consequent thereon shall be put forthwith without further debate :

Provided that the Speaker may allow a member any right of reply which he may have under rules.

Limitation of debate.

258. (1) Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protected, the Speaker may fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be.

(2) At the appointed hour, in accordance with the time-limit fixed for the completion of a particular stage of a Bill or a motion, the Speaker shall, unless the debate is sooner concluded forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or the motion.

(H) QUESTION FOR DECISION

Procedure for obtaining decision of House.

259. A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member.

Proposal and putting or question.

260. When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for the consideration, and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate propositions, those propositions may be proposed by the Speaker as separate questions.

(I) DIVISION

Division.

261. (1) Votes may be taken by voices or division and shall be taken by division, any member so desires. The Speaker shall determine the method of taking votes by division.

(2) The result of a division shall be announced by the Speaker and shall not be challenged.

No speech after voices collected.

262. A member shall not speak on a question after the Speaker has collected the voices both of the "Ayes" and of the "Noes" on that question.

Statement made by Minister.

263. A statement may be made by a Minister on a matter or public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

(II) PAPERS QUOTED TO BE LAID ON THE TABLE

Papers quoted to be laid on Table.

263-A. If any Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :,

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest.

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

(III) DISCLOSURE OF SOURCE OF ADVICE OR OPINION BY MINISTER

Procedure when a Minister discloses source of advice or opinion given to him.

263-B. If, in answer to a question or during debate, a Minister discloses the advice or opinion given to him by any officer of the Government or by any other person or authority, he shall ordinarily lay the relevant document or parts of document containing that opinion or advice, or a summary thereof on the Table.

Authentication of papers laid on the Table.

263-C. (1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the Member presenting it.

(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered public.

(J) WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Withdrawal of member.

264. The Speaker may direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting.

Suspension of member.

265. (1) The Speaker may, if he deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the Houe by persistently and wilfully obstracting the business thereof.

(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House during the remainder of the session :

Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.

(3) A member suspended under this rule shall forthwith quit the percincts of the House.

(K) ADJOURNMENT OF HOUSE OR SUSPENSION OF SITTING

Power of Speaker to adjourn House or suspend sitting.

266. In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, suspend the sitting of the House till a later hour on the same day or adjourn the House to the next sitting in the same session.

(L) POINTS OF ORDER

Points of order and decision thereon.

267. (1) A point of order shall relate to the interpretation of enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise question which is within the cognizance of the Speaker.

(2) A point of order may be riased in relation to the business before the House at the moment :

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2) a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so give his decision thereon which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A member shall not raise a point of order -

(a) to ask for information; or

(b) to explain his position; or

(c) when a question on any motion is being put to the House; or

(d) which may be hypothetical; or

(e) that division bells did not ring or were not heard.

Raising a matter which is not a point of order.

267-A. A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to riase it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix.

267-A. (1) Matters under rule 267-A can be raised after Question Hour, after decision about the admissibility of adjournment motion, and after the Minister has replied to Calling Attention Motions, if the Speaker so permits.

(2) Only ten minutes shall be available to raise matters under rule 267-A during which only five notices shall in order of receipt of notices, be raised during a sitting.

(3) Members who want to bring to the notice of the House some information under rule 267-A pointing out briefly the reason, shall give to the Vidhan Sabha Secretariat in writing by 10 A.M. the notice on the prescribed proforma.

(4) Only after the Speaker has given his consent and when his name is called a member shall raise a matter at such time and date as the Speaker appoints. No Matter can be raised without the permission of the Speaker.

(5) On having raised such matters no information shall be rendered by the Government and no member shall insist on the behalf.

(6) The permission to raise the matters mentioned in the notice received on Monday, can be granted in that week on any day out of the working days of the Vidhan Sabha. Such notices as are not permitted till the last working day of the week, shall lapse. The members may, looking to the importance of the matter in the lapsed notice, give a fresh notice in that respect in the next week.

(7) A copy of such notice, as is read in the House shall be sent as early as possible, to the concerned department of the Government and its written reply on behalf of the Government shall be sent to Vidhan Sabha Secretariat within a maximum period of one month. A copy of the reply shall be made available to the concerned member by the Vidhan Sabha Secretariat as early as possible. The replies received on behalf of Government regarding the notice that are read in the House shall be compiled and printed and will be laid on the table of the House on the first day of the next session and a copy thereof shall be made available to all the members.

(M) MAINTENANCE OF ORDER

The Speaker to preserve order and enforce decision.

268. The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions.

(N) RECORD OF PROCEEDING, ETC.

Record of Proceeding of Vidhan Sabha.

269. (1) The Secretary shall cause to be prepared a full report of the proceedings of the Vidhan Sabha at each of its meetings, and shall, as soon practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may, from time to time, direct.

(2) The Secretary shall cause a register of pending Bills to be maintained in such form as may be directed by the Speaker in which shall be entered names of all Bills introduced in the Vidhan Sabha.

Expunction of words.

270. (1) If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which -

(a) are indecent; or

(b) contain any offensive expression about either House of Parliament or a House of a State Legislature or any Committee thereof; or

(c) contain any such expression with regard to the conduct of any member of such House;

the Speaker may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House.

(2) The portion of the proceedings of the House so expunged shall be marked by asterisk and explanatory foot note shall be inserted in the proceedings as follows :-

"Expunged as ordered by the Chair."

Grant of certified copy speech, etc.

271. (1) If an application is received from a member or other person for certified copy of any particular speech, statement, ruling, reply to question or other part of a day's proceeding or an extract thereof for production in any Court, such copy shall be given after the time allowed for corrections by the member concerned.

(2) The charges for the time being in force for the grant of certified copies by Civil Courts in the State shall be payable for certified copy given under sub-rule (1).

(3) If a member or other person wants a copy of any particular speech, statement, ruling, reply to question or other part of day's proceeding or an extract thereof, copy marked "Uncorrected-Not for Publication" may be supplied after the speech, etc., is sent to the member for correction and such copy may be charged at the rate of Rupee One for every typed page or part thereof.

(4) No such copy shall be used for publication until the proceedings are published under rule 269(1):

Provided that the use of any copy supplied to Government for official purpose shall not be deemed to be publication.

(5) If a member wants to refer to the proceeding of any day, he may refer to the reporters copy.

(N-1) CUSTODY OF PAPERS

Custody of papers.

271-A. The Secretary shall have custody of all records, documents and papers belonging to the House or any of its Committees or Vidhan Sabha Secretariat and he shall not permit any such records, documents or papers to be taken from the Vidhan Sabha Bhavan without the permission of the Speaker.

(N-2) CHAMBER OF THE ASSEMBLY

Restriction on use of Chamber of the Assembly.

271-B. The Chamber of the Assembly shall not be used for any purpose other than the sittings of the Assembly.

(O) ADMISSION OF STRANGERS

Admission of strangers.

272. The admission of strangers during the sittings of the House to those portions of the House which are not reserved for the exclusive use of members shall be regulated in accordance with orders made by the Speaker.

Withdrawal of Strangers.

273. The Speaker, whenever he thinks fit, may order withdrawal of strangers from any part of the House.

Removal and Taking into custody of strangers.

273-A. An officer of the Secretariat authorised in this behalf by the Speaker shall remove from the precincts of the House or take into custody, any stranger whom be may see, or who may be reported to him to be, in any portion of the ecincts of the House, which is reserved for the exclusive use of members and also any stranger who, having been admitted, into any portion of the precincts of the House misconducts himself of wilfully infringess the orders made by the Speaker under rule 272 or does not withdraw when the strangers are directed to withdraw under rule 273 while the House is sitting.

(P) SUSPENSION OF RULES

Suspension of rules.

274. Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being.

(Q) RESIDUARY POWER AND STANDING ORDERS

Residuary powers.

275. (1) All matters not specifically provided in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct.

Standing Orders.

(2) The Speaker may make standing orders in respect of any matter to be regulated under sub-rule (1).

(3) The Secretary shall, as soon as may be, after the Speaker has accepted the resignation of a member, cause the information to be published in the Patrak and the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused :

Provided that where the resignation is to take effect from a future date ,the information shall be published in the Patrak and the Gazette not earlier that the date from which it is to take effect.

Permission to remain absent from meetings of Vidhan Sabha.

277. (1) A member wishing to obtain permission of the House for remaining absent from meetings thereof under Article 190 of the Constitution shall make an application in writing to the Speaker, stating the period for which he may be permitted to be absent from the meetings of the House.

(2) After the receipt of an application under sub-rule (1) of this rule, the Speaker shall, as soon as may be, read out the application to the House and ask "Is it the pleasure of the House that permission be granted to such and such a member for remaining absent from all meetings of the House for such and such a period". If no one dissents, the Speaker shall say : "Permission to remain absent is granted". But it any dissentient voice is heard, the Speaker shall take the sence of the House and thereupon delcare the determination of the House.

(3) No discussion shall take place on any question before the House under this rule.

(4) The Secretary shall, as soon as may be, after a decision has been signified by the House, communicate it to the member.

Lapse of unexpired portion of leave if member attends House earlier.

278. If a member who has been granted leave of absence under these rules att[illegible]ds the session of the House during the period for which the leave of absence has granted to him, the unexpired portion of the leave from the date of his resumed attendance shall lapse.

Vacation of seat in Vidhan Sabha.

279. (1) The seat of a member shall be declared vacant, under clause (4) of Article 190 of the Constitution, on a motion by the Leader of the House or by such other member to whom he may delegate his unctions in this behalf.

(2) If the motion referred to in sub-rule (1) of this rule is carried, the Secretary shall cause the information to be published in "Gazette" and forword a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused.

FIRST SCHEDULE

Form of petition

(See rule 107)

To,

Chhattisgarh Vidhan Sabha.

The humble petition of . . . .

(Here insert name and designation or description of petitioner(s) in concise form, e.g., "A.B. and others" or "the inhabitants of . . . ." or "the municipality of . . . .

. . . .

. . . . ". etc.)

(Here insert concise statement of case)

and accordingly your petitioner(s) pray that

(Here insert "that the Bill be or be not proceeded with" of "that special provision be made in the Bill to meet the case of your petitioner(s)" or any other appropriate prayer regarding the Bill or matter before the House or a matter of general public interest).

and your petitioner(s) as in duty bound will every pray.

Name of petitioner	Address	Signature or thumb impression

. . . .

Counter signature of member presenting.

SECOND SCHEDULE

(See rules 171 and 172)

Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member of the Chhattisgarh Vidhan Sabha

Place :.................
Date :.................

To,

The Speaker,
Chhattisgarh Vidhan Sabha,
Raipur.

"A"

Sir,

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my power under section .... of the .... (Act), to direct that Shri ...., member of the Chhattisgarh Vidhan Sabha be arrested/detained for, ... (reasons for the arrest or detention, as the case may be) Shri .... was accordingly arrested/taken into custody at .... (time) on .... (date) and is at present lodged in the .... Jail .... (Place ....).

"B"

I have the honour to inform you that Shri ...., Member of the Chhattisgarh Vidhan Sabha was tried at the .... Court before me on a charge/charges of .... (reasons for the conviction).

On .... (date) after a trial lasting for .... days, I found him guilty of .... and sentenced him to imprisonments for .... (period). (His application for leave, to appeal to .... is pending consideration).

* Name of the Court.

"C"

I have the honour to inform you that Shri ....,Member of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, who was convicted on .... (date) and imprisoned for .... (period) for .... (reasons for conviction) was released on bail pending appeal (or released on the sentence being set aside on appeal, as the case may be) on the .... (date).

Yours faithfully,

(Judge, Magistrate or Executive Authority)

THIRD SCHEDULE

(See rule 223-A)

List of Public Undertakings

(Public undertaking established by Central or Chhattisgarh Acts)

1. Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited.
2. Chhattisgarh State Ware-Housing Corporation Limited.
3. Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited.
4. Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.
5. Chhattisgarh State Beverages Corporation Limited.
6. Chhattisgarh State Forest Development Corporation Limited.
7. Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation Limited.
8. Chhattisgarh State Co-operative Schedule Caste, Finance Development Corporation Limited.
9. Chhattisgarh State Electricity Board
10. Chhattisgarh State Handicraft Development Corporation Limited.
11. Chhattisgarh State Housing Board.

FOURTH SCHEDULE

(See rule 234-H)

(I) Guidlines for Ethical Behaviour of Members Outside the House

(1) Information given to Members in confidence or by virtue of their being Members of Committees of Legislature should not be divulged to anyone nor used by them directly or indirectly in the profession in which they are engaged, such as in their capacity as Editors or Correspondents or News-papers or Proprietors of Business firms and so on.

(2) A Member should not try to secure business from Government for a firm, company or organisation which is consituted to earn profit.

(3) Every Member should take decisions solely in terms of public interest, but not in order to gain financial or other material benefits for himself/herself, their family members.

(4) A Member should not give certificates which are not based on facts.

(5) A Member should not make profit out of a Government residence allotted to him by sub-letting the premises.

(6) A Member should not unduly influence the Government officials or the Ministers in a case in which he is interested financially either directly or indirectly.

(7) A Member should not in his capacity as a Legal Advisor appear before a Minister or an Officer exercising quasi judicial powers.

(8) A Member is entitled to approach an Officer at his office to obtain information and make representation on public matters and the officer shall strive to furnish the required information as expeditiously as possible.

(9) A Members or his family member shall not accept any gifts for more then Rs. 25,000.00 without prior permission of Speaker.

(II) Guidlines for Ethical Behaviour of Members in the House

(1) During a meeting, a member may, if necessary, go out quitely by a back-door close to his seat without causing any disturbance to the House.

(2) Members should not talk amongst themselves when the House is at work, unless indispensably necessary.

(3) Every Member should resume his seat as soon as the Speaker rises to speak, or calls out 'Order' and also when any other Member is in possession of the Floor (i.e., speaking with the permission of the Chair) or has interposed in the course of the debate to raise a point of order, or to offer a personal explanation.

(4) Members, when in the Lobby, should avoid talking or laughing loudy.

(5) Members wishing to address the House or ask a question should raise their hands until they succeed in catching the eye of the Speaker. No members should speak unless he or she has caught the eye of the Speaker, and has been called upon by him by name or by a sign to address the Chair or to put the question. Words containing insinuations, and offensive and unparliamentary expressions should be carefully avoided by all when addressing the Chair.

(6) When the Speaker holds that a particular word or expression is unparliamentary, it should be immidiately withdrawn by the Member who has used it without trying to raise any debate over it.

(7) No Member is to argue with another Member or oppose him directly when the latter is speaking. He may, however, put through the Chair.

(8) A Member who is addressing the House with the permission of the Chair should not, as a general rule, be interrupted by another Member. It is open to the former not to give way by resuming his seat, but to go on with his speech if the interruption is not due to the raising of a point of order.

(9) Document cited by a Member in the course of his speech, which is not available to other Members, should be placed by him on the Table of the House, if he is so directed.

(10) A Statement made by a Minister from the records in his possession should be accepted as correct, unless a point is not deliberately raised under rules.

(11) When any Member offers a criticism of the speech of another Member, the latter is entitled to expect that the critic should be present in the House to hear the reply of the Member criticised. To be absent when the latter is replying is a breach of Parliamentary entiquette.

(12) A Member should not absent without prior permission of Speaker when any question of the Member is printed in question list as stared question.

(13) A Member should not accept any allurement, money, gift for asking question, raising any matter, to move motion or to give vote.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.